SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
झारखण्ड में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन
और
झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 5

(संयुक्त निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

झारखण्ड में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन

और

झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन

पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 5

(संयुक्त निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

विषय-सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	1-10
	अध्याय-I	
	'झारखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	
1.1	परिचय	11
1.1.1	संगठनात्मक ढ़ाचा	12
1.1.2	लेखापरीक्षा ढांचा	14
1.2	योजना	17
1.2.1	सर्वेक्षण न करना	17
1.2.2	श्रम बजट की तैयारी	19
1.2.3	जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन न होना	21
1.2.4	रोजगार दिवस के आयोजन में कमी	22
1.3	वित्तीय प्रबंधन	22
1.3.1	निधियों का निर्गमन और व्यय	24
1.3.2	नरेगासॉफ्ट आंकड़े के साथ विभागीय आंकडे की विसंगति	25
1.3.3	सामग्री घटक के अंतर्गत कम निर्गमन	27
1.3.4	लंबित देनदारियां	28
1.3.5	श्रमिकों को विलंब से भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति	29
1.3.6	बेरोजगारी भत्ता न देना	30
1.3.7	एसएनए खाते में खर्च न की गई शेष राशि का हस्तांतरण	31
1.3.8	अस्वीकार्य व्यय	32
1.3.9	नकद शेष में विसंगतियां	32
1.4	कार्यान्वयन और रोजगार सृजन	33
1.4.1	जॉब कार्ड जारी करने और अद्यतन करने में कमियां	33
1.4.2	जॉब कार्ड आवेदन पंजी का रखरखाव	35
1.4.3	कार्यों का निष्पादन और रोजगार सृजन	36
1.4.4	व्यय का अनियमित लेखांकन	38
1.4.5	कार्य स्थल सुविधाएं प्रदान न करना	39
1.4.6	कार्य संचिका में भौतिक ई-एमआर की अनुपस्थिति और मजदूरी के भुगतान में विसंगतियां	40

कंडिका		पृष्ठ संख्या
1.4.7	मनरेगा योजना के तहत कार्य निष्पादन	42
1.4.8	काम का संदिग्ध निष्पादन	48
1.4.9	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गौशाला निर्माण	49
1.4.10	दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया	51
1.4.11	100 दिनों के गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार का प्रावधान	52
1.4.12	योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व	52
1.5	शिकायत निवारण, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण	53
1.5.1	शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व	53
1.5.2	सामाजिक लेखा परीक्षा	56
1.5.3	मानवबल की कमी	59
1.5.4	निष्कर्ष	60
	अध्याय-II	
	झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	
2.1.1	परिचय	63
2.1.2	संगठनात्मक व्यवस्था	63
2.1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	65
2.1.4	लेखापरीक्षा मानदंड	65
2.1.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली	65
2.2	झारखण्ड में जेजेएम की प्रगति	66
2.2.1	निधि का उपयोग	66
2.2.2	सहायक गतिविधियों और जल गुणवत्ता निगरानी पर निधियों का अल्प उपयोग	68
2.2.3	घरों का आच्छादन	69
2.2.4	गांवों का आच्छादन	71
2.2.5	जल आपूर्ति की पर्याप्तता	73
2.2.6	लाभार्थी सर्वेक्षण	75
2.3	संस्थागत व्यवस्था और योजना	77
2.3.1	असंगत आंकड़ों पर आधारित योजना	77
2.3.2	ग्राम स्तर की संस्थाएँ	78
2.3.3	उच्च स्तरीय संस्थाएँ	80
2.3.4	योजना में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता	81
2.3.5	सूक्ष्म स्तर की योजना	82
2.3.6	व्यापक स्तर की योजना	84

कंडिका		पृष्ठ संख्या
2.3.7	जल स्रोतों की धारणीयता	86
2.4	कार्यों का प्रापण	87
2.4.1	निर्धारित समय सीमा के अंदर निविदाएँ जमा न करना	88
2.4.2	अयोग्य निविदाकारों को कार्य आवंटित करना	90
2.4.3	निविदा मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव	91
2.4.4	कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ	93
2.4.5	तृतीय पक्ष निरीक्षण	105
2.4.6	संचालन और रखरखाव	106
2.5	जल गुणवत्ता का पर्यवेक्षण और निगरानी	109
2.5.1	जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ	109
2.5.2	रसायनों की उपलब्धता	111
2.5.3	जल गुणवत्ता परीक्षण	113
2.5.4	फील्ड टेस्ट किट	116
2.5.5	स्वच्छता निरीक्षण	118
2.6	निगरानी और मूल्यांकन	119
2.6.1	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली	119
2.6.2	झार जल आईएमआईएस	120
2.7	निष्कर्ष	122
	परिशिष्टियां	125-151
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	153-157

परिशिष्टियों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	1.1.2.4	नमूना में लिए गए ज़िलों, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों की विवरणी	125
1.2	1.2.2.2	चयनित ज़िलों में अनुमानित मानव-दिवस की उपलब्धि में कमी	126
1.3	1.2.4	2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में 'रोजगार दिवस' का लंबित होना	127
1.4	1.3.2	चयनित ज़िलों के लिए प्रमाणित वित्तीय विवरण के संबंध में नरेगासॉफ्ट आंकड़ों के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में विसंगति	129

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.5	1.3.2	चयनित ज़िलों के लिए नरेगासॉफ्ट आंकड़ों में दर्ज व्यय और प्रमाणित वित्तीय विवरण के बीच विसंगतियां	130
1.6	1.3.4	2019-24 की अवधि के लिए, नमूना-जांचित ज़िलों की लंबित देनदारियाँ	131
1.7	1.3.4.1	अस्वीकृत और पुनः सृजित किए गए लेन-देनों की स्थिति	131
1.8	1.3.5	चयनित योजनाओं में श्रमिकों के विलंबित भुगतानों के लिए लंबित क्षतिपूर्ति का विवरण	132
1.9	1.3.8	प्रशासनिक व्यय की अस्वीकार्य राशि का विवरण	134
1.10	1.4.4	कार्य पूर्ण होने के बाद मस्टर रोल का भुगतान विवरण	134
1.11	1.4.4	कार्य पूर्ण होने के बाद सामग्री का क्रय	136
1.12	1.4.7	2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की स्थिति	137
1.13	1.4.8.1	गुमला जिले की नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में 31 नमूना-आधारित वृक्षारोपण योजनाओं पर व्यय का विवरण	138
1.14	1.5.2.2	2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का लंबित रहना	139
2.1	2.4	नमूना-जांचित योजनाओं का विवरण	141
2.2	2.4 और 2.4.1	विभाग स्तर पर विश्लेषण किए गए निविदा दस्तावेजों की विवरणी	144
2.3	2.4.4	उलीहातू आरपीडब्ल्यूएसएस के मूल्य समायोजन की गणना	147
2.4	2.4.4	बीओक्यू/एकरारनामा में गलती से मद की अदला-बदली के कारण अधिक भुगतान	147
2.5	2.4.5	*डीडब्ल्यूएसडी*, खूंटी डिवीजन में कार्यों पर टीपीआईए अवलोकन	148
2.6	2.5.1	प्रयोगशालाओं में परीक्षणों के मान्यता प्राप्त मापदंडों की स्थिति	150
2.7	2.6.2	नमूना-जांचित जिलों में 'झार जल पोर्टल' पर प्राप्त शिकायतों का विवरण	151

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

दो निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात् 'झारखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन' और 'झारखण्ड में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन', अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए किए गए, जिनका उद्देश्य इनकी कमियों को उजागर करना, उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना और योजना के परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की अनुशंसा करना था।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही उन दृष्टांतों को भी शामिल किया गया है जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सके थे। जहां भी आवश्यक हो, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों और लेखा तथा लेखापरीक्षा पर विनियम के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

'झारखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार (भा.स.) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया, जिसे बाद में अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नाम दिया गया। इस अधिनियम का उदेश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं।

झारखण्ड मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। मौसमी वर्षा की अनिश्चितताओं पर कृषि की निर्भरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 92 प्रतिशत असिंचित है। चूँकि कृषि का स्वरूप मौसमी है, इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने की पर्याप्त संभावना है, विशेषकर जब इसे कृषि के मंद (कम कार्य वाले) मौसम के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उस समय कार्य की मांग अधिक हो सकती है।

झारखण्ड में मनरेगा के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 2019-24 की अवधि के लिए, मनरेगा आयुक्त के अभिलेखों के नमूना जांच और जिला (6), प्रखंड (12) और ग्राम पंचायत (48) स्तरों पर नमूना-जांचित कार्यालयों में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, 480 चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन और मनरेगा लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया; मनरेगा योजना के लिए निर्धारित निधियों के आवंटन, विमुक्त तथा उपयोग और अनुश्रवण, आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण तंत्र की जांच की।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के लिए श्रम बजट तैयार करने के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग नहीं किया गया था और घर-घर और बेसलाइन सर्वेक्षणों के आधार पर काम की मांग का आकलन ठीक से नहीं किया गया था। इसलिए, विभाग ने बजटीय आधार पर काम की मांग की गणना करने और बाद में अनुमोदित बजट को जिलों और ग्राम पंचायतों में वितरित करने का सहारा लिया था। इसके अलावा,

लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं और जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। नमूना-जांचित जिलों में जॉब कार्ड जारी करने और अद्यतन करने में कमियां थीं।

[**कंडिका 1.2.1, 1.2.2.2 और 1.4.1**]

- इस योजना के लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा 40 से 55 दिनों की विलंब से धनराशि जारी की गई थी। चूंकि इस योजना का उद्देश्य दैनिक मजदूरी की आवश्यकता वाले लोगों को रोजगार प्रदान करना था, इसलिए भुगतान में विलंब और मजदूरी का भुगतान न करने से योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

[**कंडिका 1.3.1**]

- नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आंकड़ों और विभाग द्वारा संधारित प्रमाणित वित्तीय खातों में विसंगतियां पाई गईं। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि तीन नमूना-जांचित जिलों में ₹ 32.62 लाख का व्यय अनियमित रूप से अस्वीकार्य मदों पर जैसे पुराने वाहनों के रखरखाव, सरकार/पीआरआई/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के वेतन और मनरेगा योजना के अंतर्गत न आने वाली अन्य मदों पर किया गया था।

[**कंडिका 1.3.2 और 1.3.8**]

- मार्च 2025 तक, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए अकुशल श्रमिकों को ₹ 321.84 करोड़ की मज़दूरी का भुगतान बकाया था। मज़दूरी का भुगतान न होने से श्रमिकों को उनके अधिकार से वंचित होना पड़ा, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इस योजना के तहत गारंटीयुक्त रोज़गार प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।

[**कंडिका 1.3.4**]

- 2019-24 के दौरान निष्पादित किये जाने के लिए प्रस्तावित कुल 1,02,68,484 कार्यों में से, केवल 27,96,044 (27 प्रतिशत) कार्य ही पूरे हो पाए, और मार्च 2024 तक ₹ 2,633 करोड़ खर्च करने के बाद भी 50,21,492 (49 प्रतिशत) कार्य अधूरे पड़े थे। इसके अलावा, 24 प्रतिशत कार्यों को तो शुरू ही नहीं किया गया। यह पाया गया कि छः नमूना-जांचित जिलों में विस्तृत जांच के लिए चुने गए 480 कार्यों में से, जनवरी 2025 तक 139 कार्य अधूरे पड़े थे। मापी पुस्तिका' (एमबी) और 'मस्टर रोल्स' (एमआर) जैसे अनिवार्य अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था और नरेगासॉफ्ट पोर्टल में ऐसे आवश्यक 'ऐप्लीकेशन कंट्रोल्स' का अभाव था, जो एमबी से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के बिना भुगतान जारी होने से

प्रणाली को रोक सकें। ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भुगतान जारी कर दिया गया था, जबकि एमबी में कार्यों की माप दर्ज ही नहीं की गई थी, या अधूरी दर्ज की गई थी। कुछ कार्यों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि उन पर किया गया खर्च व्यर्थ/बेकार साबित हुआ, क्योंकि वे अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे।

[**कंडिकायें 1.1.2.4, 1.3.5, 1.4.3.2, 1.4.6 और 1.4.7**]

- इस योजना के अंतर्गत यथा परिकल्पित मनरेगा योजना का अनुश्रवण और संचालन राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा नियमित अंतरालों पर नहीं किया गया था। योजना के लिए अपेक्षित मानव बल को आवश्यकता के अनुसार तैनात नहीं किया गया था (8.24 से 21.07 प्रतिशत की कमी) और संगत अभिलेखों और पंजियों को भी संधारित नहीं किए गए थे। इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि काम की मांग और उसमें मजदूरी के भुगतान को सटीक रूप से दर्ज किया गया था, जिससे योजना के उद्देश्यों को विफल कर दिया गया था।

[**कंडिकायें 1.3.6, 1.4.2, 1.5.1.1 और 1.5.3**]

- योजना के तहत 100 दिनों का गारंटीयुक्त मज़दूरी रोजगार और महिला लाभार्थियों के प्रतिनिधित्व का आकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि नमूना-जांचित जीपी में निर्धारित मांग पंजियों को उचित तरीके से संधारित नहीं किए गए थे।

[**कंडिकायें 1.4.11 और 1.4.12**]

- योजना के तहत शिकायत निवारण प्रणाली अप्रभावी था क्योंकि शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं किया गया। इसके अलावा, सतर्कता प्रकोष्ठ नहीं बनाए गए, राज्य और जिला गुणवत्ता नियंत्रक (एसक्युएम/डीक्युएम) नियुक्त नहीं किए गए और मनरेगा दिशानिर्देश के तहत अपेक्षित सिटीज़न चार्टर तैयार नहीं किए गए।

[**कंडिकायें 1.5.1.2 से 1.5.1.5**]

अनुशंसाएं:

- ***अनुशंसा : विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि परियोजनाओं की शेल्फ, विकास योजना और श्रम बजट तैयार करने में आवधिक सर्वेक्षण और बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाए, जैसा कि मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है।***

- ***अनुशंसा : विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकता है कि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में* विलंब *को कम किया जाए। साथ ही, विभाग को मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को विलंबित भुगतान के लिए बेरोजगारी भत्ते और क्षतिपूर्ति की शीघ्र गणना और* विमुक्त *करना सुनिश्चित करना चाहिए।***
- ***अनुशंसा : विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदित अनुमानों, मापी पुस्तकों, मस्टर रोल और अभिश्रव सहित पूरी कार्य संचिकाएँ उचित रूप से रखी जाए और विधिवत प्रमाणित हो साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए नरेगासॉफ्ट में सख्ती से इनका मिलान किया जाए।***
- ***अनुशंसा : विभाग को नरेगासॉफ्ट में प्रविष्टियों के साथ भौतिक ई-एमआर का मिलान सुनिश्चित करना चाहिए, कार्य संचिकाओं में पूर्ण ई-एमआर बनाए रखना चाहिए, और मजदूरी के कम भुगतान, अधिक भुगतान या गैर-भुगतान को रोकने के लिए विसंगतियों के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।***
- ***अनुशंसा : विभाग को नियमित एसईजीसी बैठकों, शिकायतों का समय पर निपटारे, सतर्कता प्रकोष्ठों का गठन, एसक्यूएम/डीक्यूएम की नियुक्ति और मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुरूप नागरिक चार्टर तैयार करके जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।***
- ***अनुशंसा : विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की निर्धारित छमाही आवृत्ति का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समय पर निपटान के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना चाहिए।***
- ***अनुशंसा : विभाग* मानव बल *की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर योजना के प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारी उपलब्ध करा सकता है।***

झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (एचएच) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। झारखण्ड में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) जिम्मेदार था, जिसमें कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों

(वीडब्ल्यूएससी) का सहयोग लिया गया था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (जीओजे) जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग था।

"झारखण्ड में जेजेएम के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए (सितंबर और नवंबर 2024 के बीच) आयोजित की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, योजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन और परिचालन पश्चात प्रबंधन के लिए एक कुशल संस्थागत ढांचा मौजूद था, वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफायती और कुशल तरीके से किया गया था और कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसंपत्तियां अगले दो से तीन दशकों तक के लिए टिकाऊ होगी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत ₹24,360.91 करोड़ की अनुमानित लागत से 98,067 योजनाओं को मंज़ूरी दी। इनमें से 97,535 योजनाओं को ₹24,665.29 करोड़ की एकरारित लागत से कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, दिसंबर 2024 तक, निधि की कमी के कारण केवल 27,249 (28 प्रतिशत) योजनाएं ही पूरी हो सकीं। इससे एफएचटीसी के माध्यम से परिवारों के लक्षित अच्छादन पर असर पड़ा।

  [कंडिका 2.2.1]

- विभाग ने वर्ष 2019-24 के दौरान सहायता गतिविधियों पर केंद्रीय हिस्सा का केवल 1.41 प्रतिशत (₹83.35 करोड़) और जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर 0.85 प्रतिशत (₹50.58 करोड़) ही उपयोग कर सका, जबकि निर्धारित मानदंड क्रमशः पांच और दो प्रतिशत थे। इससे ग्राम कार्य योजनाओं के निर्माण और निर्धारित बुनियादी मापदंडों के अनुसार सभी जल स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षण प्रभावित हुए।

  [कंडिका 2.2.2]

- जब यह योजना शुरू की गई थी (अगस्त 2019), तब झारखण्ड में 52,27,214 ग्रामीण एचएच थे, जैसा कि जेजेएम पोर्टल पर दर्ज है। इनमें से 3,45,165 (सात प्रतिशत) एचएच को नल के पानी का कनेक्शन मिल चुका था। मार्च 2025 तक, झारखण्ड के 62,53,471 एचएच में से 34,31,115 (55 प्रतिशत) को एफएचटीसी प्रदान किया जा चुका था। हालांकि, राज्य में एफएचटीसी अच्छादन राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत से कम था।

  [कंडिका 2.2.3]

- जेजेएम के शुभारंभ (अगस्त 2019) के समय, 3.45 लाख (6.60 प्रतिशत) एचएच में एफएचटीसी थे, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 34.31 लाख (55 प्रतिशत) परिवार हो गए। इसके अलावा, राज्य के 29,398 गांवों में से 6,439 (22 प्रतिशत) गांवों में एफएचटीसी का पूर्ण अच्छादन था, जबकि 6,958 (24 प्रतिशत) गांवों में एफएचटीसी नहीं थे।

[कंडिका 2.2.4]

- नमूना-जाँच के लिए चुनी गई 40 एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) के जल प्रवाह के आंकड़ों (जुलाई और सितंबर 2024 के लिए) से पता चला कि 20 एसवीएस ने एचएच को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर की निर्धारित न्यूनतम मात्रा का केवल 37 प्रतिशत ही पानी की आपूर्ति की।

[कंडिका 2.2.5]

- लेखापरीक्षा द्वारा 479 लाभार्थियों के सर्वेक्षण से पता चला कि 19 से 40 प्रतिशत लाभार्थी जेजेएम के तहत उन्हें प्रदान की गई सेवा से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें पानी की अनियमित या न के बराबर आपूर्ति, अपर्याप्त पानी की आपूर्ति और गंदे पानी की आपूर्ति जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

[कंडिका 2.2.6]

- जनगणना में दर्ज सभी राजस्व गांवों को जेजेएम के अंतर्गत योजना बनाने की मूल इकाई माना जाना था। हालांकि, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्थानीय सरकार निर्देशिका में जनगणना गांवों के रूप में दर्ज होने के बावजूद, 3,339 गांवों को जेजेएम के अंतर्गत योजना बनाने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया गया था।

[कंडिका 2.3.1]

- कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के द्वारा ग्राम पंचायतों (जीपी) को ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने में सहायता करनी थी। आईएसए की नियुक्ति में देरी (सितंबर 2021) के कारण, प्रमंडलो ने ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना, जैसा कि जेजेएम दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी, अपने स्तर पर वीएपी तैयार किया। डीडब्लूएसएम ने भी जेजेएम की योजना और कार्यान्वयन में कोई प्रभावी योगदान नहीं दिया।

[कंडिका 2.3.2]

- जेजेएम के योजना और कार्यान्वयन के लिए वीएपी मुख्य दस्तावेज थे। हालांकि, यह देखा गया कि वीएपी में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार गांव में जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता, उपलब्ध जल स्रोतों का मानचित्रण और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं/जरूरत जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव था। राज्य स्तर पर तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) भी विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं थीं और कुछ सूचीबद्ध श्रेणियों में एचएच की संख्या वर्षों में घटती-बढ़ती रही।

[कंडिका 2.3.5 एवं 2.3.6]

- निर्धारित 31 से 42 दिनों के विरुद्ध, नमूना-जांचित 39 मामलों में से 36 (92 प्रतिशत) मामलों में निविदा जमा करने के लिए केवल पांच से 22 दिन का समय दिया गया। निविदा जमा करने के लिए कम समय देने से प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की संख्या सीमित होने का जोखिम था।

[कंडिका 2.4.1]

- एक ही संवेदक को कई निविदाएं दी गईं, जबकि उसके पास निविदा शर्तों के अनुसार पर्याप्त निविदा क्षमता और संसाधन (मानव बल और उपकरण) नहीं थे। इसके अलावा, नमूना-जांचित 39 निविदाओं में से 32 में भाग लेने वाले दो से तीन निविदाकारो के बीच मिलीभगत से बोली लगाने या बोली चक्रानुक्रम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन संवेदकों ने एक-दूसरे के लिए बोली दस्तावेज खरीदे थे और समान उपकरणों और प्रमुख कर्मियों की सूची के आधार पर उन्हें कई अनुबंध दिए गए थे।

[कंडिका 2.4.2 एवं 2.4.3]

- संवेदकों को ₹27.13 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता दी गई। इसमें अस्वीकार्य भुगतान (₹8.17 करोड़), मात्रा में अनाधिकृत परिवर्तन के लिए भुगतान (₹2.75 करोड़), मूल्य परिवर्तन का समायोजन न होना (₹41.01 लाख), निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना (₹5.08 करोड़), मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना (₹9.77 करोड़) और अधिक भुगतान (₹94.75 लाख) शामिल थे। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित दो बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) में ₹280.85 करोड़ की लागत वृद्धि देखी गई।

[कंडिका 2.4.4]

- 2019-22 के दौरान, ₹1,578.25 करोड़ का व्यय तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा कार्यों के अनिवार्य निरीक्षण और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित

किए बिना किया गया। नमूना-जांचित दो जिलों की टीपीआईए ने कार्यों के निरीक्षण और कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा नहीं किया। नमूना-जांचित एक प्रमंडल में, टीपीआईए द्वारा इंगित दोषों को ठीक किए बिना संवेदकों को ₹13.20 करोड़ का भुगतान किया गया।

[कंडिका 2.4.5]

- नमूना-जांचित गांवों में बहु पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का गठन नहीं किया गया था, ताकि एमवीएस के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) खर्चों को पूरा करने के लिए कनेक्शन और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जा सके। जल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क भी एकत्र नहीं किया जा रहा था।

[कंडिका 2.4.6]

- नमूना-जांचित छः जिला प्रयोगशालाओं में से चार के पास निर्धारित पांच से आठ बुनियादी जल गुणवत्ता परीक्षण मापदंडों पर एनएबीएल की मान्यता नहीं थी, जिसका कारण आवश्यक मानव बल की तैनाती न होना और परीक्षण उपकरणों की अनुपलब्धता थी।
- नमूना-जांचित जिला प्रयोगशालाओं में अनुशंसित 35 प्रकार के उपकरणों के विरुद्ध केवल आठ (23 प्रतिशत) से 16 (46 प्रतिशत) प्रकार के उपकरण ही उपलब्ध थे। यह भी देखा गया कि नमूना-जांचित जिला प्रयोगशालाओं को 2021-22 के बाद पीएमयू द्वारा रसायनों की आपूर्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण वे कुछ ऐसे परीक्षण नहीं कर सके जिनके लिए उनके पास सुविधाएं उपलब्ध थीं।

[कंडिका 2.5.1]

- जल स्रोतों के जीवाणु परीक्षण केवल दो से 34 प्रतिशत गांवों में ही किए जा सके। नमूना-जांचित पांच जिला प्रयोगशालाओं ने जेजेएम पोर्टल पर 37,928 जीवाणु परीक्षणों की प्रतिवेदन दी, लेकिन इनमें से किसी भी प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीवविज्ञानी/ जीवाणुविज्ञानी नहीं थे और पांच में से तीन प्रयोगशालाओं के पास आवश्यक एनएबीएल मान्यता नहीं थी।

[कंडिका 2.5.3]

- विभाग ने सभी जल स्रोतों की प्रारंभिक जांच के लिए पर्याप्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) की खरीद नहीं की और 2021-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के केवल 15 से 45 प्रतिशत गांवों को ही एफटीके उपलब्ध कराए गए थे।

[कंडिका 2.5.4]

- जेजेएम पोर्टल में आंकड़ा फीड करने के लिए जिम्मेदार जिला समन्वयकों ने अपलोड किए गए आकड़ों का समर्थन करने के लिए उचित अभिलेख नहीं रखे। सितंबर 2024 तक, जहां छः नमूना-जांचित जिलों ने अपनी प्रगति प्रतिवेदन में 6.27 लाख एफएचटीसी के संयोजन की जानकारी दी, वहीं जेजेएम पोर्टल ने 8.31 लाख एफएचटीसी के संयोजन की जानकारी दी।

[कंडिका 2.6.1]

- किसी विशेष एसवीएस की कार्यप्रणाली की निगरानी करना मुश्किल था क्योंकि एसवीएस से जुड़े रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) की केवल डिवाइस आईडी को ही राज्य के ऑनलाइन सूचना और निगरानी प्रणाली (झार जल पोर्टल) के साथ मैप किया गया था, योजना के विवरण जैसे कि योजना आईडी और बस्ती/गांव या पंचायत के नाम को मैप नहीं किया गया था।

- वीडब्ल्यूएससी के जल सहिया, जिन्हें झार जल पोर्टल पर आंकड़ा फीड करना था, उन्हें इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराए गए थे और पोर्टल में आंकड़ा फीड करने के लिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

[कंडिका 2.6.2]

अनुशंसाएं:

- ***विभाग जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी निधि का उपयोग कर सकता है।***

- ***विभाग कार्यरत जल आपूर्ति प्रणालियों में खामियों को दूर करके प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम निर्धारित मात्रा में जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।***

- ***विभाग सभी परियोजनाओं का अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण सुनिश्चित कर सकता है। संवेदकों को भुगतान करने से पहले टीपीआईए के प्रतिकूल अवलोकन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।***

- *विभाग जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति का प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।*
- *विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि जेजेएम में निर्धारित कम से कम 13 बुनियादी गुणवत्ता मानकों के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त की जाए।*
- *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्षेत्र इकाइयों को पर्याप्त रसायन और एफटीके की खरीद और वितरण समय पर हो, और सभी जल स्रोतों के समय पर परीक्षण के लिए जल सहियाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।*
- *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ा के समर्थन में उचित अभिलेख बनाए रखे जाएं।*
- *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक एसवीएस की निगरानी के लिए योजना विवरणों को झार जल पोर्टल पर मैप किया जाए।*

अध्याय I

अध्याय I

ग्रामीण विकास विभाग

'झारखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

1.1 परिचय

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियम पारित किया, जिसे बाद में अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नाम दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

मनरेगा का अन्य उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत के सबसे कमजोर वर्गों के लिए टिकाऊ परिसंपत्ति, सामाजिक सुरक्षा, टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा, बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता प्रदान करना था। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को गहरा करके पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना भी था और यह सुनिश्चित करना था कि आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आजीविका का एक स्रोत हो। मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत साझा[1] करने के आधार पर लागू किया गया है। राज्य सरकार कामगारों के मजदूरी के लंबित भुगतान, बेरोजगारी भत्ते[2] और राज्य रोजगार गारंटी परिषद[3] (एसईजीसी) के प्रशासनिक खर्चों पर मुआवजे[4] का कुल व्यय भी वहन करती है।

---

1 श्रम की अकुशल मजदूरी और प्रशासनिक लागत 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जाता है, कुशल/अर्ध-कुशल/सामग्री की लागत 75 प्रतिशत केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाता है और बेरोजगारी भत्ता/विलंबित मुआवजा 100 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाता है।

2 श्रमिक मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की विलंब के लिए मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

3 एसईजीसी का गठन योजना से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए किया गया था।

4 एक आवेदक वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के कम से कम एक चौथाई की दर से बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, यदि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है।

झारखण्ड मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए कृषि मुख्य आजीविका है। झारखण्ड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता प्रकृति पर निर्भरता, कम निवेश, कम उत्पादकता, प्रमुख फसल के रूप में धान के साथ एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और छोटी और सीमांत जोत हैं। चूंकि यहाँ कि कृषि मौसम पर निर्भर है, इसलिए जब कृषि की मांग में कमी आती है तब मनरेगा को राज्य में काम की मांग को उस अवधि के साथ तालमेल बनाकर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

1.1.1 संगठनात्मक व्यवस्था

राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए गठित संगठनात्मक ढांचे को **चार्ट 1** और **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: राज्य स्तरीय ऑर्गेनोग्राम

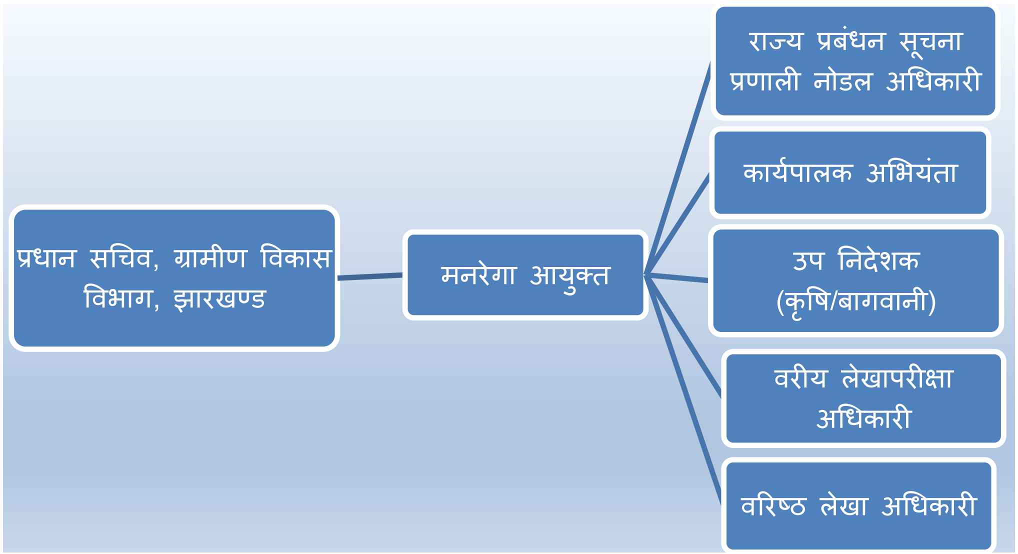

(स्रोत: आयुक्त कार्यालय, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड)

चार्ट 2: जिला और प्रखंड स्तर का ऑर्गेनोग्राम

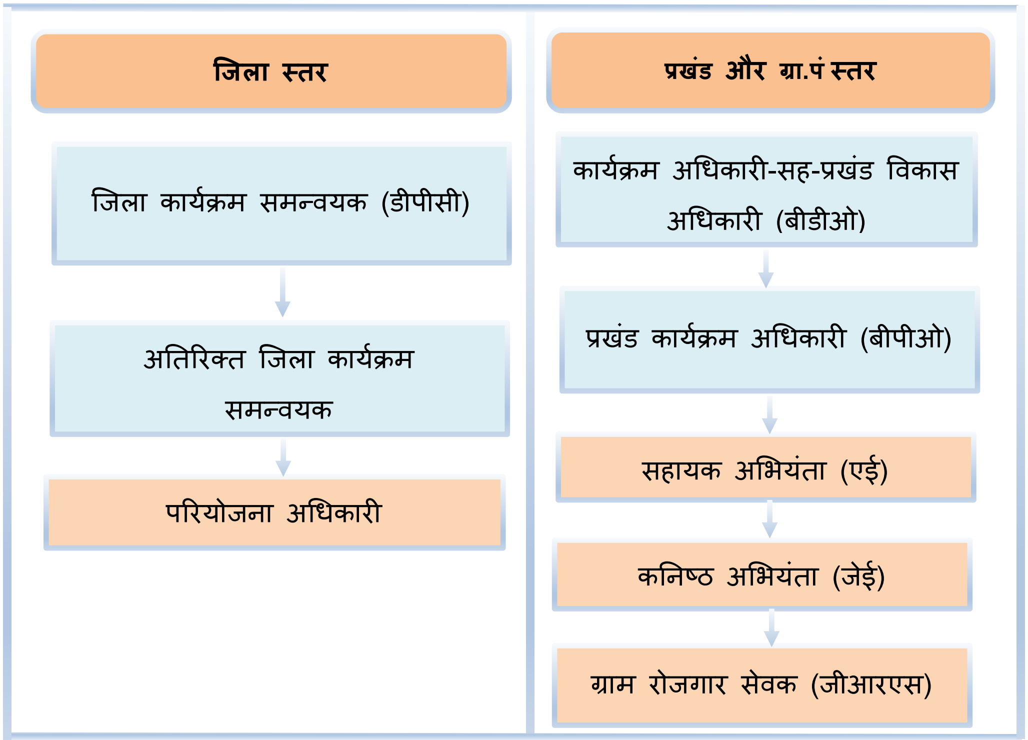

(स्रोत: आयुक्त कार्यालय, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड)

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापित संगठनात्मक ढाँचा और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का सारांश **तालिका 1** में दिया गया है।

तालिका 1: योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित अधिकारियों की जिम्मेदारियां

स्तर	नामित अधिकारी	भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
राज्य स्तर	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार	संबंधित विभागों के साथ निगरानी और समन्वय करना और योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक नियमों को अंतिम रूप देना।
	मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य कार्यक्रम समन्वयक (एसपीसी) के रूप में नामित	जिला कार्यक्रम समन्वयकों के साथ समन्वय करना, योजना की समीक्षा और निगरानी करना, प्रशिक्षण आयोजित करना आदि।
जिला स्तर	जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के रूप में नामित	जिले में योजना का समग्र समन्वय और कार्यान्वयन

स्तर	नामित अधिकारी	भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
प्रखंड स्तर	प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी (प्रखंड स्तर पर मनरेगा के लिए समन्वयक)	काम के साथ मांग का मिलान करने और प्रखंड स्तर पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार; उप विकास आयुक्त (डीडीसी) - जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) के साथ समन्वय करना।
	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ)	कार्यक्रम अधिकारी की सहायता करता है और प्रखंड स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनआरईजीएसॉफ्ट) का प्रभारी है, कार्य आदेश, भुगतान आदेश, मस्टर रोल आदि *अपलोड* करता है।
ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर	पंचायत सचिव (पीएस)	जॉब कार्ड, मजदूरी रोजगार, मस्टर रोल बनाए रखने, मजदूरी के भुगतान की समय पर प्रक्रिया और संपत्ति के रखरखाव के लिए आवेदन प्राप्त करता है।
	ग्राम रोजगार सेवक (जी आर एस)	पंजीकरण, जॉब कार्ड के वितरण, आवेदकों को काम के आवंटन आदि की प्रक्रिया की निगरानी करना। कार्यस्थल सुविधाओं की उपलब्धता और श्रमिकों के जॉब कार्ड को अपडेट सुनिश्चित करता है। प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने में पंचायत सचिव की सहायता करता है।

(स्रोतः *मनरेगा के परिचालन दिशा-निर्देश, 2013*)

1.1.2 लेखापरीक्षा ढ़ाँचा

1.1.2.1 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

झारखण्ड में मनरेगा के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया था।

- क्या प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करते हुए मनरेगा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं को पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था;
- क्या सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा हेतु रोजगार के अवसरों तक उचित पहुंच प्राप्त की गई थी, और रोजगार पर्याप्त रूप से सृजित किया गया था, जैसा की परिकल्पना की गई थी;
- क्या अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों और विनियमों के अनुपालन में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव किया गया था;

- क्या अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणालियाँ मौजूद थीं और क्या वे परिकल्पना के अनुरूप कार्य कर रही थीं।

1.1.2.2 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (आगे अधिनियम के रूप में प्रतिवेदन में उल्लिखित);
- परिचालन दिशानिर्देश 2013, उनमें संशोधन, और अधिनियम के तहत जारी नियम;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा. वि. मंत्रा.), भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र;
- झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित की गई है;
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश, परिपत्र और निर्देश, दिशानिर्देश आदि, अर्थात, झारखण्ड राज्य विलंबित मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति विनियमन, 2015; झारखण्ड राज्य बेरोजगारी भत्ता भूगतान विनियमन, 2015; और
- झारखण्ड वित्तीय नियम और सामान्य वित्तीय नियम।

1.1.2.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

2019-24 की अवधि के लिए मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय और जिलों, प्रखंडों और ग्राम पंचायत स्तरों पर नमूना कार्यालयों में अभिलेखों की जांच के माध्यम से निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित किया गया था। इसके अलावा, चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन और 480 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों को प्रासंगिक निष्कर्षों के तहत शामिल किया गया है।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड और मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 25 जून 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें लेखा परीक्षा उद्देश्यों, मानदंड, दायरे और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई।

निकास सम्मेलन 10 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी, और विभाग के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.1.2.4 नमूना पद्धति

झारखण्ड में पांच[5] प्रशासनिक प्रभागों के अंतर्गत 24 जिले हैं।इनमें से छः जिलों (25 प्रतिशत) का चयन व्यय के आधार पर आइडिया सॉफ्टवेयर में स्तरीकृत रैंडम

---

[5] कोल्हान, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना और दक्षिण छोटानागपुर

सैंपलिंग पद्धति(एसआरएस) का उपयोग करके लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। सभी पांच प्रमंडलों यानी संथाल परगना प्रमंडल के दो[6] जिलों के अलावा राज्य के चार[7] प्रमंडलों से एक-एक जिले का चयन जिलों के भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

चित्र 1.1: चयनित जिले का स्थान

आइडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से एसआरएस विधि का उपयोग करके छः नमूना जिलों में से बारह (12) प्रखंडों (प्रत्येक जिले से दो) का चयन किया गया था। 12 चयनित प्रखंडों में से, 48 ग्राम पंचायतों (प्रति प्रखंड चार जीपी) का चयन आकार नमूने के लिए आनुपातिक संभाव्यता ***(परिशिष्ट 1.1)*** का उपयोग करके किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान विस्तृत जांच के लिए 480 कार्यों का चयन किया गया था, जिसमें 82 वैसे कार्य शामिल थे जो अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में किए गए थे। इन चयनित 480 कार्यों की स्थिति, जिन्हें पूर्ण/चालू (जनवरी 2025 तक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, **तालिका 2** में विस्तृत है।

तालिका 2: कार्यों का श्रेणीवार चयन

जिला का नाम	कुल चयनित कार्य	पूर्ण कार्य	चल रहे कार्य
पूर्वी सिंहभूम	80	63	17
गढ़वा	80	67	13
गिरिडीह	80	58	22
गोड्डा	80	65	15
गुमला	80	25	55
पाकुड़	80	63	17
कुल	**480**	**341**	**139**

[6] संथाल परगना- गोड्डा और पाकुड़

[7] कोल्हान- पूर्वी सिंहभूम, उत्तरी छोटानागपुर- गिरिडीह, पलामू-गढ़वा और दक्षिण छोटानागपुर- गुमला

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, मनरेगा आयुक्तालय, नमूना लिए गए जिलों, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों के साथ आरडीडी में संधारित अभिलेखों की जांच जुलाई 2024 से अगस्त 2024 और नवंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि के दौरान की गई। चयनित कार्यों के सचित्र साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे और जहां भी आवश्यक हो, लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सशक्त करने के लिए उपयोग किया गया।

1.2 योजना

सहभागी नियोजन समुदायों के लिए मिलकर काम करने का एक तरीका है, जिसके द्वारा वे समस्याओं की पहचान करते हैं, उन्हें हल करते हैं और वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएँ बनाते हैं। यह सतत विकास के लिए मनरेगा योजना के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनरेगा योजना समय पर रोजगार सृजन के लिए एक मांग आधारित कार्यक्रम है। जिसमें ग्राम पंचायतें (जीपी) अपने समुदायों के लिए बुनियादी ढांचे या गुणवत्ता संपत्ति बनाने के लिए अपनी जरूरतों की पहचान करेंगी।

मनरेगा योजना के नीतिगत ढांचे में एक बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण को संस्थागत रूप दिया गया है। मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग को आधारभूत सर्वेक्षण[8] एवं घर-घर वार्षिक सर्वेक्षण करना था। तदनुसार, कार्यों की मांग की मात्रा का अनुमान लगाने और भारत सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए एक श्रम बजट[9] (एलबी) तैयार करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान नियोजन प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं को अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है:

1.2.1 सर्वेक्षण न करना

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के अनुसार रोजगार की मांग की आवश्यकता एवं समय का आकलन करने के लिए आधारभूत आंकड़े तैयार करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड धारकों का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना था। ताकि ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड धारकों से श्रमिकों की मौसमी मांग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

आधारभूत मूल्यांकन ग्राम पंचायत एवं जिला के विकास योजना का एक अनिवार्य घटक होगा। विकास योजना मनरेगा के लिए एक वार्षिक योजना थी जिसे प्रत्येक ग्राम

---

8 परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के अनुसार, एक आधारभूत सर्वेक्षण किया जाना था और बाद में घरेलू सर्वेक्षण के भाग के रूप में प्रत्येक पांच वर्ष में कार्य की मांग का आकलन किया जाना था।

9 मनरेगा के तहत जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) हर साल दिसंबर के महीने में अगले वित्तीय वर्ष के लिए एल बी तैयार करेगा, जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक श्रम की अनुमानित मांग का विवरण और कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाने की योजना शामिल होगी।

पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिक जरुरतों के आधार पर ग्राम सभा के सुझाव को शामिल करते हुए प्रखंड और जिला स्तर पर समेकित करने के बाद तैयार किया जाना था।

इसके अलावा, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) द्वारा एक बहुवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी) तैयार की जानी चाहिए, जो विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के बीच अभिसरण के कार्यान्वयन के लिए एवं जिले के सभी क्षेत्रों के जरूरतों और कमियों की पहचान करेगी। इसके अलावा, योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में यह भी था कि जब कभी भी कार्यों की मांग उत्पन्न हो, तो योजना के अंतर्गत किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची संधारित किया जाय।

आधारभूत सर्वेक्षण के अलावा, परिचालन दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा हर साल घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते हैं।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि अनिवार्य रूप से आवश्यक होने के बावजूद 2019-2024 के दौरान नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में कोई आधारभूत सर्वेक्षण या घर-घर वार्षिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग की मात्रा और समय का वास्तविक आकलन करने के लिए अपेक्षित सूचना/आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव में, ग्राम पंचायतें आवश्यक कार्यों की प्रकृति और रोजगार की मांग के समय का पता नहीं लगा सकीं। जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएँ और एलबी की तैयारी प्रभावित हुई।

चूंकि विकास योजनाएं इस योजना को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इसके अभाव में, विभाग श्रम की मांग और सृजित रोजगार से अपेक्षित लाभों का पता नहीं लगा सका। अभिलेखों की जांच से यह भी पता चला है कि चुनिंदा जिलों में डीपीपी तैयार नहीं की गई थी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार कुछ अभिसरण कार्य जैसे बिरसा सिंचाई कुप, पीएमएवाई (ग्रामीण), आंगनवाड़ी का निर्माण आदि निष्पादित किए गए थे। इस प्रकार, योजनाओं और विकास कार्यों के अभिसरण के संदर्भ में जिलों में सभी क्षेत्रों की समग्र जरूरतों और कमियों की पहचान नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह भी देखा गया कि नियमित और व्यवस्थित घर-घर सर्वेक्षण के अभाव के कारण, पात्र और इच्छुक परिवारों के योजना के लाभों से वंचित रहने का जोखिम था। इसने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के मनरेगा के मुख्य उद्देश्य को कमजोर कर दिया।

1.2.2 श्रम बजट का तैयारी

मनरेगा योजना के लिए परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 6 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक रूप से श्रम बजट (एलबी) तैयार करके कार्य की समतुल्य मांग और आपूर्ति प्राप्त की जाएगी।

विभिन्न हितधारकों[10] के साथ परामर्श के माध्यम से लोगों की जरूरतों की पहचान की जानी थी और इस प्रकार पहचानी गई जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी थी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा सुझाई गई प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना था। इसके अलावा, एलबी तैयार करने से पहले, आजीविका के स्थानीय पैटर्न में परिवर्तन और उत्पादन गतिविधियों में काम के अवसरों को ध्यान में रखने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर काम की मांग का पुनर्मूल्यांकन हर पांच साल में एक बार किया जाना था, जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा एक विकास योजना और परियोजनाओं की शेल्फ[11] तैयार किया जाना था।

तथापि, श्रम बजट की निर्माण में विभिन्न कमियां/अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

1.2.2.1 श्रम बजट तैयार करने में समय-सीमा का पालन न करना

अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा 6 में कहा गया है कि मनरेगा के तहत डीपीसी हर साल दिसंबर के महीने में अगले वित्तीय वर्ष के लिए एलबी तैयार करेगी, जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्य की प्रत्याशित मांग का विवरण और कार्यक्रम के तहत आच्छादित किए गए कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी की योजना शामिल होगी।

इसके अलावा, डीपीसी को जिले में प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा परियोजनाओं के चयनित शेल्फ की योजना बनाने से लेकर अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित करना था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों को एलबी की समय पर और वास्तविक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध भागीदारी योजना क्रियाशील करने के लिए निर्देश जारी किए (सितंबर 2019)।

---

[10] मनरेगा श्रमिक, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), छोटे और सीमांत किसान, जलसंभर समितियाँ और कृषि श्रमिक

[11] उपलब्ध कार्यों की स्वीकृत सूची जो जीपी ने तैयार किया और काम की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दिया।

एलबी की तैयारी, जमा करने और अनुमोदन के लिए रोडमैप **चार्ट 3** में दिया गया है

चार्ट 3: श्रम बजट तैयार करने, प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए रोडमैप

ग्राम पंचायत स्तर	• 2 अक्टूबर तक श्रम बजट के लिए परियोजनाओं की शेल्फ सहित विकास योजना तैयार एवं अनुमोदित करना और इसे 5 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर पर प्रस्तुत करना
प्रखंड स्तर	ग्राम पंचायतों से ब्लॉक स्तर पर प्राप्त श्रम बजट को समेकित करना और इसे 20 दिसंबर तक डीपीसी को प्रस्तुत करना
जिला स्तर	•प्रखंड स्तर से प्राप्त श्रम बजट को समेकित करना और इसे 31 जनवरी तक राज्य को प्रस्तुत करना; •राज्य को स्वीकृत श्रम बजट 10 फरवरी तक भारत सरकार को प्रस्तुत करना; •भारत सरकार श्रम बजट को मंजूरी देती है और 31 मार्च तक राज्य को इसकी सूचना देती है।

छः चयनित जिलों में 48 चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से यह पाया गया कि किसी भी ग्राम पंचायत ने 2019-24 के दौरान एलबी के लिए प्रखंडों को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, इन प्रखंडों द्वारा संबंधित जिलों को एलबी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था ताकि बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन करके जिलावार एलबी को समेकित किया जा सके। भागीदारी के बिना, एलबी कार्य को विभाग के अनुमोदित बजट में संख्याओं को फिट करने के कार्य तक सीमित कर दिया गया था।

एलबी के संबंध में ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तरों पर योजना बनाने में इन कमियों का राज्य स्तरीय बजट योजना पर प्रभाव पड़ा जिस पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

इस पर ग्रामीण विकास विभाग (विभाग) ने कहा (अगस्त 2025) कि राज्य ने एलबी की तैयारी के संबंध में जिले को सलाह और दिशानिर्देश जारी किए थे।

1.2.2.2 अनुमानित और प्राप्त मानव दिवसों में अंतर

वार्षिक मास्टर परिपत्र के पैरा 6.1.1 के अनुसार, एलबी में अकुशल शारीरिक कार्य की मांग की प्रत्याशा के लिए योजना, अनुमोदन, वित्तपोषण और परियोजना निष्पादन के तौर-तरीके शामिल हैं। इसके अलावा, आरडीडी ने (प्रत्येक वर्ष) निर्देश जारी किए थे कि

किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले, काम की मांग का पता लगाने के लिए अनुमानित मानव दिवस'[12] (पीडी) तैयार करने हेतु एलबी को तैयार किया जाए।

जैसा कि ऊपरोक्त **कंडिका 1.2.2.1** में विस्तृत है, ग्राम पंचायत से प्रखंडों और फिर जिलों में एलबी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि आरडीडी ने जिलों से इनपुट प्राप्त किए बिना, स्वयं जिलावार पीडी का अनुमान लगाया और आवंटित किया। जमीनी स्तर से इनपुट की कमी और अवास्तविक मूल्यांकन के कारण लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जिलों में या तो पीडी की उपलब्धि में कमी थी (2020-21 के लिए 5.66 प्रतिशत और 2023-24 के लिए 7.94 प्रतिशत) या, पीडी का अतिरिक्त सृजन (2019-20 के लिए 2.59 प्रतिशत, 2021-22 के लिए 5.52 प्रतिशत और 2022-23 के लिए 3.09 प्रतिशत) था, जैसा कि **परिशिष्ट 1.2** में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, नरेगासॉफ्ट आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः तीन[13] और सात[14] चयनित प्रखंडों में संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों (पीओ) द्वारा पीडी का अनुमान नहीं लगाया गया था, जिससे श्रम मांग, धन के आवंटन और कार्यक्रम के तहत कार्यों के समय पर कार्यान्वयन का सटीक अनुमान प्रभावित हुआ।

इस प्रकार, घर-घर और बेसलाइन सर्वेक्षण न किए जाने के कारण, बॉटम-अप दृष्टिकोण का अभाव था और पीडी का अनुमान वास्तविक आधार के बिना किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित और सृजित पीडी के बीच अंतर था।

अनुशंसा 1: विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि परियोजनाओं की शेल्फ, विकास योजना और श्रम बजट तैयार करने में आवधिक सर्वेक्षण और बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाए, जैसा कि मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है।

1.2.3 जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन ना होना

मनरेगा योजना के लिए परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 4.4.3 में यह प्रावधान किया गया है कि तकनीकी मुद्दों और जिला स्तरीय विकास प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत और प्रखंड विकास योजनाओं की जांच करने के लिए एक जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति ग्राम पंचायतों और पंचायत सचिवों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची की जांच करेगी और मनरेगा के तहत सृजित की जा रही परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

[12] श्रमिकों के लिए सृजित रोज़गार के कार्य-दिवसों की संख्या

[13] गढ़वा, गुमला और नगर उंटारी

[14] बसिया, गढ़वा, गुमला, हिरनपुर, महागाम, नगर उंटारी और पाकुड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि मनरेगा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए सभी नमूना-जांचित जिलों में डीएलटीसी का गठन किया गया था। तथापि, इन समितियों के गतिविधि और कार्यों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, इन समितियों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका और कार्यों की लागत का अधिक/कम आकलन और समय में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने कहा (अगस्त 2025) कि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं।

1.2.4 रोजगार दिवस संचालन में कमी

परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 3.3 (i) में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में, जीपी को वर्तमान के साथ-साथ बाद की तिमाहियों के लिए संभावित श्रमिकों से काम के लिए सक्रिय रूप से आवेदन आमंत्रित करना चाहिए। रोजगार दिवस कार्य आवेदनों और संबंधित गतिविधियों जैसे सूचना को दर्शाना, कार्य का आवंटन, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान और शिकायत निवारण के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आरडीडी, जीओजे ने (जून 2020) संबंधित पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर हर सप्ताह गुरुवार को रोजगार दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 48 में से 14[15] नमूना-जांचित जीपी में कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया था। शेष 34 नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में, 2019-2024 के दौरान रोजगार दिवस के आयोजन में कमी 21 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच थी **(परिशिष्ट 1.3)**। ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन न किए जाने के कारण, मनरेगा योजना के संबंध में जागरूकता पैदा करने, जॉब कार्ड धारकों को औपचारिक रूप से काम मांगने का अवसर, शिकायत निवारण के अवसर आदि वांछित लाभार्थियों को प्रदान नहीं किए जा सके।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और सुनिश्चित किया (अगस्त 2025) कि रोजगार दिवस मानदंडों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

1.3 वित्तीय प्रबंधन

मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, जैसा कि **तालिका 3** में दर्शाया गया है।

[15] गिरिडीह प्रखंड- बजटो, बरहमोरिया, पिंडाटांड़; सरिया प्रखंड - चचाकी, कैलाटांड़, कुसुमाडीह; बसिया प्रखंड - कुम्हारी, ओरेया, पंथा, कलिगा; गुमला प्रखंड - अंबोआ, नावाडीह, कसीरा, कतरी

तालिका 3: भारत सरकार और राज्य के बीच हिस्सेदारी का अनुपात

(प्रतिशत में)

घटक का विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश
अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए मजदूरी	100	शून्य
कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	75	25
सामग्री की लागत	75	25
बेरोजगारी भत्ता/विलंबित मुआवजा	शून्य	100
प्रशासनिक व्यय	100	शून्य

वित्तपोषण का स्वरूप

इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा (सीएस) की राशि सामान्यतः दो किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त का निर्गमन सहमति से निर्धारित श्रम बजट के अनुसार आनुपातिक निधि आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, ताकि वित्तीय वर्ष[16] के पहले छः महीनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जबकि दूसरी किस्त का निर्गमन अव्ययित शेष राशि तथा वर्ष के दौरान सहमति से निर्धारित श्रम बजट के विरुद्ध वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। तदानुसार, वर्ष 2019-24 की अवधि में इस योजना के तहत राज्य में निधियों का प्रवाह **चार्ट 4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4: मनरेगा योजना के तहत निधि का प्रवाह

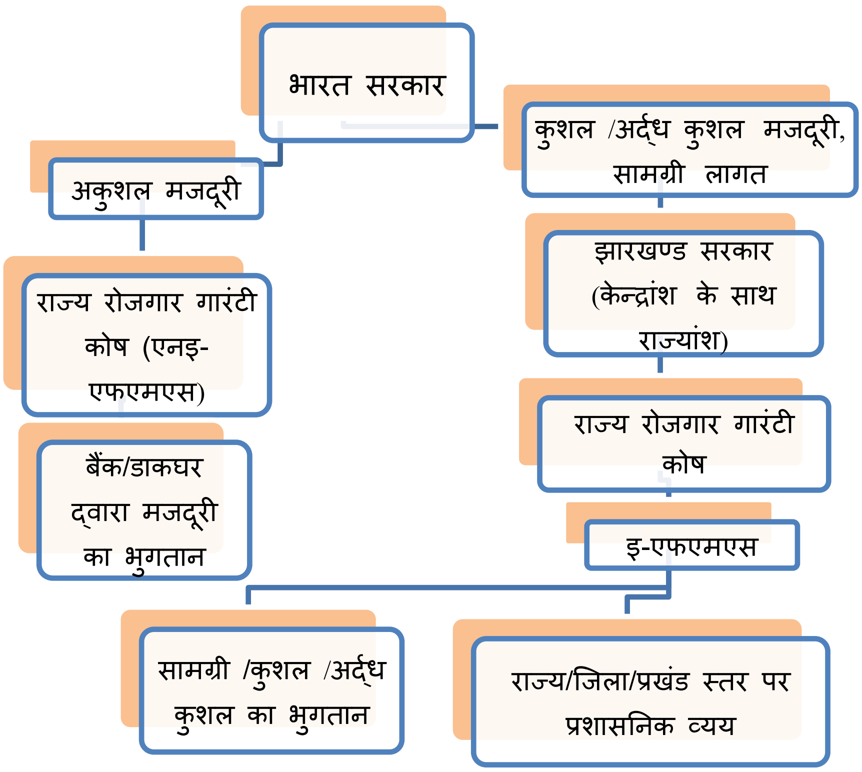

[16] पूरे वर्ष के लिए आवश्यक कुल निधि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित।

योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के वेतन के लिए निधि भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में राज्य रोजगार गारंटी कोष एनइ-एफएमएस[17] (एसइजीएफ एनइ-एफएमएस) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। भारत सरकार कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों तथा सामग्री पर लागत के लिए व्यय का 75 प्रतिशत भाग भी राज्य को दो किस्तों में जारी करती है। इसके पश्चात झारखण्ड सरकार इस 75 प्रतिशत राशि को, राज्य के अंश सहित, एसइजीएफ में हस्तांतरित करती है। कुशल/अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के वेतन तथा सामग्री के भुगतान श्रमिकों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के खातों में इ-एफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं।

1.3.1 निधियों का निर्गमन और व्यय

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्रों (01 फरवरी 2023 एवं 19 जुलाई 2022) के पैरा 2 के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय निधि प्राप्त होने के बाद अधिकतम 15 दिनों के अंदर (सामग्री मद के मामले में) तथा इन निधियों की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर (प्रशासनिक व्यय के मामले में) केन्द्रांश के साथ-साथ राज्यांश भी राज्य कोषागार से राज्य रोजगार गारंटी निधि (एनइ-एफएमएस) में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्थानांतरित करना अनिवार्य है।

वर्ष 2019-24 के दौरान झारखण्ड में जारी की गई निधियों तथा किए गए व्यय का विवरण **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4: जारी की गई धनराशि और किए गए व्यय

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी की गई धन राशि					कुल निर्गत राशि	कुल उपलब्ध राशि	किया गया खर्च			विविध व्यय	कुल व्यय	अंत शेष
		सामग्री		मजदूरी	प्रशासनिक	विविध*			सामग्री	अकुशल	प्रशासनिक			
		केन्द्रांश	राज्यांश	अकुशल (केन्द्रांश)	(केन्द्रांश)	प्राप्ति			केन्द्रांश + राज्यांश	मजदूरी	व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)	9(2+8)	10	11	12	13	14(10+11+12+13)	15 {9(-)14}
2019-20	140.98	327.14	88.40	948.68	0	685.05	2049.27	2190.25	513.82	1,095.43	78.75	398.76	2,086.76	103.49
2020-21	103.49	1024.67	300.00	2,404.56	0	891.63	4620.86	4724.35	799.31	2,268.85	82.22	1,372.50	4,522.88	201.47
2021-22	201.47	837.91	226.87	2,228.66	0	1,021.47	4314.91	4516.38	844.9	2,531.25	80.08	542.92	3,999.15	517.23
2022-23	517.23	518.46	149.26	2,204.68	0	43.79	2916.19	3433.42	618.18	2,223.82	102.23	151.3	3,095.53	337.89
2023-24	337.89	576.46	192.15	2,265.15	90.66	232.09	3356.51	3694.40	852.96	2,501.53	106.52	11.11	3,472.12	222.28
कुल		**3,284.64**	**956.68**	**10,051.73**	**90.66**	**2,874.03**	**17257.74**	**18558.80**	**3629.17**	**10,620.88**	**449.80**	**2,476.59**	**17,176.44**	**1,382.36**

(स्रोत: आरडीडी द्वारा प्रदान किया गया आंकड़ा)

**** विविध प्राप्ति में बैंक ब्याज और निधियों के अंतरण में विलंब के कारण राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा शामिल है।***

[17] एनइ-एफएमएस (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) - एक प्रणाली जिसका उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र सरकार से संबंधित राज्यों को धनराशि हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है।

अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के पास मनरेगा योजना के अंतर्गत कुल ₹18,558.80 करोड़ की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से ₹17,176.44 करोड़ का व्यय किया गया। इन पाँच वर्षों के दौरान अव्ययित राशि राज्य के पास उपलब्ध कुल निधि का चार से 11 प्रतिशत के बीच रही।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सामग्री घटक के अंतर्गत ₹1,356.37 करोड़ का केन्द्रांश जारी किया (₹837.91 करोड़ वर्ष 2021-22 में तथा ₹518.46 करोड़ वर्ष 2022-23 में)। इसमें से ₹ 231.83 करोड़ (₹153.87 करोड़ वर्ष 2021-22 में तथा ₹77.96 करोड़ वर्ष 2022-23 में) राज्य सरकार द्वारा एसइजीएफ में क्रमशः 40 दिन और 55 दिन की विलंब से जमा किए गए। अतः निधियों के निर्गमन में हुई इस विलंब के कारण राज्य सरकार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ₹ 3.43 करोड़ रुपया[18] का ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने (अगस्त 2025) बताया कि विलंब केवल स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से छः दिन की थी। विभाग का यह जबाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विलंब की गणना केंद्रीय निधि प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की सीमा के बाद की जानी चाहिए थी।

1.3.2 नरेगासॉफ्ट आंकड़े के साथ विभागीय आंकड़े की विसंगति

नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा 13(क) के अनुसार, अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक डोमेन में सक्रिय रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना से संबंधित आंकड़ों को एक कार्यप्रवाह-आधारित, वेब-सक्षम एप्लिकेशन नरेगासॉफ्ट[19] के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। यह वेब एप्लिकेशन क्षेत्र स्तर से वास्तविक समय में आंकड़ों के संकलन को सक्षम बनाता है, जिससे त्वरित एवं सरल विश्लेषण संभव होता है तथा क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करने वाले प्राधिकरणों को समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।

इसके अलावा, परिचालन दिशा-निर्देश 2013 के पैरा 13.5.1, 13.5.2 एवं 13.5.3 के अनुसार, प्रत्येक जिले के मनरेगा खातों तथा राज्य रोजगार गारंटी निधि के खातों का

---

[18] ₹ 77.96 करोड़ x 55 दिन/365 x 12/100 = 1.41 करोड़ और ₹ 153.87 करोड़ x 40/365 x 12/100 = ₹ 2.02 करोड़। विभाग द्वारा 2019-20, 2020-21 और 2023-24 से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

[19] नरेगासॉफ्ट एक वर्कफ़्लो-आधारित ई-गवर्नेंस प्रणाली है जो केंद्र/राज्य/जिला/प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा के तहत सभी गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है।

वार्षिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा या समकक्ष प्राधिकरण अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सी ए) द्वारा किया जाना अपेक्षित है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा या सीए, जैसा भी लागू हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित खातों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे, ताकि उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणित खातों तथा नरेगासॉफ्ट की प्रतिवेदनों की जांच से यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा निधि निर्गमन से संबंधित आंकड़ों और राज्य द्वारा किए गए संबंधित निर्गमन के बीच विसंगति थी। इसके अतिरिक्त, 2019-24 की अवधि के दौरान मजदूरी भुगतान, सामग्री/ कुशल/अर्द्ध-कुशल श्रमिकों से संबंधित व्यय के आंकड़ों में भी खातों और नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़े के बीच अंतर पाया गया। अंतर **तालिका 5 और 6** में दिए गए हैं।

तालिका 5: भारत सरकार से प्राप्त निधि, राज्यांश के निर्गमन एवं उस पर किए गए व्यय में विसंगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रमाणित खातों के अनुसार			नरेगासॉफ्ट के अनुसार			अंतर		
	केन्द्रांश	राज्यांश	विविध (केन्द्रांश + राज्यांश)	केन्द्रांश	राज्यांश	विविध (केन्द्रांश + राज्यांश)	केन्द्रांश	राज्यांश	विविध (केन्द्रांश + राज्यांश)
2019-20	1,275.82	88.40	685.05	1,311.15	88.40	36.97	-35.33	0	648.08
2020-21	3,429.23	300.00	891.63	3,489.84	0	17.11	-60.61	300	874.52
2021-22	3,066.57	226.87	1,021.47	2,724.56	0	0	342.01	226.87	1,021.47
2022-23	2,723.14	149.26	43.79	2,731.96	146.83	0.07	-8.82	2.43	43.72
2023-24	2,932.27	192.15	232.09	2,585.11	106.65	0	347.16	85.5	232.09

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट और प्रमाणित वित्तीय विवरण)

तालिका 6: योजना के घटक पर किए गए व्यय में विसंगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रमाणित खातों के अनुसार			नरेगासॉफ्ट के अनुसार			अंतर		
	मजदूरी	सामग्री	प्रशासनिक	मजदूरी	सामग्री	प्रशासनिक	मजदूरी	सामग्री	प्रशासनिक
2019-20	1,095.43	513.82	78.75	1,092.11	549.61	78.8	3.32	35.79	0.05
2020-21	2,268.85	799.32	82.22	2,268.36	799.46	82.57	0.49	0.15	0.35
2021-22	2,531.25	844.9	80.08	2,138.66	831.74	78.94	392.59	13.16	1.14
2022-23	2,223.82	618.18	102.23	2,207.91	618.09	103.42	15.91	0.09	1.19
2023-24	2,501.53	852.96	106.52	2,821.97	852.70	106.46	320.44	0.26	0.06

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट और प्रमाणित वित्तीय विवरण)

उपरोक्त विसंगतियाँ प्रमाणित लेखों और नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किए गए आँकड़ों के बीच सामंजस्य (समाशोधन) के अभाव को दर्शाती हैं। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक डोमेन

में वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता प्रभावित हुई तथा पारदर्शिता की कमी भी परिलक्षित हुई।

इसी प्रकार, नमूना-जांचित छः जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान हुए व्यय (**परिशिष्ट 1.4**) तथा वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के संबंध में प्रमाणित लेखों और नरेगासॉफ्ट में अपलोड किए गए आँकड़ों के बीच अंतर पाए गए (**परिशिष्ट 1.5**)।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्य स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) कहा कि जिलों के पास मनरेगा से संबंधित पृथक लेखा नहीं हैं, जिसके कारण नरेगासॉफ्ट में दर्ज आँकड़े प्रमाणित लेखों से भिन्न थे।

विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नरेगासॉफ्ट तथा प्रमाणित लेखा दोनों में ही आँकड़े जिलों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः दोनों में समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

1.3.3 सामग्री घटक के अंतर्गत कम निर्गमन

मनरेगा अधिनियम के अनुसार, योजना के सामग्री घटक हेतु 75 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्यांश से वहन किया जाना है। वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए स्वीकृति आदेशों एवं निधि निर्गमन की जांच से यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ₹4,633.94 करोड़ के विरुद्ध ₹1,349.30 करोड़ (29.12 प्रतिशत) की राशि का कम निर्गमन हुआ। इसी प्रकार, राज्यांश के अंतर्गत भी ₹ 521.32 करोड़ (35.27 प्रतिशत) की राशि का कम निर्गमन पाया गया, जैसा कि **तालिका-7** में विस्तृत है।

तालिका 7: सामग्री घटक के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से की मंजूरी और निर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश				राज्यांश			
	स्वीकृति	निर्गमन	कम निर्गमन	कम निर्गमन (प्रतिशत	स्वीकृति	निर्गमन	कम निर्गमन	कम निर्गमन (प्रतिशत
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(6-7)	9
2019-20	750.00	327.14	422.86	56	175.00	88.40	86.60	49
2020-21	981.97	1024.67	-42.70	(-)4	300.00	300.00	0.00	0
2021-22	981.97	837.91	144.06	15	363.00	226.87	136.13	38
2022-23	975.00	518.46	456.54	47	325.00	149.26	175.74	54
2023-24	945.00	576.46	368.54	39	315.00	192.15	122.85	39
कुल	**4,633.94**	**3,284.64**	**1,349.3**	**29**	**1,478.00**	**956.68**	**521.32**	**35**

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

यह देखा गया कि राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों ने स्वीकृत राशि की तुलना में कम धनराशि जारी की, जबकि सामग्री एवं कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान से संबंधित देयताएँ, जैसा कि **कंडिका 1.4.4** में उल्लेखित है, लंबित थीं।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कोई विशिष्ट जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

1.3.4 लंबित देनदारियां

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत लंबित मजदूरी देनदारियों का निपटान मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिए। नरेगासॉफ्ट के आंकड़ों की जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया:

(i) राज्य में वर्ष 2019-24 के दौरान अकुशल मजदूरी, अर्धकुशल/कुशल मजदूरी, सामग्री घटक तथा करों के संबंध में ₹603.91 करोड़ की देयता लंबित थी। लंबित देयताओं का विवरण **तालिका 8** में दिया गया है।

तालिका 8: बकाया देनदारियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अकुशल मजदूरी	अर्ध-कुशल/कुशल मजदूरी	सामग्री	टैक्स	कुल
2019-20	2.87	0.34	3.12	0.10	6.43
2020-21	3.96	0.36	14.58	0.53	19.43
2021-22	300.63	2.74	44.86	1.73	349.96
2022-23	7.01	4.20	66.87	2.37	80.45
2023-24	7.37	3.84	132.85	3.58	147.64
कुल	**321.84**	**11.48**	**262.28**	**8.31**	**603.91**

(स्रोत: विभागीय नरेगासॉफ्ट आंकड़ें)

जैसा कि **तालिका 8** से स्पष्ट है कि मार्च 2025 तक अकुशल मजदूरी के संबंध में ₹321.84 करोड़ तथा सामग्री के संबंध में ₹262.28 करोड़ की देयता का निपटान नहीं किया गया था।

आगे यह भी पाया गया कि:

(i) छः नमूना-जांचित जिलों में अकुशल/अर्धकुशल/कुशल मजदूरी, सामग्री एवं करों के संबंध में ₹218.58 करोड़ की देयता (मार्च 2025 तक) अपर्याप्त धनराशि के कारण लंबित थी (**परिशिष्ट 1.6**)।

(ii) चयनित 48 ग्राम पंचायतों में अकुशल/अर्धकुशल/कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री के संबंध में ₹13.61 करोड़ की देयता लंबित थी, जबकि चयनित प्रखंडों में अपर्याप्त धनराशि के कारण ₹49.43 करोड़ की देयता (मार्च 2025 तक) लंबित पाई गई।

अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने से उन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित होना पड़ा, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा योजना के अंतर्गत सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

1.3.4.1 अस्वीकृत लेन-देन का पुनः सृजन न किया जाना

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली ढांचा के अनुसार, कार्य एवं मस्टर रोल का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात ग्राम पंचायत/प्रखंड द्वारा फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) सृजित किए जाने थे, ताकि मजदूरी सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा सके। इसके अतिरिक्त, मनरेगा की परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 2.2.1(xiii) के अनुसार, प्रखंड स्तर पर पीओ नए बैंक/डाकघर खातों के खोलने हेतु बैंकों एवं डाकघरों से समन्वय स्थापित करने तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित सभी पत्राचार एवं संचार में ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला के बीच समन्वय के लिए उत्तरदायी थे।

वर्ष 2019-24 के दौरान यह पाया गया कि अकुशल श्रमिकों को मजदूरी भुगतान हेतु ₹231.09 करोड़ से सम्बंधित 42,45,281 एफटीओ अस्वीकृत हो गए। इसके प्रमुख कारण निष्क्रिय बैंक खाते, बैंक परिवर्तन, आईएफएससी कोड में भिन्नता, गलत बैंक खाते तथा लाभार्थियों के आधार का मैपिंग न होना था (**परिशिष्ट 1.7**)।

नरेगासॉफ्ट के आंकड़ों की जांच से यह पाया गया कि चयनित छः जिलों में संबंधित चयनित प्रखंडों के पीओ द्वारा ₹3.23 लाख का कुल 301 मजदूरी लेन-देन तथा ₹1.94 करोड़ का 2,584 सामग्री लेन-देन का पुनः सृजन लंबित था।

संबंधित प्रखंडों के पीओ द्वारा अस्वीकृत लेन-देन का समय पर पुनः सृजन न किए जाने से लाभार्थियों को मजदूरी के समय पर भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में लगातार अक्षमताओं को उजागर किया।

1.3.5 श्रमिकों को विलंब से भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 30 के प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की विलंब होने पर श्रमिक क्षतिपूर्ति के पात्र होते हैं। यह क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। मजदूरी प्राप्तकर्ताओं को मस्टर रोल बंद होने के 15वें दिन के बाद की विलंब पर प्रतिदिन बकाया मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति देय था।

चयनित छः जिलों में नमूना-जांचित 480 कार्यों में से 423 कार्यों के मस्टर रोल की जांच से यह पाया गया कि मजदूरी के भुगतान में एक दिन से लेकर 180 दिनों से अधिक तक की विलंब हुई, किन्तु किसी भी मामले में संबंधित श्रमिकों को विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई। मजदूरी भुगतान में विलंब की पुष्टि लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी हुई, जिसमें 480 में से 188 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें समय पर मजदूरी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तथा उन्हें विलंबित भुगतान के लिए कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी गई थी।

चयनित 423 कार्यों से संबंधित 4,300 मस्टर रोल की जांच में लेखापरीक्षा द्वारा ₹7,37,824 की क्षतिपूर्ति राशि की गणना की गई (**परिशिष्ट 1.8**)।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने (अगस्त 2025) लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया।

1.3.6 बेरोजगारी भत्ता प्रदान न किया जाना

परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 3.5 के अनुसार, यदि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का पात्र होता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर पंजी-III (मांग पंजी) का संधारण किया जाना था, जिसमें रोजगार की मांग एवं उपलब्ध कराए गए कार्य का विवरण दर्ज किया जाना था।

नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध एमआईएस के अनुसार, नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान 5,308 परिवारों (एचएच) को निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः राज्य सरकार द्वारा ₹5,05,075 की बेरोजगारी भत्ता राशि देय थी। इस संबंध में देय बेरोजगारी भत्ते तथा किए गए भुगतान का विवरण **तालिका 9** में दिया गया है।

तालिका 9: लाभार्थियों को देय बेरोजगारी भत्ता और भुगतान

(₹ में)

वर्ष	बेरोजगारी भत्ता देय	भुगतान की गई राशि	देय राशि
2019-20	89,145	0	89,145
2020-21	1,11,654	6,111	1,05,543
2021-22	37,350	506	36,844
2022-23	2,41,299	1,62,964	78,335
2023-24	25,627	19,128	6,499
कुल	**5,05,075**	**1,88,709**	**3,16,366**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ें)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 5,308 परिवारों को ₹5.05 लाख का बेरोजगारी भत्ता देय था, परंतु केवल ₹1.89 लाख का ही भुगतान किया गया था तथा ₹3.16 लाख की राशि अप्रैल 2025 तक लंबित रही।

नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि आवश्यक मांग पंजी (पंजी -III) का समुचित संधारण नहीं किया जा रहा था। अभिलेखों के अनुचित संधारण के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि कितने मामलों में निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया (मांग के विरुद्ध) तथा कितनी बेरोजगारी भत्ता राशि देय थी।

अभिलेखों के उचित संधारण के अभाव ने न केवल पारदर्शिता को प्रभावित किया, बल्कि लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने की आशंका भी उत्पन्न की।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने (अगस्त 2025) नरेगासॉफ्ट के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान न किए जाने संबंधी लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

अनुशंसा 2: विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकता है कि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम किया जाए। साथ ही, विभाग को मनरेगा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को विलंबित भुगतान के लिए बेरोजगारी भत्ते और क्षतिपूर्ति की शीघ्र गणना और जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.3.7 अप्रयुक्त शेष राशि का एसएनए खाते में हस्तांतरण

भारत सरकार के निर्देशों[20] के अनुसार, योजना हेतु सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) खोले जाने के पश्चात सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने खातों में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को एसएनए में वापस करना था। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संपूर्ण अप्रयुक्त राशि एसएनए में जमा कराई जाए। एसएनए को कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि तथा उनके द्वारा वापस की गई राशियों का अभिलेख भी संधारित करना था।

आरडीडी के वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के प्रमाणित खातों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों के पास ₹36.47 करोड़ की अप्रयुक्त राशि पड़ी थी, जिसे एसएनए में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

---
[20] पत्र संख्या एफ.न. 1 (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 तथा एफ.न 1 (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 08 दिसंबर 2021

अप्रयुक्त शेष राशि को एसएनए में वापस न करना, एसएनए की स्थापना के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करता है। अप्रयुक्त राशि का समय पर अंतरण से लंबित देयताओं के बोझ को उस सीमा तक कम किया जा सकता था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने (अगस्त 2025) बताया कि इस मामले की नियमित निगरानी की जा रही है तथा शेष राशि को वापस कराने हेतु जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

1.3.8 अस्वीकार्य व्यय

परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 12.5.6 के अनुसार, कुछ विशिष्ट मदों पर व्यय किया जाना वर्जित है, जैसे–वाहनों की खरीद, पुराने वाहनों की मरम्मत, सिविल कार्य, सरकार/पंचायती राज संस्थाओं/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पहले से नियोजित कार्मिकों के वेतन/मानदेय तथा कार्य हेतु सामग्री की खरीद। किसी भी स्थिति में इन व्ययों को मनरेगा के प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जाना था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चयनित तीन जिलों (गिरिडीह, गुमला एवं पाकुड़) में वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान ₹32.62 लाख की राशि पुराने वाहनों के रखरखाव, पुराने वाहनों के लिए टायर/बैटरी की खरीद, सरकार/पंचायती राज संस्थाओं/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पहले से नियोजित कार्मिकों के वेतन तथा अन्य अस्वीकृत मदों पर अनियमित रूप से व्यय की गई थी, जो योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है (**परिशिष्ट 1.9**)।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने (अगस्त 2025) उत्तर दिया कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा आवंटन प्राप्त होने पर उक्त राशि का समायोजन कर दिया जाएगा।

1.3.9 नकद शेष में विसंगतियाँ

गढ़वा जिले के वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के सीए द्वारा तैयार एवं प्रमाणित प्राप्ति एवं भुगतान खातों की जांच में पाया गया कि मंझिआव प्रखंड के मामले में कैशियर द्वारा संधारित रोकड़ बही तथा सीए की लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के बीच ₹78,27,923 की विसंगति थी। इस विसंगति के निराकरण हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने से सम्बंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था, जबकि यह अंतर वर्षों से जारी था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि पैनल में शामिल सीए को अंतर का मिलान करने का निर्देश दिया गया।

1.4 कार्यान्वयन और रोजगार सृजन

मनरेगा के मुख्य उद्देश्य इच्छुक परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना था, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करते हैं और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाना है। योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों / गतिविधियों के दायरे को व्यापक रुप से जल संरक्षण और संग्रहण, सूखा-रोधी, सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, ग्रामीण संपर्क और भूमि विकास आदि में वर्गीकृत किया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार केवल उन लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है, जिनके पास ग्राम पंचायत द्वारा जारी वैध जॉब कार्ड हैं।

लेखापरीक्षा में जॉब कार्ड जारी करने, अद्यतन करने और रखरखाव में अनियमितता पाया गया जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है

1.4.1 जॉब कार्ड जारी करने और अद्यतन करने में कमियां

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 में यह निर्धारित किया गया था कि किसी स्थानीय[21] परिवार के वयस्क सदस्य जो मनरेगा योजना के अंतर्गत अकुशल रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो संबंधित ग्राम पंचायत आवेदन प्राप्त होने के पखवाड़े के अंदर परिवार को जॉब कार्ड (जेसी) जारी करेगा। जॉब कार्ड[22], एक प्रमुख दस्तावेज है जो मनरेगा के तहत श्रमिकों के पात्रता को अभिलेखित करता है, कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और श्रमिकों को धोखाधड़ी से बचाता है। इसके अलावा, ग्राम रोजगार सेवक (जीआरएस) पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब कार्ड के वितरण, रोजगार आवेदनों के विरुद्ध दिनांकित रसीदें प्रदान करने, आवेदकों को कार्य का आवंटन आदि की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। जॉब कार्ड जारी करने की मुख्य प्रक्रिया **चार्ट 5** में दी गई है।

---

[21] स्थानीय का तात्पर्य जीपी के अंतर्गत रहने वाले और उस क्षेत्र के परिवारों से है जो कुछ समय पहले पलायन कर गए हो लेकिन लौट सकते हैं।

[22] जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की संख्या, विवरण (जैसे आयु और लिंग) शामिल हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, घरेलू सदस्य-वार कार्य मांग और आवंटन, किए गए कार्य का विवरण, तारीखें और दिनों तक काम किया गया, मस्टर रोल संख्या जिसके द्वारा मजदूरी का भुगतान किया गया है, भुगतान की गई मजदूरी की राशि और यदि कोई बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। जो वयस्क सदस्य आवेदक हैं या मनरेगा के तहत काम करने में रुचि रखते हैं, उनकी तस्वीरें जॉब कार्ड के साथ संलग्न की जानी चाहिए

चार्ट 5: जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया

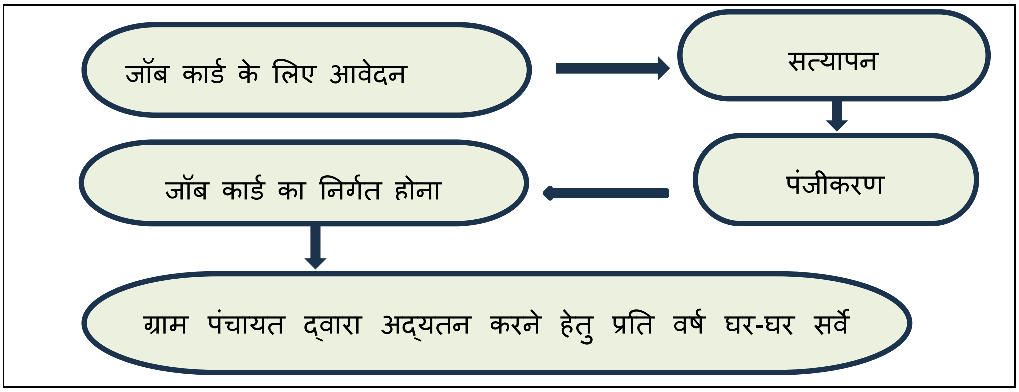

(स्रोत: परिचालन दिशानिर्देश, 2013)

2019-24 की अवधि के लिए मनरेगा के नरेगासॉफ्ट डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि नमूना-जांचित ग्राम पंचायत में योजना के तहत प्राप्त 59,195 आवेदनों के विरुद्ध 47,822 जॉब कार्ड जारी किए गए और आवेदन प्राप्त होने के बाद से 11 महीनों से छः वर्ष तक की विलंब के साथ 11,373 आवेदन अभी भी जारी होने के लिए लंबित हैं।

तालिका 10: चयनित ग्राम पंचायत में आवेदन के खिलाफ जॉब कार्ड जारी करने की स्थिति

जिलों का नाम	कुल आवेदन रसीद	जारी किए गए जॉब कार्ड	समय के भीतर जारी किया	जॉब कार्ड जारी करने में विलंब				जेसी विलंब से जारी किया गया	जारी नहीं किया गया (फरवरी 2025 तक)
				30 दिन तक	31 दिन से 90 दिन तक	91 दिन से 180 दिन तक	180 दिन से अधिक		
पूर्वी सिंहभूम	6,811	5,383	4,552	190	144	102	395	831	1,428
गढ़वा	17,351	13,925	9,680	838	872	497	2,038	4,245	3,426
गिरिडीह	10,274	8,886	6,817	480	386	257	946	2,069	1,388
गोड्डा	7,847	5,728	4,048	236	319	319	806	1,680	2,119
गुमला	7,277	6,489	3,812	414	476	252	1,535	2,677	788
पाकुर	9,635	7,411	4,877	290	336	308	1,600	2,534	2,224
कुल	**59,195**	**47,822**	**33,786**	**2,448**	**2,533**	**1,735**	**7,320**	**14,036**	**11,373**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

तालिका 10 से यह भी देखा गया कि आवेदकों को जॉबकार्ड जारी करने में निर्धारित 15 दिनों में से एक दिन से लेकर 180 दिन एवं अधिक समय तक की विशेष विलंब हुई। इन विलंबों की पुष्टि लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी हुई थी जहां यह नोट किया गया था कि 480 लाभार्थियों में से नौ को 16 से 30 दिनों की विलंब के साथ, 11 को 31 से 90 दिनों की विलंब के साथ, दो को 91 से 180 दिनों की विलंब के साथ और दो को 180 दिनों से अधिक के बाद जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

जॉब कार्ड जारी करने में विलंब के कारण, पात्र आवेदक रोजगार की मांग / लाभ उठाने में असमर्थ रहे, जिससे उन्हें समय पर मजदूरी आधारित आजीविका के अवसरों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया।

जॉब कार्ड में कार्ड नंबर, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण (जैसे आयु और लिंग) शामिल होना चाहिए जो काम करने के इच्छुक हैं, घर के सदस्य-वार कार्य की मांग और आवंटन, किए गए कार्य का विवरण, कार्य के लिए उपलब्ध तिथियां और दिन, वयस्क सदस्यों की तस्वीरें आदि। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना-जांचित ग्राम पंचायत के 480 मामलों में, जॉब कार्ड को लाभार्थियों द्वारा उपस्थिति, भुगतान और कार्य की मांग को दर्शाने के लिए अद्यतन नहीं किया गया था। 392 मामलों में जॉब कार्ड पर कोई भी चित्र नहीं लगी थी।

इसके अलावा, नमूना-जांचित 48 ग्राम पंचायत में 480 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि 364 लाभार्थियों के संबंध में भुगतान विवरण उनके जॉब कार्ड में अद्यतन नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने हाल ही में काम किया था।

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2025) कि राज्य ने सभी स्तरों पर मनरेगा पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से जॉब कार्ड जारी करने की सलाह दी थी।

1.4.2 जॉब कार्ड आवेदन पंजी का रखरखाव

परिचालन दिशानिर्देशों के कंडिका 10.3.5 में यह निर्धारित किया गया है कि पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर एक जॉब कार्ड पंजी बनाए रखा जाना था, क्योंकि यह योजना के कार्यान्वयन और निगरानी, मजदूरी के भुगतान आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि सभी 48 नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड पंजी नहीं बनाए गए थे। जॉब कार्ड पंजियों की अनुलब्धता के कारण लेखापरीक्षा प्राप्त आवेदनों की वास्तविक संख्या और ऐसे आवेदनों के विरुद्ध जारी किए गए जॉब कार्ड को सत्यापित नहीं कर सका। लेखापरीक्षा यह भी सत्यापित नहीं कर सका कि कितने कामगार बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए पात्र थे क्योंकि उन्हें निर्धारित 15 दिनों की अवधि के अंदर कोई काम नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, जॉब कार्ड पंजी के रखरखाव न होने के कारण कार्य के प्रावधान में विलंब या जॉब कार्ड धारकों को कार्य से वंचित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2025) कि जॉब कार्ड पंजियों के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

1.4.3 कार्यों का निष्पादन और रोजगार सृजन

कंडिका 7.12.5 के अनुसार मनरेगा के लिए भारत सरकार के वार्षिक मास्टर परिपत्र के अनुसार, मनरेगा के तहत प्रत्येक परियोजना / कार्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सूचीबद्ध प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक क्रमिक क्रम में एक कार्य संचिका बनाए रखी जानी चाहिए। इससे निष्पादन के दौरान और यहां तक कि पूरा होने के बाद भी परियोजना / कार्य की समीक्षा, निगरानी और लेखापरीक्षा की जा सकेगी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई 480 कार्यों के संबंध में अभिलेख की उपलब्धता की स्थिति **तालिका 11** में दी गई है।

तालिका 11: नमूना-जांचित कार्यों से संबंधित अभिलेखों की उपलब्धता

क्रम सं.	विवरण	नमूना-जांचित कुल कार्य	ग्राम पंचायतों के पास कार्य संचिकाओं में उपलब्ध है	ग्राम पंचायतों के पास कार्य संचिकाओं में उपलब्ध नहीं है
1	ग्राम सभा की मंजूरी	480	382	98
2	प्रशासनिक अनुमोदन	480	270	210
3	तकनीकी स्वीकृति	480	282	198
4.	तकनीकी अनुमान	480	336	144
5	भरे गए ई-मस्टर रोल	480	418 (215 कार्यों में आंशिक एमआर उपलब्ध हैं)	62
6	मापी पुस्तकें	480	349	131

नमूना-जांचित कार्य संचिकाओं में महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे तकनीकी अनुमानों, मंजूरी, मस्टर रोल, मापी पुस्तिकाएं और अभिश्रव की अनुलब्धता के प्रभाव को, नीचे चर्चा की गई है:

1.4.3.1 कार्य अनुमान

मनरेगा के लिए वार्षिक मास्टर परिपत्र के कंडिका 21.5.4 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य एसओआर आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए प्रखंड पंचायत / ग्राम पंचायत में जूनियर इंजीनियर / तकनीकी सहायक द्वारा अनुमान तैयार किए जाने थे।

नमूना-जांचित कार्य संचिकाओं की बारीकी से जाँच करने पर पता चला कि 2019-24 की अवधि के दौरान 48 नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों (जीपी) में मनरेगा के तहत शुरू किए गए 480 कार्यों में से 144 कार्यों के अनुमोदित कार्य अनुमान फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे। अनुमोदित कार्य अनुमानों के अभाव में, लेखापरीक्षा निष्पादित कार्य की मात्रा

की तुलना अनुमानित मात्रा से करके, विभिन्न मदों में आए अंतर को सत्यापित नहीं कर सकी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 48 नमूना-जांचित ग्राम पंचायत में, 2019-24 की अवधि के दौरान स्वीकृत राशि ₹9.91 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹8.45 करोड़ के व्यय पर 324 कार्य पूरे किए गए थे। इनमें से 28 कार्य स्वीकृत राशि से 40 से 73 प्रतिशत कम पर पूरे किए गए।

इस प्रकार, कार्यों की अनुमानित लागत और वास्तविक व्यय के बीच काफी भिन्नताएँ थीं, जो यह दर्शाती हैं कि या तो अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे, या निष्पादित कार्य निम्न स्तरीय थे।

1.4.3.2 माप पुस्तकें (एमबी):

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के कंडिका 7.13.2 में यह प्रावधान है कि माप अधिकारियों[23] द्वारा साप्ताहिक रूप से कार्यों का माप लिया जाना चाहिए और दर्ज किए गए माप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत[24] किया जाना चाहिए। सभी माप साप्ताहिक मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर लिए जाने थे और भुगतान मापी पुस्तिका में दर्ज कार्यों के माप के आधार पर किया जाना था।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के कंडिका 7.13.4 में यह निर्धारित किया गया है कि मापी पुस्तिकाओं में दर्ज किए गए माप को मापी पुस्तिका संख्या, पृष्ठ संख्या, माप तिथि और माप अवधि के साथ-साथ गतिविधि, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इकाई लागत, कुल लागत और कार्य के श्रम घटक जैसे विवरणों के साथ नरेगासॉफ्ट में भी दर्ज किया जाना चाहिए।

2019-24 के दौरान 48 नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में से 29 में अभिलेखों की जांच से पता चला कि 480 नमूना-जांचित कार्यों में से 131 के लिए मापी पुस्तिका कार्य फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि केवल भुगतान के प्रयोजनों के लिए, नरेगासॉफ्ट में मनमाने तरीके से मापी पुस्तिका नंबर दर्ज किया गया था (उदाहरण के लिए 0, 1 आदि)। इस प्रकार, मापी पुस्तिका की अनुपस्थिति और अनुचित संदर्भ के कारण, लेखापरीक्षा किए गए भुगतान की सटीकता और प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका।

इसके अलावा, जांच से पता चला कि पूर्ण कार्यों के मामले में, 341 नमूना-जांचित कार्य संचिकाओं में से 277 में एमबी उपलब्ध थे। 277 मापी पुस्तिका में से 256 मापी

---

[23] तकनीकी सहायक / ओवरसीयर / कनिष्ठ अभियंता

[24] सहायक अभियंता]

पुस्तिकाओं पर कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन इनमें से केवल 133 को सहायक अभियंताओं (एई) द्वारा प्रमाणित किया गया था। कई मामलों में (48) यह भी देखा गया कि जेई ने तारीखों के साथ हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिससे यह पता लगाना कठिन था कि माप निर्धारित अवधि के अंदर लिया गया था या नहीं।

1.4.3.3 अभिश्रव:

वार्षिक मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 7 के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री आपूर्ति अभिश्रव और संबंधित बिलों को कार्य संचिकाओं में रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन एजेंसियों के सभी आवश्यक अभिलेख उसमें संलग्न थे।

46 ग्राम पंचायतों में 265 कार्यों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि नरेगासॉफ्ट के परिसंपत्ति पंजी में सामग्री घटक के तहत ₹ 3.00 करोड़ (460 कार्यों से संबंधित) का व्यय दर्ज किया गया था, हालांकि, ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित कार्य संचिकाओं में ₹ 0.71 करोड़ के अभिश्रव उपलब्ध नहीं थे।

अभिश्रव की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा वास्तविक खरीद, खरीदी गई मात्रा और सामग्री की खपत को सत्यापित नहीं कर सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा 3: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदित अनुमानों, मापी पुस्तकों, मस्टर रोल और अभिश्रव सहित पूरी कार्य संचिकाएँ उचित रूप से रखी जाए और विधिवत प्रमाणित हो साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए नरेगासॉफ्ट में सख्ती से इनका मिलान किया जाए।

1.4.4 व्यय की अनियमित बुकिंग

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के कंडिका 7.13.3 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी माप कार्य-वार लिया जाना चाहिए ताकि कुछ भी अदृश्य और कम भुगतान न रहे।

मस्टर रोल, अभिश्रव और मापी पुस्तकों जैसे अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2019-24 की अवधि के दौरान पांच[25] नमुना-जांचित जिलों के 14 ग्राम पंचायत में 25 कार्यों में, हालांकि मापी पुस्तिका के अनुसार, कार्य अक्टूबर 2019 से जून 2024 की अवधि के बीच पूरे किए गए थे, लेकिन इन कार्यों को पूरा करने के बाद तैयार किए गए मस्टर रोल्स के आधार पर ₹12,19,225 का भुगतान किया गया था

[25] व् पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला और पाकुड़]

(परिशिष्ट 1.10)। इसी प्रकार, चार नमुना-जांचित जिलों[26] के सात ग्राम पंचायत में 70 कार्यों में से 11 में, संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज अंतिम माप के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद ₹12,95,175 मूल्य की सामग्री खरीदी गई थी **(परिशिष्ट 1.11)**। हालांकि, खरीदी गई सामग्री के विरुद्ध व्यय पहले ही नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर बुक किया जा चुका था। चूँकि अंतिम माप के बाद किसी कार्य के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया जा सकता है, इसलिए ₹25,14,400 का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसके अलावा 202 कार्यों के मामले में, लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि 2019-24 की अवधि के दौरान इन कार्यों के एमबी[27] में सामग्री विवरण तैयार नहीं किए गए थे, जिसके कारण खरीदी गई और उपयोग की गई सामग्री की मात्रा का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि विभाग ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

1.4.5 कार्यस्थल की सुविधाएं प्रदान न करना

परिचालन दिशानिर्देशों के कंडिका 7.12 में यह प्रावधान है कि कार्यस्थल पर श्रमिकों को चिकित्सा सहायता, पेयजल और छाया आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यदि छः वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी साइट पर महिला श्रमिकों के साथ जाते हैं और पांच या अधिक हैं, तो एक शिशुगृह प्रदान करने की भी आवश्यकता थी। दिशानिर्देशों के कंडिका 7.12.5 में कहा गया है कि कार्यस्थल सुविधाओं पर सभी व्यय को प्रशासनिक व्यय के हिस्से के रूप में बुक किया जाना चाहिए।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान (480 लाभार्थियों में से), निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया:

- 22 (5 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कहा कि कार्य स्थलों पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी
- 107 (22 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा सुविधा खराब थी
- 145 (30 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कहा कि कार्य स्थलों पर छाया का प्रावधान पर्याप्त नहीं था; और
- 316 (66 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कहा कि शिशु देखभाल सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

[26] पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला और पाकुड़]

[27] प्रत्येक कार्य के लिए, केवल एक माप पुस्तिका (एमबी) रखी गई थी, क्योंकि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के अनुमान अपेक्षाकृत कम मूल्य के थे। तदनुसार, 202 कार्यों के लिए 202 एमबी बनाए रखा गया था

ऐसी सुविधाओं के अभाव ने न केवल अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि श्रमिकों, विशेषकर महिला श्रमिकों की कार्य स्थिति, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने पर विभाग ने कहा कि श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर कार्यस्थल सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिलों और क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों को दिशानिर्देश (दिसंबर 2024) जारी किए गए हैं।

1.4.6 कार्य संचिकाओं में भौतिक ई-एमआर की अनुपस्थिति और मजदूरी के भुगतान में विसंगतियां

मनरेगा योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि कार्य शुरू करने से पहले, कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) को कार्य शुरू करने के इरादे की घोषणा की तारीख से तीन दिनों के भीतर ई-मस्टर रोल[28] (ई-एमआर) जारी करना आवश्यक है। ई-एमआर को पीओ द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत को जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद उपस्थिति केवल ई-एमआर में ग्राम रोजगार सेवक (जी आर एस) द्वारा तैयार की जाएगी, जिस पर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और अधिकृत किया गया हो। इसके अलावा, कंडिका 7.12.5 मनरेगा के लिए वार्षिक मास्टर परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि कार्य की प्रत्येक मस्टर अवधि के लिए भरे गए ई-एमआर की प्रतियां, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित हो और यह केस रिकॉर्ड / कार्य संचिका में रखी जानी चाहिए।

नमूना-जांचित जिलों में अभिलेखों के जांच से पता चला कि 22 नमूना-जांचित ग्राम पंचायत में 480 नमूना-जांचित कार्यों में से 62 के कार्य फाइलों में ई-एमआर उपलब्ध नहीं थे, जबकि ये 418 कार्य संचिकाओं में से केवल 215 में आंशिक रूप से उपलब्ध थे। यह भी देखा गया कि नरेगासॉफ्ट में लिए गए ई-एमआर के आधार पर भुगतान किया जा रहा था।

कार्य संचिकाओं में ई-एमआर की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा भौतिक ई-एमआर पर ली गई उपस्थिति के विरुद्ध भुगतान को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि भौतिक ई-एमआर पर चिह्नित उपस्थिति का विवरण ग्रामीण रोजगार सेवक द्वारा मैन्युअल रूप से नरेगासॉफ्ट में दर्ज किया जा रहा था। इससे वेतन वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही पर चिंताएं बढ़ सकती हैं।

[28] ई-मेस्टर रोल में उन श्रमिकों के नाम पहले से मुद्रित होते हैं जिन्होंने रोजगार की मांग की है और उन्हें एक विशेष कार्य आवंटित किया गया है।

इसके अलावा, 35 ग्राम पंचायत में 179 नमूना-जांचित कार्यों की कार्य संचिकाओं में उपलब्ध भौतिक ई-एमआर के साथ नरेगासॉफ्ट के ई-एमआर की क्रॉस चेकिंग से नीचे चर्चा किए गए अनुसार मजदूरी के कम / अधिक भुगतान और गैर-भुगतान के मामले सामने आए हैं:

1.4.6.1 श्रमिकों को मजदूरी का कम भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन[29] चयनित जिलों के 15 नमूना-जांचित ग्राम पंचायत के अंतर्गत 49 कार्यों के मामले में, 2019-24 के दौरान 551 मजदूरों को तैनात किया गया था। मजदूरों को कार्य संचिका में ई-एमआर की भौतिक प्रति में उपस्थित चिह्नित किया गया था, और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान विधिवत दर्ज और प्रमाणित किए गए थे। ई-एमआर की भौतिक प्रति के अनुसार, श्रमिकों को उनकी उपस्थिति के विरुद्ध में ₹10.06 लाख का वेतन देय था। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नरेगासॉफ्ट के माध्यम से उत्पन्न भुगतान आदेशों के अनुसार मजदूरों को केवल ₹6.75 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उनकी दर्ज उपस्थिति के विरुद्ध 1,291 मानव-दिवसों के काम के लिए ₹3.30 लाख का कम भुगतान हुआ।

नरेगासॉफ्ट और भौतिक अभिलेखों के बीच आंकड़ा विसंगतियों को उजागर करने के अलावा, हकदार मजदूरी से कम भुगतान करने से श्रमिकों को वित्तीय कठिनाई का जोखिम था, साथ ही योजना की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

1.4.6.2 श्रमिकों को मजदूरी का अधिक भुगतान

इसी तरह लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच[30] चयनित जिलों के 14 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 29 कार्यों में, 2019-24 की अवधि के दौरान 125 मजदूरों को नियोजित किया गया था और ई-एमआर की 41 भौतिक प्रतियों में चिह्नित उनकी उपस्थिति के विरुद्ध उन्हें ₹2.04 लाख की मजदूरी का भूगतान किया जाना था। हालाँकि, यह देखा गया कि इन 125 मजदूरों को नरेगासॉफ्ट पर उत्पन्न भुगतान आदेशों के माध्यम से ₹3.08 लाख का वेतन दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 454 मानव दिवसों के लिए ₹1.04 लाख का अतिरिक्त वेतन भुगतान हुआ। यह अधिक भुगतान ग्राम रोजगार सेवक द्वारा नरेगासॉफ्ट प्रणाली में बढ़ी हुई उपस्थिति के मैनुअल प्रविष्टि के कारण हुआ था, जिससे श्रमिकों को मजदूरी का अधिक वितरण हुआ।

[29] पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और गुमला

[30] पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला और पाकुड़

यह भी देखा गया कि गुमला और पूर्वी सिंहभूम जिलों के तीन जीपी में, आठ कार्यों में 192 मानव दिवस के विरुद्ध 41 श्रमिकों को ₹0.49 लाख का वेतन दिया गया था, हालांकि, कार्य संचिका में संलग्न ई-एमआर की भौतिक प्रति के अनुसार श्रमिक अनुपस्थित पाए गए। यह नोट किया गया कि इन श्रमिकों ने एक भी दिन काम नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप अनुचित वित्तीय लाभ हुआ, साथ ही ई-एमआर में उनके नाम के विरुद्ध बढ़ी हुई कार्य दिवसों के होने से धोखाधड़ी से भुगतान की संभावना भी बढ़ गई।

1.4.6.3 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः[31] चयनित जिलों के 34 ग्राम पंचायत के अतर्गत 144 नमूना-जांचित कार्यों के मामले में, मनरेगा से संबंधित कार्यों के लिए 970 मजदूरों को नियोजित किया गया था। इन मजदूरों को ई-एमआर की भौतिक प्रति में उपस्थित दिखाया गया था और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी दर्ज और प्रमाणित किए गए थे। भौतिक ई-एमआर के अनुसार, इन श्रमिकों को 6,101 संख्या में मानव दिवसों (PDs) की उपस्थिति के लिए ₹13.91 लाख की मजदूरी देय थी। हालांकि, नरेगासॉफ्ट में उनकी उपस्थिति दर्ज न होने और संबंधित भुगतान आदेशों के सृजन की कमी के कारण उक्त मानव दिवसों के लिए मजदूरों को लागू मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, श्रमिकों को किए गए काम के बदले उनकी वैध मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे मनरेगा योजना के इच्छित उद्देश्यों पर असर पड़ा।

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2025) कि सभी संबंधित अधिकारियों को नरेगासॉफ्ट में भौतिक ई-मस्टर रोल के आधार पर ही जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए थे।

अनुशंसा 4: विभाग को नरेगासॉफ्ट में प्रविष्टियों के साथ भौतिक ई-एमआर का मिलान सुनिश्चित करना चाहिए, कार्य संचिकाओं में पूर्ण ई-एमआर बनाए रखना चाहिए, और मजदूरी के कम भुगतान, अधिक भुगतान या गैर-भुगतान को रोकने के लिए विसंगतियों के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।

1.4.7 मनरेगा के तहत कार्य निष्पादन

मनरेगा योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों, 2013 के कंडिका 1.2 के अनुसार, ग्रामीण परिवारों के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और रोजगार सृजन द्वारा आजीविका सुरक्षा मनरेगा योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इस योजना में टिकाऊ परिसंपत्तियाँ निर्मित करके ग्रामीण क्षेत्रों को रूपांतरित करने की क्षमता है, जिससे न केवल ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढाँचे का भी पर्याप्त विकास होगा।

[31] पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और पाकुड़।

राज्य में मनरेगा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की कुल संख्या की स्थिति **तालिका 12** में दी गई है।

तालिका 12: स्वीकृत कार्यों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नरेगासॉफ्ट के अनुसार किए जाने वाले कार्यों की संख्या	पूरे किए गए कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	शुरू नहीं किए गए कार्यों की संख्या	अधूरे कार्य पर किया गया व्यय	शुरू न किए गए कार्यों का प्रतिशत
2019-20	11,34,671	3,53542	5,77,494	2,03,635	48.02	18
2020-21	20,32,932	4,97,356	11,36,826	3,98,750	267.41	20
2021-22	24,33,835	5,40,737	13,67,320	5,25,778	422.68	22
2022-23	23,29,156	7,17,322	10,21,984	5,89,850	554.23	25
2023-24	23,37,890	6,87,087	9,17,868	7,32,935	1,340.77	31
कुल	**1,02,68,484**	**27,96,044**	**50,21,492**	**24,50,948**	**2,633.11**	**24**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ें)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2019-24 के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कुल 1,02,68,484 कार्यों में से केवल 27,96,044 (27 प्रतिशत) ही पूरे हुए और मार्च 2024 तक ₹ 2,633 करोड़ के व्यय के बाद 50,21,492 (49 प्रतिशत) अपूर्ण पड़े थे। विभाग योजना बनाने के बाद भी 24 प्रतिशत कार्यों में काम शुरू नहीं कर पाया।

इसके अलावा, वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित छह जिलों में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण और शुरू नहीं किए गए कार्यों की स्थिति **तालिका 13** में दी गई है।

तालिका 13: चयनित जिलों में कार्यों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जिला	नरेगासॉफ्ट के अनुसार निष्पादित किया जाने वाला कार्य	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों पर व्यय	पूर्ण नहीं किए गए / निलंबित कार्यों की संख्या	अधूरे कार्यों पर व्यय	शुरू नहीं किए गए कार्यों की संख्या
पूर्वी सिंहभूम	4,46,104	1,13,374	358.19	1,87,980	74.28	1,44,750
गढ़वा	7,87,951	2,35,505	1,024.39	3,74,218	211.44	1,78,228
गिरिडीह	7,94,840	2,18,560	1,049.18	3,89,109	228.831	18,7171
गोड्डा	3,36,133	86,202	512.61	1,75,496	142.14	74,435
गुमला	1,19,187	63,095	263.35	34,743	247.23	21,349
पाकुड़	1,20,130	80,208	136.44	18,806	49.74	21,116
कुल	**26,04,345**	**7,96,944**	**3,344.16**	**11,80,352**	**953.66**	**6,27,049**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकडे)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में कुल 26,04,345 कार्यों में से, मार्च 2024 तक केवल 7,96,944 (30.60 प्रतिशत) कार्य

ही पूर्ण हो पाए थे। वहीं, 11,80,352 (45.32 प्रतिशत) कार्य या तो अपूर्ण पड़े थे या उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 6,27,049 (24.08 प्रतिशत) कार्य स्वीकृति मिलने के बाद भी शुरू नहीं किए जा सके।

इसके अलावा, जाँच किए गए ग्राम पंचायतों में, 2019-24 के दौरान शुरू किए गए 61,276 कार्यों में से 37,401 कार्य पूर्ण हुए, 9,061 कार्य अपूर्ण रहे, 10,548 कार्य शुरू नहीं किए गए, तथा 4,266 कार्यों को छोड़ दिया गया या निलंबित कर दिया गया **(परिशिष्ट 1.12)**।

लेखापरीक्षा के दौरान, विस्तृत जाँच के लिए 480 कार्यों का चयन किया गया था, जिनमें यह पाया गया कि 341 कार्य ₹10.32 करोड़ की अनुमानित लागत पर शुरू किए गए थे तथा ₹8.87 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुए। इसके अलावा, 141 कार्य जो ₹4.93 करोड़ की अनुमानित लागत पर शुरू किए गए थे, वे ₹2.72 करोड़ खर्च होने के बावजूद (जनवरी 2025 तक) 12 से 70 महीनों की अवधि से अपूर्ण पड़े रहे।

नवंबर 2024 एवं फरवरी 2025 के बीच 48 चयनित ग्राम पंचायतों में मुखिया, ग्राम रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव की उपस्थिति में 480 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था। इस सत्यापन के आधार पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर निम्नवत कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

1.4.7.1 अपूर्ण कार्य

गढ़वा प्रखंड के महुलिआ गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण का कार्य ₹6.12 लाख की लागत से (मार्च 2017 में) स्वीकृत किया गया था, जिसे पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 तय की गई थी। इस कार्य पर अब तक ₹3.14 लाख का व्यय किया जा चुका है, जिसमें से ₹71,364 मजदूरी पर खर्च किए गए। लेखापरीक्षा के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2024), में यह पाया गया कि ₹3.85 लाख का व्यय करने के बाद और कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि से सात वर्ष बीत जाने के बावजूद, यह कार्य अभी भी अपूर्ण है। नीचे दी गई चित्र अपूर्ण कार्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है:

चित्र 1: गढ़वा में आंगनबाडी केंद्र का अपूर्ण निर्माण

1.4.7.2 वृक्षारोपण कार्य पर निरर्थक व्यय

पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला प्रखंड की आसना ग्राम पंचायत में "उपेन मानकी की एक एकड़ भूमि पर आम के बागान" के कार्य के लिए जून 2021 में ₹ 3.73 लाख की अनुमानित लागत पर तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना के तहत बागान के चारों ओर पशु संरक्षण खाई (सीपीटी) के साथ कुल 112 आम के पौधे और 80 टिम्बर के पेड़ लगाए जाने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना पर कुल ₹ 1.32 लाख [32] का व्यय किया जा चुका है। दिसंबर 2024 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उस स्थान पर न तो आम के पौधे मिले और न ही टिम्बर के पेड़। इसके बजाय, उसी भूमि पर एक तालाब का निर्माण किया हुआ था, जिससे ₹ 1.32 लाख का पूरा खर्च निरर्थक हो गया और लाभार्थियों को आजीविका प्रदान करने का उद्देश्य विफल रह गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए निर्मित तालाब का स्थान नीचे दिए गए चित्र में दिया गया है:

[32] वेतन-₹ 97,569 और सामग्री- ₹ 34,049

चित्र 2: आसना जीपी में आम के बागान के स्थान पर तालाब का निर्माण किया गया था

1.4.7.3 तालाबों के निर्माण पर निरर्थक व्यय

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो[33] चयनित जिलों में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए तीन तालाब या तो अस्तित्व में नहीं थे या उपयोग में नहीं थे। **केस स्टडी 1** एवं **2** में मामलों के विवरण पर चर्चा की गई है।

केस स्टडी- 1

नगर उंटारी प्रखंड (गढ़वा जिला) की पिपरडीह ग्राम पंचायत में "विजया देवी की भूमि पर तालाब निर्माण" का कार्य हेतु अक्टूबर 2020 में ₹ 4,99,336 की राशि के साथ तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया था। यह कार्य दिसंबर 2020 में शुरू हुआ और इसे अक्टूबर 2021 तक पूरा किया जाना था।

चित्र 3: गढ़वा के जीपी पिपरडीह में विजया देवी की जमीन पर तालाब का निर्माण

जून 2021 तक इस पर ₹3,29,914 का व्यय किया गया, जो पूरी तरह से मजदूरी पर खर्च हुआ था। हालांकि, फरवरी 2025 में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर कोई तालाब नहीं पाया गया। इस प्रकार, कार्य पर किया गया ₹3.30 लाख का पूरा खर्च व्यर्थ साबित हुआ (जैसा कि तस्वीर 3 से स्पष्ट है), और साथ ही यह योजना के तहत टिकाऊ संपत्ति बनाने के मूल उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर सका।

[33] गढ़वा एवं गोड्डा

केस स्टडी- 2

गोड्डा जिले के अंतर्गत अमुवार संथाली ग्राम पंचायत में अर्जुन बेसरा की भूमि पर तथा भटोंधा ग्राम पंचायत में झुमरी किस्कू की भूमि पर "तालाब निर्माण" के लिए क्रमशः फरवरी 2023 और दिसंबर 2021 में तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इन कार्यों की अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 5 लाख और ₹ 4.99 लाख थी। अर्जुन बेसरा का कार्य दिसंबर 2024 में ₹ 4.56 लाख की कुल लागत पर संपन्न हुआ, जबकि झुमरी किस्कू से संबंधित दूसरा कार्य जुलाई 2023 में ₹ 4.27 लाख के खर्च पर पूरा किया गया। यह देखा गया कि इन दोनों कार्यों पर हुआ कुल ₹ 8.83 लाख का व्यय पूरी तरह से मजदूरी पर किया गया था।

जनवरी 2025 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि दोनों तालाब घनी झाड़ियों से घिरे हुए थे और उनमें पानी नहीं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन तालाबों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, इन योजनाओं पर खर्च किए गए ₹ 8.83 लाख पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुए।

चित्र 4: अर्जुन बेसरा का तालाब

चित्र 5: झुमरी किस्कू का तालाब

इस प्रकार, भारी व्यय के बावजूद, मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार टिकाऊ संपत्ति बनाने, भूमि की उत्पादकता में सुधार करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और सतत् प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के प्रयासों के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2025 में) यह बताया कि लाभार्थियों की रुचि में कमी, सामग्री के लिए धन की अनुपलब्धता और स्थानीय स्तर पर विवादों के कारण नियोजित कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका। विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन कारकों का आकलन नियोजन के चरण में ही किया जाना चाहिए था। ऐसा करने में विफलता अपर्याप्त नियोजन और योजना के कमजोर कार्यान्वयन को उजागर करती है। इसके अलावा, निरर्थक व्यय के संबंध में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2025) परन्तु विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

1.4.8 संदिग्ध निष्पादित कार्य

1.4.8.1 संदिग्ध वृक्षारोपण कार्य

झारखण्ड में ग्रामीण परिवारों को बेहतर आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए मनरेगा योजना के साथ मिलाकर बिरसा हरित ग्राम योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत कुल 112 आम के पौधे और 80 टिम्बर के पेड़ लगाए जाने हैं, जिसके चारों ओर बागान की सुरक्षा के लिए पशु संरक्षण खाई (सीपीटी)[34] का निर्माण अनिवार्य है।

नारेगासॉफ्ट आंकड़ों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि गुमला जिले की नमूना-जांचित आठ ग्राम पंचायतों[35] में, फरवरी 2020 और जुलाई 2023 के बीच 31 बागानों (आम और टिम्बर दोनों को मिलाकर) के लिए ₹108.34 लाख[36] की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। दिसंबर 2024 तक इन 31 बागानों पर कुल ₹49.68 लाख[37] का व्यय किया गया था। इसमें वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान ₹22.83 लाख (1,305 मानव-दिवस) टिम्बर के पौधों के लिए गड्ढे खोदने, कंपोस्ट पिट बनाने और सीपीटी के निर्माण एवं उसकी ड्रेसिंग पर तथा ₹3.94 लाख[38] (72 मानव-दिवस) जलकुंड की खुदाई और उससे संबंधित सामग्रियों पर व्यय किए गए थे **(परिशिष्ट 1.13)**।

हालांकि, लेखापरीक्षा और मुखिया/जीआरएस/पंचायत सचिव द्वारा नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच, 31 बागान स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, वहां कोई सीपीटी, कंपोस्ट पिट या जलकुंड निर्मित नहीं पाया गया और टिम्बर के पौधे भी गायब थे जिसके कारण, इनसे संबंधित ₹26.77 लाख का व्यय पूरी तरह से संदिग्ध साबित होते है।

इस प्रकार, अधिकारी योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उन कार्यों के लिए भी भुगतान कर दिया गया जो वास्तव में किए ही नहीं गए थे।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2025 में) इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि बागान स्थलों में आवश्यक सुधार/संशोधन करने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

---

[34] पशु संरक्षण खाई आम और टिम्बर के पौधों के चारों ओर खोदी गई एक संकरी खाई होती है, ताकि मवेशियों को बागान में प्रवेश करने और पौधों को नुकसान पहुँचाने से रोका जा सके।

[35] गुमला प्रखंड - कसीरा, नवाडीह, अम्बुआ, कटरी; बसिया प्रखंड - कुम्हारी, पन्था, ओरिया, कलिगा

[36] वेतन: ₹ 78.92 लाख, सामग्री: ₹ 29.14 लाख और आकास्मिकताएं: ₹ 0.28 लाख

[37] वेतन: ₹ 39.12 लाख, सामग्री: ₹ 10.56 लाख

[38] वेतन: ₹ 1,25,964 और सामग्री: ₹ 2,67,877

1.4.9 मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गौशाला निर्माण

आयुक्त, मनरेगा के निर्देशों[39] के अनुसार, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (एमपीवीवाई) और मनरेगा के अभिसरण के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच गौशालाओं का निर्माण किया जाना था, जिसमें जरूरतमंद लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जानी थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में झारखण्ड सरकार द्वारा जारी योजना के मॉडल अनुमान के अनुसार, पाँच गायों के लिए गौशाला निर्माण की अनुमानित लागत ₹1.51 लाख थी।

नमूना-जांचित पाँच[40] जिलों की चुनिंदा ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पंचायतों की संख्या (51) के आधार पर केवल 255 गौशालाओं की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बजाय कुल 2,795 गौशालाओं का निर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹15.96 करोड़ की लागत से 2,540 अतिरिक्त गौशालाओं का निर्माण हुआ, जो एमपीवीवाईके आवश्यकता-आधारित कार्यान्वयन के विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है।

इसके अलावा, पाँच जिलों की 19 ग्राम पंचायतों में 24 गौशालाओं का दिसंबर 2024 एवं फरवरी 2025 के दौरान किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित बातें सामने आईं।

- पाकुड़ जिले में आठ और गुमला जिले में दो गौशालाएँ, जिनका निर्माण वर्ष 2021-22 के दौरान ₹14.27 लाख की लागत से किया गया था, अपने निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों के लिए उपयोग में पाई गईं। जहाँ नौ गौशालाओं का उपयोग लाभार्थियों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, वहीं एक का उपयोग भंडारण के लिए किया जा रहा था।

चित्र 6: पाकुड़ जिले में गौशाला का उपयोग आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा था

चित्र 7: गुमला जिले में गौशाला का उपयोग भंडारण के लिए किया जा रहा था.

[39] पत्रांक सं.- 16-301/श्रम बजट/2018/ग्रा0 वि0/ (एन)/154 दिनांक 03-02-2021

[40] गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला एवं पाकुड़

- गुमला जिले में 2021-22 के दौरान निर्मित दो गौशालाओं में, लागू प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए, छत के निर्माण के लिए गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन (जीसीआई) शीट के बजाय बाँस/एस्बेस्टस शीट का उपयोग किया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाँस या एस्बेस्टस के बजाय, जीआई पाइप/ जीसीआई शीट के लिए निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया गया था, जो ₹44,160 का संदिग्ध भुगतान को दर्शाता है।

चित्र 8: गुमला जिले में बांस और एस्बेस्टस शीट से किया गया गौशाला का निर्माण

चित्र 9: गुमला जिले में बांस और एस्बेस्टस शीट से किया गया गौशाला का निर्माण

- गुमला जिले में 2021-22 के दौरान निर्मित एक गौशाला, भौतिक सत्यापन के दौरान जीर्ण-शीर्ण स्थिति में देखी गई, जिसकी छत और फर्श पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

चित्र 10: गुमला जिले में जर्जर हालत में गौशाला

इस प्रकार, मनरेगा के साथ तालमेल में एमपीवीवाई के तहत खराब निष्पादन ने आजीविका वृद्धि के उद्देश्यों को विफल कर दिया और साथ ही गैर-टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने तथ्य को स्वीकार करते हुए यह उत्तर (अगस्त 2025) दिया कि लाभार्थियों को निर्मित गौशालाओं में पशुपालन कार्य करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह 2,540 अतिरिक्त गौशालाओं के निर्माण, निम्न स्तरीय सामग्री के उपयोग और गैर-टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन है।

1.4.10 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 9.3.1 और 9.3.4 के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना के उद्देश्यों के लिए कमजोर व्यक्तियों की एक विशेष श्रेणी माना जाना था। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वे उन विशिष्ट कार्यों की पहचान करें जो इस योजना के तहत दिव्यांगों और कमजोर व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सृजित रोजगार का विवरण, जैसा कि नरेगासॉफ्ट में दर्ज है, **तालिका 14** में दिया गया है -

तालिका 14: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन

वित्त वर्ष	पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या जिन्हें काम दिया गया	मानव दिवसों की संख्या	दिव्यांगों को काम मिलने का प्रतिशत	काम पाने वाले प्रति दिव्यांग का औसत दिन
2019-20	45,098	6,120	2,21,412	13.57	36
2020-21	45,089	9,783	3,47,508	21.69	36
2021-22	49,307	8,869	3,08,993	17.98	35
2022-23	30,500	7,226	2,48,902	23.69	34
2023-24	32,258	7,127	3,04,420	22.09	43

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ें)

तालिका 14 से यह स्पष्ट है कि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार 13.57 से 23.69 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किए गए रोजगार के औसत मानव दिवस 34 और 43 के बीच रहे।

चयनित छः जिलों में यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मनरेगा के तहत पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार, कुल पंजीकृत दिव्यांगों की संख्या का 9 से 50 प्रतिशत के बीच था। यह दिव्यांग लाभार्थियों के समावेशन और योजना में उनकी वास्तविक भागीदारी के बीच एक बड़े अंतर को उजागर करता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2025 में) इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि जिलों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम की मांग का डेटाबेस बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।

1.4.11 100 दिनों के लिए गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार का प्रावधान

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 1.1 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध एमआईएस आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-24 के दौरान रोजगार की मांग करने वाले पंजीकृत परिवारों की तुलना में 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का अनुपात राज्य स्तर पर दो से चार प्रतिशत और नमूना-जांचित जिलों में एक से तीन प्रतिशत के बीच रहा। नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में निर्धारित मांग पंजियों का ठीक से रखरखाव न होने के कारण, लेखापरीक्षा निर्धारित 100 दिनों के गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार की उपलब्धि का आकलन नहीं कर सका।

1.4.12 योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 3.4 (x) और नरेगा अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 15 में यह प्रावधान है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इस प्रकार कि लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं हों जिन्होंने योजना के तहत काम के लिए पंजीकरण और अनुरोध किया हो।

इसके अतिरिक्त, कार्य की मांग, कार्यों के आवंटन और मजदूरी के भुगतान से संबंधित पंजी-III को ग्राम रोजगार सेवक द्वारा पूरी तरह से मैन्युअल रूप से रखा जाना था। रजिस्टर-III श्रमिक के दृष्टिकोण से, पारदर्शिता का मूल और अनिवार्य पंजी है और इसे माह वार रखा जाना था।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार, राज्य में कुल सृजित रोजगार के विरुद्ध महिला मानव दिवस 41 से 48 प्रतिशत के बीच था और 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में यह 42 से 49 प्रतिशत के बीच रहा। हालांकि, नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में निर्धारित मांग पंजी (पंजी III) ठीक से नहीं रखे जाने के कारण, लेखापरीक्षा पंजीकृत और काम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या का सत्यापन नहीं कर सका। इस प्रकार, योजना के तहत महिला लाभार्थियों का अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.5 शिकायत निवारण, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एक मजबूत और कुशल निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा तंत्र का होना महत्वपूर्ण था।

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.6.1 के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का सक्रिय रूप से पता लगाने के लिए राज्य द्वारा एक त्रिस्तरीय[41] सतर्कता तंत्र की व्यवस्था की जानी थी। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिला गुणवत्ता मॉनिटर, राज्य गुणवत्ता मॉनिटर और जिला स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठों का गठन किया जाना था। निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र पर लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

1.5.1 शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व

1.5.1.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली

राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) का गठन (जनवरी 2007) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सरकार को योजना से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देने, निगरानी और निवारण तंत्र की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें देने के साथ-साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किया गया था।

राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुच्छेद 4 के अनुसार, एसईजीसी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए, और लगातार दो बैठकों के बीच का अंतराल छः महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि एसईजीसी की बैठकें 2019-2024 के दौरान अपेक्षित न्यूनतम 10 बैठकों के विरुद्ध केवल दो बार (फरवरी 2021 और जुलाई 2023 में) हुईं।

इस प्रकार, योजना की उच्चतम स्तर पर नियमित निगरानी और परिचालन नहीं किया जा रहा था, जैसा कि परिकल्पना की गई थी, जिससे जवाबदेही तंत्र भी कमजोर हो गया।

1.5.1.2 शिकायतों का निपटान

मनरेगा अधिनियम की धारा 23(6) के अनुसार, कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को अपने द्वारा रखे गए शिकायत पंजी में दर्ज करेगा और विवादों एवं शिकायतों का निपटारा उनकी प्राप्ति के सात दिनों के अंदर करेगा। यदि शिकायतें किसी अन्य

[41] i. राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ, ii. जिला सतर्कता प्रकोष्ठ और iii. पंचायत स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति

प्राधिकरण द्वारा हल किए जाने वाले मामलों से संबंधित हैं, तो वे शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए उन्हें ऐसे प्राधिकरण को अग्रेषित करेंगे। स्थिति की निगरानी के लिए, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, 2013 के पैरा 10.3.9 के तहत आवश्यकतानुसार, ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर एक शिकायत पंजी बनाए रखना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि चयनित छः जिलों में से तीन जिलों [42]में शिकायत पंजी नहीं रखे गए थे। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा शिकायतों की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका। हालांकि, शिकायतों के संबंध में लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी से पता चला कि नमूना लिए गए छह जिलों में मार्च 2024 तक 811 शिकायतों में से 431 शिकायतें जिला स्तर पर लंबित[43] थीं, जिनके निपटान में एक से पांच वर्ष तक की विलंब हुई थी।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत पंजी नहीं रखे जा रहे थे।

अभिलेखों के अनुचित रखरखाव और शिकायतों के निपटान लंबित रहने से राज्य में मनरेगा शिकायत निवारण तंत्र की अप्रभावशीलता उजागर होती है।

1.5.1.3 सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन न होना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 13.6.2, 13.6.3 और 13.6.4 में यह प्रावधान है कि राज्य स्तर पर, एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) से युक्त सतर्कता प्रकोष्ठ, जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्राधिकरण के अधीन जिला सतर्कता प्रकोष्ठ और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद एक सतर्कता और निगरानी समिति का गठन किया जाना था। इन प्रकोष्ठों की स्थापना योजना के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने, अनियमितताओं का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जमीनी दौरे करने और मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों, कार्यस्थलों के दौरे और श्रमिकों के साथ बातचीत के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक थी।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि दिसंबर 2024 तक राज्य स्तर पर कोई सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। इसके अलावा, 2019-24 के दौरान चयनित जिलों और ग्राम पंचायतों के किसी भी स्तर पर आवश्यक सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, नियमित निगरानी, अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।

[42] पूर्वी सिंहभूम, गुमला और पाकुड़

[43] JC जारी न किए जाने, मांग पर काम न दिए जाने और भुगतान में विलंबआदि से संबंधित शिकायतें।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने (अगस्त 2025 में) कहा कि सतर्कता समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है।

1.5.1.4 राज्य और जिला गुणवत्ता पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.8 (vi) और 14.10.4 के अनुसार, राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) चल रहे कार्यों में से कम से कम पांच प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करके गुणवत्ता संबंधी पहलुओं का आकलन करेगा। इसके अतिरिक्त, वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अनुच्छेद 7.12.1 के अनुसार, एक जिला गुणवत्ता निगरानी (डीक्यूएम) प्रकोष्ठ होगा जिसमें 10 से 15 तकनीकी अधिकारियों का एक पैनल होगा। ये अधिकारी योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे।

मनरेगा आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं की जांच से पता चला कि 2019-24 की अवधि के दौरान एसक्यूएम/डीक्यूएम की नियुक्ति नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कार्य निष्पादन के दौरान या पूर्ण होने के बाद उसकी गुणवत्ता या प्रामाणिकता की जांच नहीं की गई। इसके अलावा, विभाग ने एसक्यूएम/डीक्यूएम की नियुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

1.5.1.5 नागरिक चार्टर का तैयार न होना

परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 13.12.1 के अनुसार, नागरिक चार्टर में अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों और अधिकारियों के कर्तव्यों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसमें अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में शामिल विशिष्ट चरणों का वर्णन होना चाहिए और पंचायतों और संबंधित अधिकारियों पर इन प्रावधानों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सेवा स्तर निर्धारित किए जाने चाहिए।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई नागरिक चार्टर तैयार नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई-अगस्त 2021 के दौरान पंचायतों द्वारा अपनाए और अनुकूलित किए जाने हेतु 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा तैयार किया था, जिसमें स्थानीय सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप कार्य योजनाएँ बनाई गई थीं, और इसे राज्य सरकार को उनके अपने नागरिक चार्टर तैयार करने के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, राज्य सरकारों के नागरिक चार्टर की तैयारी का काम शुरू नहीं किया गया था।

इससे राज्य में आवश्यक जवाबदेही संरचना स्थापित करने के प्रति विभाग का अपर्याप्त दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2025) कि राज्य ने पहले ही सभी जिलों को मनरेगा के नागरिक चार्टर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।

अनुशंसा 5: विभाग को नियमित एसईजीसी बैठकों, शिकायतों का समय पर निपटारे, सतर्कता प्रकोष्ठों का गठन, एसक्यूएम/डीक्यूएम की नियुक्ति और मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुरूप नागरिक चार्टर तैयार करके जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

1.5.2 सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक नवीन विशेषता यह है कि इसमें निरंतर जन निगरानी के साधन के रूप में एक संस्थागत 'सामाजिक लेखापरीक्षा' तंत्र मौजूद है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन का सत्यापन करना है।

1.5.2.1 अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 13.1.1 और 13.2.2 में यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) ग्राम सभा को सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर उपयुक्त संख्या में संसाधन व्यक्तियों की पहचान करेगी।

योजना के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छः महीने में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जानी थी, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल थी।

राज्य में वर्ष 2019-24 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की स्थिति **तालिका 15** में दी गई है।

तालिका 15: राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति

वर्ष	राज्य में कुल ग्राम पंचायत	मानदंडों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण किया गया	योजना के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	योजना के विरुद्ध कमी का प्रतिशत
2019-20	4,406	8,812	2,252	1,523	7,289	83
2020-21	4,392	8,784	1,139	737	8,047	92
2021-22	4,388	8,776	4,258	2,160	6,616	75
2022-23	4,388	8,776	0	0	8,776	100
2023-24	4,388	8,776	4,276	2,807	5,969	68
कुल		**43,924**	**11,925**	**7,227**	**36,697**	**84**

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसएयु ने वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार करते समय अनिवार्य छमाही आवृत्ति के बजाय प्रत्येक ग्राम पंचायत की वार्षिक लेखापरीक्षा को ध्यान में रखा था, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दिशानिर्देशों से विचलन हुआ और साथ ही राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षाओं की योजना बनाने में समग्र कमी आई। इसके अलावा, नियोजित सामाजिक लेखापरीक्षाओं की तुलना में की गई सामाजिक लेखापरीक्षाओं की संख्या में भी कमी रही, क्योंकि इस अवधि के दौरान नियोजित ग्राम पंचायतों में से केवल 68 से 100 प्रतिशत की ही लेखापरीक्षा की जा सकी।

जांच किए गए क्षेत्र में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन की स्थिति का विवरण **तालिका 16** में दिया गया है।

तालिका 16: वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षाएँ

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा एक बार भी नहीं की गई	सभी पांच वर्षों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई	सामाजिक लेखापरीक्षा आंशिक रूप से किया गया
48	3	0	45

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, तीन ग्राम पंचायतों में संपूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान छः महीनों में एक बार भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। इसके अलावा, शेष 45 ग्राम पंचायतों में वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा आंशिक रूप से (दो/तीन वर्षों में एक बार) की गई और चयनित ग्राम पंचायतों में से किसी में भी 100 प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

1.5.2.2 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटान में लंबित मामले

परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 13.4.2 में यह प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

राज्य स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति और उनकी लंबितता **तालिका 17** में दी गई है।

तालिका 17: राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों की लंबित स्थिति

वर्ष	उठाई गयी सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियां	सामाजिक लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों का समाधान	बकाया सामाजिक लेखापरीक्षा अवलोकन	बकाया का प्रतिशत
2019-20	32,969	23,946	9,023	27.37
2020-21	9,830	2,043	7,787	79.22
2021-22	23,032	33	22,999	99.86
2022-23	12,230	73	12,157	99.40
2023-24	56,437	0	56,437	100.00
कुल	**1,34,498**	**26,095**	**1,08,403**	**80.60**

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 17 से यह देखा गया कि सुधारात्मक उपायों के अभाव में सामाजिक लेखापरीक्षा संबंधी 27.37 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की टिप्पणियां लंबित थीं। ये लंबित मुद्दे एक से पांच वर्षों तक अनसुलझे रहे।

चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

तालिका 18: चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों की लंबित स्थिति

ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा संबंधी उठाई गईं आपत्तियां	सामाजिक लेखापरीक्षा आपत्तियां का निपटारा किया गया	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा आपत्तियां	शेष प्रतिशत
48	1,796	494	1,302	72

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 18 से यह स्पष्ट था कि 2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में 1,796 आपत्तियां थे, लेकिन केवल 494 आपत्तियां का निपटारा किया गया था, और शेष 1,302 आपत्तियां अभी भी निपटारे के लिए लंबित थे (**परिशिष्ट 1.14**)।

इस प्रकार, विभाग ने सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से जनता के लाभ के लिए योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया। लंबे समय तक लगातार अनियमितताएं, योजना में जनता के विश्वास को कम कर सकती हैं, विशेषकर आश्रित आबादी के बीच।

अनुशंसा 6: विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की निर्धारित छमाही आवृत्ति का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समय पर निपटान के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना चाहिए।

1.5.3 मानव संसाधन की कमी

मनरेगा की धारा 18 के अनुसार, राज्य सरकार को डीपीसी और पीओ को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा आधार पर सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। पदाधिकारियों की भर्ती नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध उपलब्ध कर्मचारियों की जानकारी **तालिका 19** में दी गई है।

तालिका 19: कर्मचारियों की कमी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी (*प्रतिशत)*
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	340	312	28	8.24
सहायक अभियंता	261	214	47	18.01
कनीय अभियंता	857	712	145	16.92
कंप्यूटर सहायक	261	206	55	21.07
लेखा सहायक	257	212	45	17.51
ग्राम रोज़गार सेवक	4,317	3,960	357	8.27
कुल	**6,293**	**5,616**	**677**	**10.76**

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 19 से यह देखा गया कि स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कर्मचारियों की कमी मुख्य पदाधिकारियों[44] के संबंध में 8.24 प्रतिशत से 21.07 प्रतिशत के बीच रही।

अभिलेखों की जांच और नमूना-जांचित जिलों द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि इन जिलों में मनरेगा से संबंधित कर्मचारियों की कमी थी, जैसा कि **तालिका 20** में विस्तृत है।

---

44 प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक और ग्राम रोज़गार सेवक

तालिका 20: चयनित ज़िलों में मनरेगा कर्मचारियों की कमी

जिलो के नाम	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी			सहायक अभियंता			कनीय अभियंता			लेखा सहायक			कंप्यूटर सहायक			ग्राम रोज़गार सेवक		
	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी
पूर्वी सिहभूम	15	12	3	11	10	1	46	13	33	11	6	5	11	6	5	231	177	54
गढ़वा	22	22	0	19	17	2	38	36	2	19	19	0	19	17	2	189	185	4
गिरिडीह	23	21	2	13	10	3	69	58	11	13	13	0	13	12	1	344	323	21
गोड्डा	14	14	0	9	8	1	39	38	1	9	9		9	8	1	197	197	0
गुमला	13	12	1	12	10	2	32	26	6	12	8	4	12	5	7	159	134	25
पाकुड़	8	6	2	6	4	2	26	10	16	6	2	4	6	4	2	128	124	4
कुल	**95**	**87**	**8**	**70**	**59**	**11**	**250**	**181**	**69**	**70**	**57**	**13**	**70**	**52**	**18**	**1,248**	**1,140**	**108**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 20 से यह स्पष्ट था कि फील्ड स्तर/ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों के मामले में, जो योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं, स्वीकृत संख्या और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच एक अंतर मौजूद था; जिसके परिणामस्वरूप मनरेगा के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

अनुशंसा 7: विभाग मानव बल की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर योजना के प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारी उपलब्ध करा सकता है।

1.5.4 निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। यह योजना प्रकृति से ही 'मांग-आधारित' है और इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही तथा मजदूरी के समय पर भुगतान पर विशेष जोर दिया जाता है।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच से इसके कार्यान्वयन में कुछ प्रणालीगत कमियों का पता चला, जिनकी मुख्य विशेषताएं थीं–कमजोर योजना-निर्माण, वित्तीय अनियमितताएं, कमजोर अभिलेख प्रबंधन और अप्रभावी निगरानी। विभाग श्रम की मांग की मात्रा और उसके समय का आकलन करने में विफल रहा, क्योंकि इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था; इस प्रकार, योजना के 'मांग-आधारित' उद्देश्य का उल्लंघन हुआ। योजना-निर्माण की प्रमुख आवश्यकताएं–जैसे कि मांग का आकलन, श्रम बजट तैयार करना और अभिलेख का उचित रखरखाव–पूरी नहीं की गईं, जो पारदर्शिता की कमी

और कमजोर कार्यान्वयन को दर्शाता है। इसके अलावा, एसईजीएफ को निधि विमुक्त करने में विलंब, विलंब से मिली मज़दूरी और बेरोज़गारी भत्ते के लिए मुआवज़े का भुगतान न होना, और मज़दूरी के भुगतान में अनियमितताएँ–जैसे कि विलंब, कम भुगतान, और ज़्यादा/कम भुगतान के मामले–देखे गए। बुनियादी अभिलेख जैसे माप पुस्तिकाएँ और हाज़िरी पंजी या तो ठीक से रखे नहीं गए थे, या बिल्कुल भी नहीं रखे गए थे।

इसके अतिरिक्त, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र ज़्यादातर काम नहीं कर रहे थे; एसईजीएसी की देखरेख कमज़ोर थी, और सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का ठीक से समाधान नहीं किया गया था। ज़मीनी स्तर के मुख्य पद खाली पड़े थे, और ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेख प्रबंधन में कमी थी। ये कमियाँ दर्शाती हैं कि इस योजना को इसके दिशानिर्देशों के अनुसार लागू नहीं किया गया था, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुनिश्चित रोज़गार के उद्देश्यों को नुकसान पहुँचा।

अध्याय II

अध्याय II

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) को एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू (अगस्त 2019) किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर को निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना था। जेजेएम का लक्ष्य 2024 तक कार्यशील घरेलू नल संयोजन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर को पाईप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना था। एक एफएचटीसी में तीन निश्चित विशेषताएं होनी चाहिए थी: (i) पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, यानी कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) (ii) निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना, यानी बीआईएस: 10500 मानक[1] और (iii) लम्बे समय तक नियमित आधार पर पानी की आपूर्ति करना।

झारखण्ड में जेजेएम के तहत विभिन्न मॉडल[2] अपनाए गए, एक गाँव के भीतर पानी की आपूर्ति के लिए भूजल आधारित एकल ग्राम योजना (एसवीएस), और एक से अधिक गाँवों को पानी की आपूर्ति के लिए सतही जल आधारित बहु ग्राम योजना (एमवीएस)।

जेजेएम के तहत प्राप्त प्रगति और प्रगतिशील कार्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने (केंद्रीय बजट भाषण 2025-26 में) जेजेएम को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की। भारत सरकार ने तदनुसार राज्यों को सूचित किया (जून 2025) कि बजट परिव्यय और संशोधित दिशानिर्देशों की मंजूरी के बाद केंद्रीय अनुदान विमुक्त किए जाएंगे, और उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने संसाधनों से प्रगतिशील योजनाओं पर काम जारी रखें।

झारखण्ड सरकार ने 2025-26 में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए ₹2,503.43 करोड़ (केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹895.99 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा: ₹1,607.44 करोड़) का बजट प्रावधान किया था। हालांकि, 2025-26 के दौरान जुलाई 2025 तक, न तो भारत सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा जेजेएम के तहत कोई राशि विमुक्त की गई।

2.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था

झारखण्ड में जेजेएम के समग्र कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) जिम्मेदार था। राज्य

---

[1] आईएस 10500:2012 'भारतीय मानक - पेयजल विनिर्देश', समय-समय पर यथा संशोधित।

[2] सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं जिनमें 2,000 लीटर से 16,000 लीटर की भंडारण क्षमता वाले प्लास्टिक या कंक्रीट के ओवरहेड पानी की टंकी शामिल हैं।

में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग पेयजल और स्वच्छता विभाग (विभाग) था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव/सचिव करते थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने जेजेएम के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम), ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी), कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और पेयजल एवं स्वच्छता (डीडब्ल्यूएस) प्रमंडलों ने क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर जेजेएम की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी में एसडब्ल्यूएसएम का सहयोग किया। जेजेएम की संगठनात्मक संरचना और संस्थागत तंत्र/व्यवस्था को **चार्ट 2.1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.1: झारखण्ड में जेजेएम की संस्थागत व्यवस्था

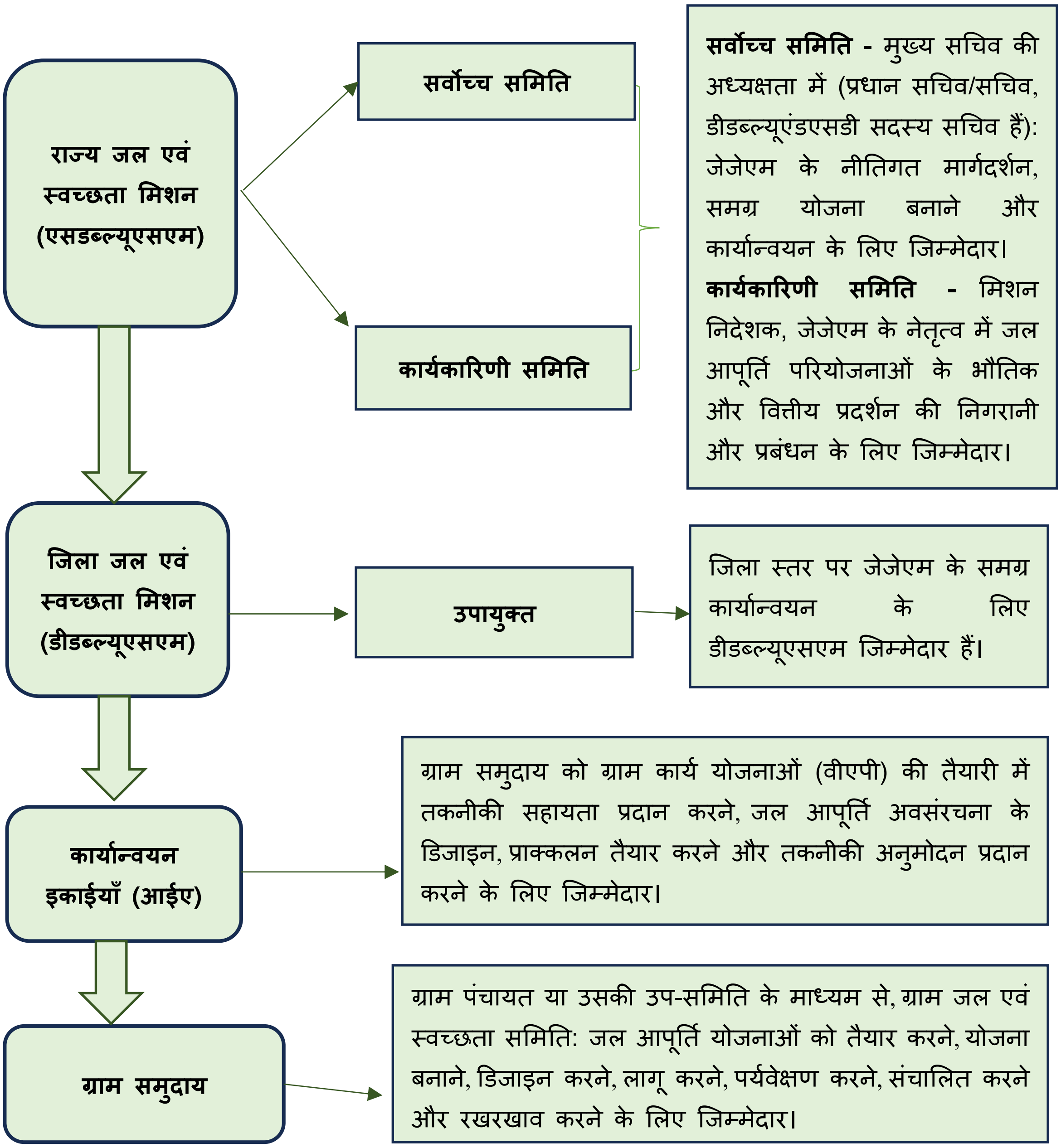

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जेजेएम के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है
- योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और परिचालन-पश्चात प्रबंधन के लिए एक कुशल संस्थागत ढांचा मौजूद है।
- वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफायती और कुशल तरीके से किया गया है; और
- इस कार्यक्रम के माध्यम से निर्मित संपत्तियां अगले दो से तीन दशकों तक टिकाऊ/स्थायित्व हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा से समझौता नहीं करती हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों को जिन मुख्य स्रोतों से लिया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

- जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचा
- झारखण्ड वित्तीय नियम, झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता और उनके अंतर्गत जारी निर्देश; और
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जेजेएम के कार्यान्वयन के संबंध में जारी किए गए आदेश।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए यह निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर और नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक, पीएमयू (एसडब्ल्यूएसएम), और 24 जिलों में से छः[3] जिलों के नौ[4] डीडब्ल्यूएस प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के अभिलेखों की जांच की गई। ग्रामीण परिवारों के आच्छादन के संबंध में उनकी उपलब्धियों के आधार पर जिलों को दो[5] स्तरों में विभाजित करने के बाद सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से जिलों का चयन किया गया। जेजेएम के तहत उपलब्धि का विश्लेषण करने के लिए बारह प्रखंडों (प्रत्येक जिले से दो) और 26 गाँवों

---

[3] धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हज़ारीबाग, खूंटी, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम।

[4] डीडब्ल्यूएस प्रमंडल: आदित्यपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, धनबाद-I, धनबाद-II, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, खूंटी और झुमरीतिलैया।

[5] एक स्तर में ग्रामीण घरों को एफएचटीसी से आच्छादित करने के संबंध में 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले जिले और दूसरे स्तर में 50 प्रतिशत तक उपलब्धि हासिल करने वाले जिले। प्रत्येक स्तर से तीन जिलों का चयन किया गया है।

(चयनित प्रखंड में उच्च उपलब्धि वाले गाँव) का चयन किया गया था। चयनित गाँवों में लेखापरीक्षा द्वारा 479 लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया ताकि उन्हें दी जा रही सेवाओं की स्थिति और आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके।

अभिलेखों की जांच, आंकड़ों के विश्लेषण, प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित जानकारी, लेखापरीक्षा ज्ञापन पर विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया, लाभार्थी सर्वेक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के माध्यम से लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निकाले गए हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए, जेपीवी और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान जेजेएम के तहत निर्मित संपत्तियों की ली गई छायाचित्रों को भी शामिल किया गया है।

विभाग के अतिरिक्त सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (09 सितंबर 2024) आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, दायरे, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक निकास सम्मेलन (24 जून 2025) भी आयोजित की गई जिसमें विभाग की ओर से प्राप्त उत्तर (मार्च से जुलाई 2025 तक) और निकास सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2 झारखण्ड में जेजेएम की प्रगति

वित्तीय प्रगति

2.2.1 निधि का उपयोग

जेजेएम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण का स्वरुप, आच्छादन (संपत्तियों का निर्माण) के लिए 50:50 और सहायक गतिविधियों (आईईसी, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, सामुदायिक लामबंदी/जुटाव आदि) और जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) के लिए 60:40 था।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) ने जेजेएम के तहत 98,067 योजनाओं[6] को मंजूरी (जनवरी 2020 से फरवरी 2023 के बीच) दी, जिनकी प्राक्कलित राशि ₹24,360.91 करोड़ है। इनमें से 97,535 योजनाओं को ₹24,665.29 करोड़ की स्वीकृत लागत पर क्रियान्वयन के लिए लिया गया था। दिसंबर 2024 तक, 27,249 (28 प्रतिशत) योजनाएं पूरी हो चुकी थीं। 70,286 अपूर्ण योजनाओं में से 35,783 (51 प्रतिशत) योजनाएं दो साल से अधिक समय से अपूर्ण थीं।

---

[6] एसवीएस: 97,770 का प्राक्कलित राशि ₹ 8,076.34 करोड़ और एमवीएस: 297 का प्राक्कलित राशि ₹ 16,284.57 करोड़।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग 2019-24 के दौरान जेजेएम के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सका, जैसा कि **चार्ट 2.1** और **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2019-24 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत उपलब्ध राशि और व्यय

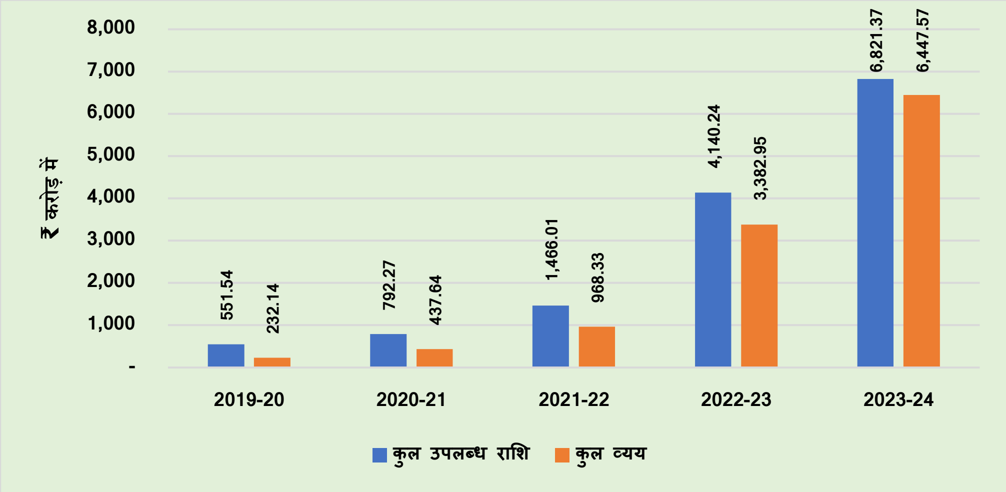

तालिका 2.1: वर्ष 2019-24 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत उपलब्ध और उपयोग की गई राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष (केंद्रीय और राज्य)	प्राप्ति (केंद्रीय और राज्य)	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	जमा शेष	अप्रयुक्त राशि का प्रतिशत
2019-20	152.33	399.21	551.54	232.14	319.40	58
2020-21	319.40	472.87	792.27	437.64	354.63	45
2021-22	354.63	1,111.38	1,466.01	968.33	497.68	34
2022-23	497.68	3,642.56	4,140.24	3,382.95	757.29	18
2023-24	757.29	6,064.07	6,821.36	6,447.57	373.79	5
कुल		**11,690.09**[7]		**11,468.63**	**373.79**	

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि राज्य 2019-24 के दौरान उपलब्ध राशि ₹11,842.42 करोड़ में से केवल ₹11,468.63 करोड़ का ही उपयोग कर सका। अप्रयुक्त शेष राशि जो वर्ष 2019-20 में उपलब्ध राशि का 58 प्रतिशत थी, 2023-24 में घटकर पांच प्रतिशत रह गई। जेजेएम के प्रारंभिक वर्षों में राशि का कम उपयोग मुख्य रूप से कोविड महामारी (2019-2022) और सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस के तहत राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण था, जैसा कि **कंडिका 2.2** में विस्तार से बताया गया है।

इससे चल रही योजनाओं के पूरा होने में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए नियोजित एफएचटीसी आच्छादन प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, पूंजी और मानवबल की कमी वाले अकुशल संवेदकों को कार्यों का आवंटन कार्य की धीमी प्रगति

[7] इसमें ₹53.04 करोड़ का बैंक ब्याज और ₹76.87 करोड़ की विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

का एक अन्य कारण था, जिससे निधि का कम उपयोग हुआ जैसा कि **कंडिका 4.2** और **4.3** में चर्चा की गई है।

2.2.2 सहायक गतिविधियों और जल गुणवत्ता निगरानी पर निधियों का अल्प उपयोग

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, जल अवसंरचना के निर्माण के अलावा, इस योजना का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करना भी था, ताकि वे गाँवों में जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव कर सकें। इस उद्देश्य के लिए, जेजेएम ने राज्यों को वार्षिक आवंटन के पांच प्रतिशत तक की राशि को सहायक गतिविधियों के लिए निधि के रूप में आवंटित करने का प्रावधान किया। इन निधियों का उपयोग जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सामुदायिक योगदान और स्वामित्व के बारे में समुदायों में जागरूकता फैलाने और उन्हें संवेदनशील बनाने, ग्राम पंचायतों और/या इसकी उप-समितियों की क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाना था ताकि वे गाँव के भीतर के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, उसे लागू करने, प्रबंधित करने, संचालित करने और रखरखाव करने में सक्षम हों, संस्थागत तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, और विभिन्न आवश्यक मानव संसाधनों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, मोटर मैकेनिक, पंप संचालक आदि के कौशल का निर्माण किया जा सके। इन गतिविधियों का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुदायों के बीच जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करना था।

इसके अलावा, समुदायों को सुरक्षित और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूक्यूएमएस आवश्यक था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्यों को आवंटित राशि का दो प्रतिशत तक डब्ल्यूक्यूएमएस गतिविधियों को संचालित करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें राज्य/जिला/अनुमंडल स्तर पर पीपीपी मोड के तहत प्रयोगशालाओं की स्थापना, मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन शामिल था, जिसमें उपकरण, यंत्र, रसायन/अभिकर्मक, कांच के बर्तन, उपभोज्य सामग्रियों की खरीद, आउटसोर्स मानव संसाधनों की नियुक्ति, जल नमूनों के परिवहन के लिए वाहनों को किराए पर लेना, एनएबीएल मान्यता के लिए किए गए व्यय, एफटीके, रिफिल और जीवाणु पहचान किट की खरीद शामिल थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-24 के दौरान जेजेएम के तहत ₹5,917.46 करोड़ विमुक्त किए थे, एवं निर्देश दिया था कि निर्धारित प्रतिशत राशि का उपयोग सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस पर किया जाए। इस प्रकार, राज्य के पास सहायक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए ₹493.12 करोड़[8] और

---

[8] ₹ 5,917.46 करोड़ का पाँच प्रतिशत = ₹ 295.87 करोड़ (भारत सरकार का 60 प्रतिशत हिस्सा)

डब्ल्यूक्यूएमएस पर खर्च करने के लिए ₹197.25 करोड़[9] थे। हालांकि, राज्य ने 2019-24 के दौरान सहायक गतिविधियों पर केंद्रीय हिस्से से केवल ₹83.35 करोड़ (1.41 प्रतिशत) और डब्ल्यूक्यूएमएस पर ₹50.58 करोड़ (0.85 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका। बाद में भारत सरकार ने (मई 2023) राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन पर सहायक और डब्ल्यूक्यूएमएस की अप्रयुक्त राशि का उपयोग करने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर सहायक गतिविधियों की अप्रयुक्त राशि ₹160 करोड़ का उपयोग किया।

राशि की उपलब्धता के बावजूद, सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस पर कम व्यय के कारण कार्यान्वयन सहायक एजेंसियों और तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति में विलंब हुई (जैसा कि **कंडिका 2.3.2** और **2.4.5** में चर्चा की गई है) और प्रयोगशालाओं के लिए एफटीके, रसायनों और उपकरणों की कम खरीद हुई (जैसा कि **कंडिका 2.5.1, 2.5.2** और **2.5.4** में चर्चा की गई है)। इन राशि के उपयोग में कमी का प्रतिकूल प्रभाव ग्राम कार्य योजना (वीएपी) को तैयार करने, लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने और सभी निर्धारित मापदंडों के विरुध्द जल गुणवत्ता परीक्षण करने पर भी पड़ा।

इसके जवाब में विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि अब से सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस पर पर्याप्त राशि का उपयोग किया जाएगा।

अनुशंसा 1: विभाग जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सहायक और जल गुणवत्ता निगरानी निधि का उपयोग कर सकता है।

भौतिक प्रगति

2.2.3 घरों का आच्छादन

अगस्त 2019 में, जब जेजेएम शुरू किया गया था, तब जेजेएम पोर्टल के अनुसार झारखण्ड में 52,27,214 ग्रामीण घर थे। इनमें से 3,45,165 (सात प्रतिशत) घरों को पहले ही नल के पानी का संयोजन हो चुका था। मार्च 2025 तक, झारखण्ड में 62,53,471 घरों[10] में से 34,31,115 (55 प्रतिशत) घरों को एफएचटीसी प्रदान किए जा चुके थे, जैसा कि **चार्ट 2.2.2** में दिखाया गया है।

और ₹ 197.25 (राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा)

9 ₹ 5,917.46 करोड़ का दो प्रतिशत = ₹ 118.35 करोड़ (भारत सरकार का 60 प्रतिशत हिस्सा) और ₹ 78.90 (राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा)

10 जेजेएम पोर्टल पर घरों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि घरों का आंकड़ा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

चार्ट 2.2.2: राज्य में 2019-20 से 2024-25 के दौरान एफएचटीसी आच्छादन

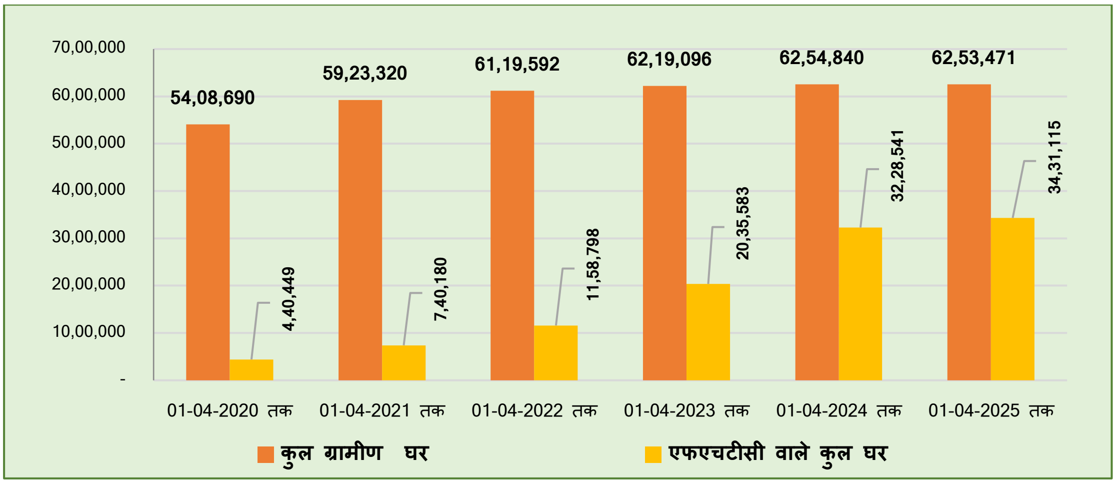

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

मार्च 2025 तक राज्य में एफएचटीसी आच्छादन लगभग 55 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत[11] से कम था।

नमूना जांचित जिलों के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2025 तक 15,79,352 घरों में से 8,38,614 (53 प्रतिशत) घरों को एफएचटीसी प्रदान किए गए थे, जैसा कि **चार्ट 2.2.3** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2.3: नमूना जांचित जिलों में प्रदान की गई एफएचटीसी की संख्या

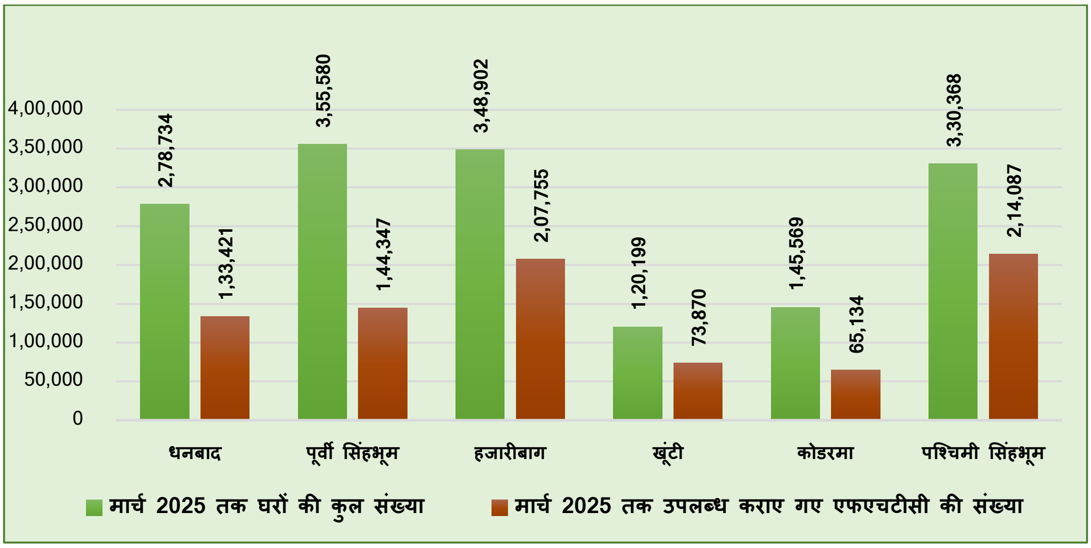

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

नमूना जांचित जिलों में एफएचटीसी आच्छादन 41 प्रतिशत (पूर्वी सिंहभूम) और 65 प्रतिशत (पश्चिमी सिंहभूम) के बीच रहा। मार्च 2025 तक, नमूना जांचित छः जिलों में से तीन[12] जिलों में उपलब्धियां राज्य के औसत 55 प्रतिशत से कम थीं।

---

[11] 19,36,40,317 में से 15,56,62,752 घर।

[12] धनबाद: 48 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम: 41 प्रतिशत और कोडरमा: 45 प्रतिशत।

इस प्रकार, मिशन की प्रारंभिक अवधि यानी दिसंबर 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को एफएचटीसी के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर, राज्य सरकार चल रही परियोजनाओं की समय-सीमा को पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया में थी।

इसके जवाब में विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए जेजेएम अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है और तदनुसार, मार्च 2028 तक सभी ग्रामीण घरों को आच्छादित करने के लिए योजना को संशोधित किया जा रहा है। निकास सम्मेलन (जून 2025) में विभाग ने कहा कि चल रही मेगा जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूरा होने पर आच्छादन में वृद्धि होगी।

2.2.4 गाँवों का आच्छादन

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई राजस्व ग्राम 100 प्रतिशत एफएचटीसी का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसे 100 प्रतिशत एफएचटीसी गाँव घोषित किया जाएगा, जिसे हर घर जल (एचजीजे) रिपोर्टेड गाँव कहा जाता है। इसके लिए, संबंधित जल आपूर्ति प्रमंडल यह प्रमाणित करेगा कि गाँवों के सभी परिवारों और सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि को नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके बाद संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जाएगा और फिर ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित कर गाँवों को एचजीजे प्रमाणित गाँव के रूप में पुष्टि करेगा।

एफएचटीसी से आच्छादित गाँवों का प्रतिशत **चार्ट 2.2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2.4: वर्ष 2020-25 (मार्च 2025 तक) के दौरान राज्य में गाँवों का आच्छादन

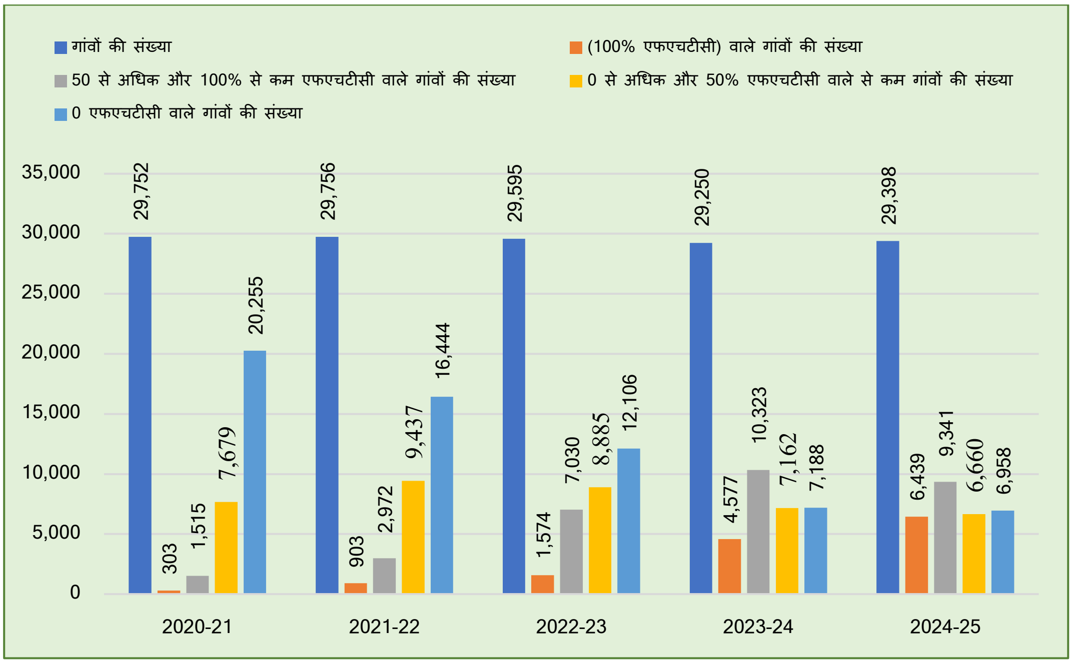

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

चार्ट 2.2.4 से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक 29,398 गाँवों में से 6,439 (22 प्रतिशत) गाँवों में एफएचटीसी का पूर्ण आच्छादन था। शेष 22,959 गाँवों (78 प्रतिशत) को अभी तक पूर्ण एफएचटीसी प्रदान नहीं किया गया था। 6,439 पूर्णतः आच्छादित गाँवों में से 4,631 गाँवों (72 प्रतिशत) को संबंधित डीडब्ल्यूएस प्रमंडलों द्वारा एचजीजे रिपोर्टेड गाँवों के रूप में प्रमाणित किया गया था। इनमें से केवल 2,279 (49 प्रतिशत) गाँवों को ही संबंधित ग्राम सभा द्वारा एचजीजे गाँवों के रूप में पुष्टि की गई थी, जिसका मुख्य कारण ग्राम पंचायतों द्वारा एफएचटीसी का सत्यापन न होना था।

इसके अलावा, मार्च 2025 तक राज्य के 6,958 गाँवों (24 प्रतिशत) में कोई एफएचटीसी नहीं थे, जिसका मुख्य कारण चल रही योजनाओं का पूरा न होना था।

मार्च 2025 तक, नमूना-जांचित छः जिलों के 6,952 गाँवों में आच्छादन का प्रतिशत **चार्ट 2.2.5** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2.5: नमूना जांचित जिलों में गाँवों का आच्छादन

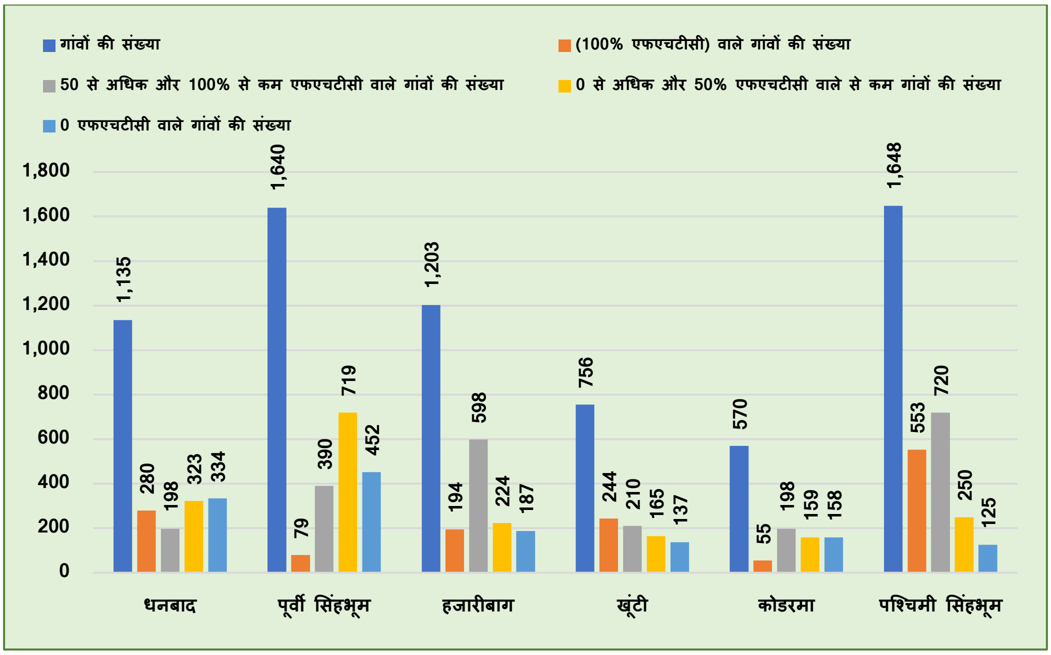

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

चार्ट 2.2.5 में दर्शाए अनुसार, नमूना-जांचित जिलों में केवल 1,405 (20 प्रतिशत) गाँवों में ही एफएचटीसी आच्छादन 100 प्रतिशत था।

इसके जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि एचजीजे प्रमाणित गाँवों की संख्या में अंतराल से बचने के लिए प्रमंडल अभियंताओं द्वारा एफएचटीसी के शत प्रतिशत सत्यापन के बाद एचजीजे गाँवों की रिपोर्टिंग और प्रमाणन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित (दिसंबर 2024) की गई थी।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2025 तक पूरी तरह से आच्छादित 6,977 (29,398 में से 24 प्रतिशत) गाँवों के विरुद्ध, एचजीजे की सूचना प्राप्त गाँवों की संख्या 69 प्रतिशत (4,830) थी, लेकिन एचजीजे प्रमाणित गाँवों की संख्या 39 प्रतिशत (2,705) ही रही। इस प्रकार, इस उद्देश्य के लिए मानक प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने के बावजूद, एचजीजे गाँवों की रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण में कोई सुधार नहीं हुआ।

2.2.5 जल आपूर्ति की पर्याप्तता

जेजेएम के तहत, एफएचटीसी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा (कम से कम 55 एलपीसीडी) पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेजेएम के तहत शुरू की गई प्रत्येक एकल ग्राम योजना[13] (एसवीएस) में भंडारण टंकी में पानी के प्रवाह पर नज़र रखने के लिए एक सेंसर आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) लगाया गया था। नमूना जांचित पांच[14] प्रमंडलों में 40 एसवीएस के आरएमएस आंकड़ों (जुलाई और सितंबर 2024 के लिए) से पता चला कि:

- 40 एसवीएस में से 20 को 983 एफएचटीसी उपलब्ध कराने थे और इस प्रकार, प्रत्येक घर को कम से कम 55 एलपीसीडी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रति माह (30 दिन) 81.10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता थी। हालांकि, प्रदान किये 873 एफएचटीसी में नमूना जांचित महीनों में इन एसवीएस का जल प्रवाह 29.89 लाख लीटर (37 प्रतिशत) था।
- शेष 20 एसवीएस को 421 एफएचटीसी के लिए योजनाबद्ध किया गया था और इसलिए न्यूनतम मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रति माह कम से कम 34.73 लाख लीटर पानी आवश्यक था। आवश्यकता के मुकाबले, प्रदान किये 338 एफएचटीसी के लिए इन एसवीएस का जल प्रवाह 69.34 लाख लीटर (200 प्रतिशत) था।

इस प्रकार, 50 प्रतिशत नमूना जांचित एसवीएस लाभार्थियों को निर्धारित न्यूनतम मात्रा से आधे (37 प्रतिशत) कम पानी की आपूर्ति कर रहे थे, जबकि शेष 50 प्रतिशत एसवीएस लाभार्थियों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा रहे थे।

---

[13] भूमिगत जल आधारित एक योजना जिसमें स्रोत के रूप में खोदे गए ट्यूबवेल का उपयोग किया गया है और जिसमें जल स्तर निर्धारण प्रणाली के साथ स्वचालित रूप से शुरू और बंद करने की व्यवस्था है।

[14] चाईबासा, धनबाद II, हज़ारीबाग़, खूंटी और झुमरीतिलैया।

लाभार्थी सर्वेक्षण (सितंबर और अक्टूबर 2024) के दौरान, बमरजा[15] गाँव के 10 लाभार्थियों ने (सितंबर 2024 में) बताया कि एसवीएस का सौर पंप बरसात/बादल वाले दिनों में ठीक से काम नहीं करता था, जिसके परिणामस्वरूप पानी की टंकी खाली रह जाती थी। परिणामस्वरूप, उन्हें काफी दूरी पर स्थित मौजूदा हैंडपंप/खुले कुएं से पानी लाना पड़ता था। बरहोरिया गाँव[16] में एसवीएस का भंडारण टंकी कम ऊंचाई[17] पर स्थापित पाया गया (**चित्र 2.1**), जिसके परिणामस्वरूप पानी का बहाव कम हो गया और लाभार्थियों को पानी की अपर्याप्त आपूर्ति हुई। एसवीएस के छः लाभार्थियों ने (अक्टूबर 2024) बताया कि उन्हें भंडारण टंकी के पास स्थित एक टूटी हुई वितरण पाईपलाइन (**चित्र 2.2**) से या मौजूदा हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था।

चित्र 2.1	**चित्र 2.2**
	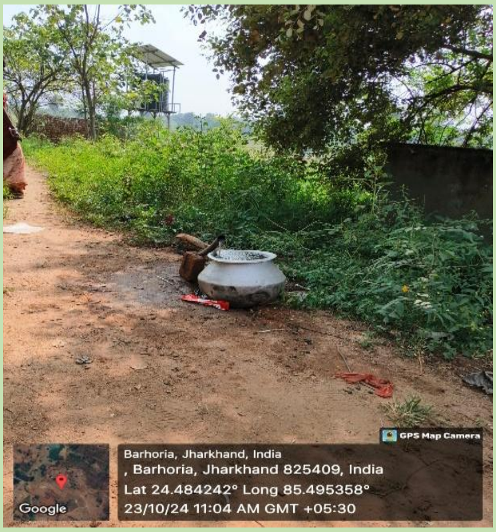

इस प्रकार, भौतिक रूप से सत्यापित एसवीएस में सभी लाभार्थियों को निर्धारित न्यूनतम मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके कामकाज में खामियां थीं या भंडारण टंकी की स्थापना दोषपूर्ण थी।

इसके जवाब में विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि आरएमएस के कामकाज की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्तों को भी इस पर नजर रखने का निर्देश दिया था। विभाग ने (जुलाई 2025) अपर्याप्त धूप के कारण बरसात के मौसम में सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं से कम जल निकासी को भी स्वीकार किया।

निकास सम्मेलन (जून 2025) में विभाग ने कहा कि चालू परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की निगरानी ग्रामीणों द्वारा की जानी थी, जिसके लिए नियमित रूप से

[15] पंचायत: बमरजा, प्रखंड: कर्रा और जिला: खूंटी।

[16] पंचायत: जरगा, प्रखंड: कोडरमा और जिला: कोडरमा।

[17] मॉडल प्राक्कलन में निर्धारित 10-12 मीटर से कम।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। विभाग ने यह भी बताया कि राज्य के कोष से आवश्यकता के आधार पर एसवीएस के लिए पानी के नए स्रोत बनाए गए हैं।

अनुशंसा 2: विभाग कार्यशील एसवीएस में खामियों को दूर करके प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम निर्धारित मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.6 लाभार्थी सर्वेक्षण

जेजेएम दिशानिर्देशों में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, ताकि विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिल सके।

इसके अलावा, जेजेएम दिशानिर्देशों में प्रत्येक घर में तीन वितरण बिंदुओं, अर्थात् रसोई, धुलाई क्षेत्र और शौचालय में एफएचटीसी के माध्यम से लाभार्थियों को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति की परिकल्पना की गई थी। तीन वितरण बिंदुओं में से एक बिंदु को जेजेएम के तहत वित्त पोषित किया जाना था। स्थानीय समुदायों को जेजेएम के उद्देश्य से परिचित कराने और उनमें जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधि भी संचालित की जानी थी ताकि वे गाँव में जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव कर सकें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा 2019-24 के दौरान झारखण्ड में जेजेएम का सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। अंतिम उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि के स्तर का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने नमूना जांचित छः जिलों के 26 नमूना जांचित गाँवों में 479 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया।

यह पाया गया कि 479 लाभार्थियों में से चार[18] लाभार्थियों को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जबकि 114 लाभार्थियों (24 प्रतिशत) को उनके एफएचटीसी से पानी की आपूर्ति नहीं मिल रही थी। शेष 361 लाभार्थी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे। जबकि 145 लाभार्थियों (40 प्रतिशत) को दैनिक/नियमित जल आपूर्ति नहीं मिली, 138 लाभार्थियों (38 प्रतिशत) को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला और 67 लाभार्थियों (19 प्रतिशत) ने गंदा पानी मिलने की सूचना दी।

इसके अलावा, 479 लाभार्थियों में से 111 (23 प्रतिशत) को निर्धारित वितरण बिंदु पर या उनके परिसर के निकट एफएचटीसी नहीं मिले और 397 लाभार्थी (83 प्रतिशत) आईईसी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए।

[18] कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के एचजीजे प्रमाणित गांव चौढ़ी के तीन लाभार्थी और धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के बंदरचुवां गांव का एक लाभार्थी।

इस प्रकार, 19 से 40 प्रतिशत लाभार्थी जेजेएम के तहत प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि:

- पश्चिम सिंहभूम जिले के नवागाँव गाँव[19] में स्थित एसवीएस के भंडारण टंकी से जुड़ी आपूर्ति पाईप क्षतिग्रस्त पाई गई। एक परित्यक्त घर के किनारे एक नल संयोजन लगा हुआ देखा गया **(चित्र 2.3)**। वितरण पाईप भी जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया **(चित्र 2.4)**, हालांकि संबंधित एसवीएस के प्राक्कलन के अनुसार इसे जमीन के नीचे बिछाया जाना आवश्यक था।

चित्र 2.3

चित्र 2.4

- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने (नवंबर 2020) ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के मॉडल प्राक्कलन को मंजूरी दी, जिसमें कंक्रीट आधारित स्टैंडपोस्ट के माध्यम से एफएचटीसी उपलब्ध कराई जानी थी। हालांकि, नमूना जांचित कुरसी और गैसुती गाँवों[20] में स्टैंडपोस्ट वाले एफएचटीसी उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा, आपूर्ति पाईप बिना किसी नल के जमीन पर पड़े हुए पाए गए **(चित्र 2.5 से 2.8)**।

चित्र 2.5

चित्र 2.6

---

[19] पंचायत: बेलजोरी, प्रखंड: सोनुआ और जिला: पश्चिम सिंहभूम।

[20] पंचायत: कुरसी, प्रखंड: चाईबासा सदर और जिला: पश्चिमी सिंहभूम.

<table>
<tr><th>चित्र 2.7</th><th>चित्र 2.8</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

इसके जवाब में विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि भारत सरकार ने कई कार्यात्मकता मूल्यांकन अध्ययन किए थे और राज्य सरकार ने ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों पर उचित कार्रवाई की थी। यह भी कहा गया कि विभाग ने अधीक्षण अभियंता (एसई) के नेतृत्व में अंचल-वार टीमों का गठन (अप्रैल 2025) किया है, ताकि सभी पूर्ण हो चुकी जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिरता, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का आकलन किया जा सके और नियमित सत्यापन किया जा सके। विभाग ने आगे कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी।

2.3 संस्थागत व्यवस्था और योजना

2.3.1 असंगत आंकड़ों पर आधारित योजना

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना निर्माण और उसके क्रियान्वयन में नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाया जाना था। जनगणना में सूचीबद्ध सभी राजस्व ग्रामों को उनकी बस्तियों सहित योजना की मूल इकाई के रूप में लिया जाना था। प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार की जानी थी। इसके पश्चात्, वीएपी को समेकित कर जिला कार्य योजना (डीएपी) तैयार की जानी थी और अंततः डीएपी को समेकित कर राज्य कार्य योजना (एसएपी) तैयार की जानी थी, ताकि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम (आबाद एवं निर्जन) को एक विशिष्ट स्थान/जनगणना कोड (एलजीडी कोड) आवंटित किया गया था। जेजेएम पोर्टल पर दर्ज राजस्व ग्रामों के आंकड़ों को एलजीडी के आंकड़ों से सत्यापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि झारखण्ड में एलजीडी के अनुसार 32,737 गाँव थे, जबकि जेजेएम पोर्टल पर केवल 29,398 गाँव दर्ज किए गए थे। इस प्रकार 3,339 गाँव, जो एलजीडी में जनगणना गाँवों के रूप में प्रदर्शित थे, जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित नहीं किए गए।

एलजीडी और जेजेएम पोर्टल के अनुसार गाँवों की संख्या में नमूना जाँचित जिलों में पाया गया अंतर **तालिका 2.3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: नमूना जाँचित जिलों में गाँवों की संख्या में अंतर

ज़िला	एलजीडी के अनुसार गाँवों की संख्या			जेजेएम पोर्टल पर गाँवों की संख्या	जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित न किए गए गाँवों की संख्या
	आबाद	निर्जन	कुल		
कोडरमा	612	91	703	570	133
खूंटी	757	00	757	756	1
पूर्वी सिंहभूम	1,784	01	1,785	1,640	145
पश्चिमी सिंहभूम	1,659	28	1,687	1,648	39
धनबाद	1,139	75	1,214	1,135	79
हजारीबाग	1,322	01	1,323	1,203	120
कुल	**7,273**	**196**	**7,469**	**6,952**	**517**

तालिका 2.3.1 से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँचित जिलों के 517 गाँव (जिनमें नमूना जांचित जिलों के 321 आबाद गाँव शामिल हैं) जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित नहीं किए गए, जबकि ये गाँव एलजीडी में जनगणना गाँवों के रूप में प्रदर्शित थे।

एसएलएसएससी ने एएपी 2023-24 को अनुमोदित करते समय (मार्च 2023) एलजीडी और जेजेएम पोर्टल के बीच गाँवों की संख्या में अंतर के मुद्दे पर चर्चा की और इसे मिलान करने का निर्णय लिया। किन्तु, नवम्बर 2024 तक राज्य पीएमयू द्वारा इन आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि छः नमूना जांचित जिलों के 70 गाँव, जिन्हें एलजीडी में निर्जन दिखाया गया था, जेजेएम पोर्टल पर आबाद गाँव के रूप में दर्शाए गए थे और इन गाँवों के कुल 8,063 घरों में से 2,692 घरों को एफएचटीसी प्रदान किए गए थे।

चूँकि ग्रामीण घरों की संख्या, जिन्हें गाँवों की वीएपी में शामिल किया गया था, एफएचटीसी प्रदान करने की मूल इकाई थी, अतः जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित नहीं किए गए गाँवों में एफएचटीसी प्रदान न किए जाने का जोखिम था।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) बताया कि राजस्व ग्रामों की संख्या में अंतर के मुद्दे पर ध्यान दिया गया है और एलजीडी पंचायतों एवं गाँवों के आंकड़ों के मिलान हेतु भारत सरकार को पत्र भेजा गया है।

2.3.2 ग्राम स्तर की संस्थाएँ

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम कार्य योजना (वीएपी) का निर्माण ग्राम पंचायत (जीपी) अथवा उसकी उप-समिति (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/ पानी समिति/ उपयोगकर्ता समूह) द्वारा, क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी (आईएसए), जल

आपूर्ति विभाग और डीडब्ल्यूएसएम के सहयोग से किया जाना था। प्रत्येक वीडब्ल्यूएससी में 10 से 15 सदस्य होने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि:

- विभाग/एसडब्ल्यूएसएम ने (सितम्बर 2021) में खुले निविदा के माध्यम से 36 एनजीओ को आईएसए के रूप में सूचीबद्ध किया, जिनका अनुबंध काल 12 माह का था। आईएसए को वीएपी तैयार करने में; वीडब्ल्यूएससी का गठन करने में; समुदाय को सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय करने में; फील्ड टेस्ट किट्स (एफटीके) द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण में सहायता करने में; एफएचटीसी का जियो-टैगिंग और संबंधित आंकड़ा अद्यतन कराने में; तथा पूर्ण परिसंपत्तियों को वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करने में ग्राम पंचायतों की सहायता करनी थी। पीएमयू ने आगे प्रमंडलों को निर्देशित किया (जुलाई 2023) कि, आईएसए की अनुबंध अवधि को उनकी पूर्व प्रदर्शन समीक्षा करने के उपरांत (जैसे वीएपी की तैयारी, आईईसी और एसबीसीसी गतिविधियाँ, जल गुणवत्ता परीक्षण आदि कार्यों के सापेक्ष), मार्च 2024 तक बढ़ाया जाए।

नमूना जाँचित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (ईई) ने (सितम्बर 2021 से जनवरी 2022 के बीच) 10 आईएसए के साथ प्रारंभिक समझौते किए, ताकि छः नमूना जाँचित जिलों के 6,952 गाँवों[21] में से 600 गाँवों के वीएपी तैयार किए जा सकें। आगे, पीएमयू ने (फरवरी 2022 और मई 2023) में 4,305 अतिरिक्त वीएपी[22] का लक्ष्य तय किया। तथापि, नमूना जाँचित प्रमंडलों ने आईएसए की अनुबंध अवधि बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। परिणामस्वरूप, 2021-24 के दौरान, आईएसए 4,905 वीएपी के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 821 वीएपी[23] की तैयारी में ही सहायता कर सके। आईएसए द्वारा तैयार 32 वीएपी की जांच में यह पाया गया कि दो वीएपी में वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का विवरण नहीं था, जबकि नौ वीएपी में केवल दो से पांच सदस्यों का विवरण था, जबकि वीडब्ल्यूएससी का गठन 10 से 15 सदस्यों के साथ किया जाना अपेक्षित था।

- आईएसए की नियुक्ति से पूर्व, प्रमंडलों ने अपने स्तर पर स्वयं वीएपी तैयार किए थे, जिनमें वीडब्ल्यूएससी और संबंधित ग्राम पंचायतों की कथित सहभागिता दर्शाई गई थी, और इन्हें 2020-21 में जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। नमूना जाँचित

---

[21] धनबाद: 1,135; पूर्वी सिंहभूम: 1,640; हजारीबाग: 1,203; खूंटी: 756; कोडरमा: 570 तथा पश्चिमी सिंहभूम: 1,648.

[22] धनबाद: 732; पूर्वी सिंहभूम: 1,009; हजारीबाग: 730; खूंटी: 461; कोडरमा: 371 तथा पश्चिमी सिंहभूम: 1,002.

[23] धनबाद: शून्य; पूर्वी सिंहभूम: 180; हजारीबाग: 184; खूंटी: 88; कोडरमा: 60 तथा पश्चिमी सिंहभूम: 309.

26 गाँवों के अपलोडेड वीएपी की लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया गया कि 26 में से चार वीएपी में वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का विवरण नहीं था, जबकि 20 वीएपी में केवल एक से तीन सदस्यों का ही विवरण था। इसके अतिरिक्त, धनबाद जिले के 111 वीएपी, जिन्हें प्रमंडल द्वारा तैयार किया गया था, उनमें ग्राम पंचायत के मुखिया अथवा वीडब्ल्यूएससी के जल सहिया के हस्ताक्षर तो थे, परन्तु उनमें वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे ग्राम सभा की तिथि, ग्राम में कुल घरों, एफएचटीसी की आवश्यकता आदि सम्मिलित नहीं थी। केवल ग्राम, पंचायत, प्रखंड और जिला का नाम ही उल्लेखित पाया गया।

इस प्रकार, वीएपी की तैयारी में वीडब्ल्यूएससी की सहभागिता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि आईएसए को वीएपी की तैयारी में वीडब्ल्यूएससी को तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। आईएसए ने प्रमंडलों में अपना कार्य केवल जनवरी 2022 से ही प्रारंभ किया था। अतः प्रमंडलों ने राज्य स्तरीय टीमों द्वारा प्रदत्त सहयोग से अधिकतम संख्या में वीएपी तैयार किए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी गाँवों में वीडब्ल्यूएससी का गठन निर्धारित संख्या के सदस्यों के साथ नहीं किया गया और वीएपी की तैयारी में वीडब्ल्यूएससी की वास्तविक सहभागिता भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

2.3.3 उच्च स्तरीय संस्थाएँ

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य स्तर पर एसडब्ल्यूएसएम के साथ एसएलएसएससी (एसडब्ल्यूएसएम की सर्वोच्च समिति) और जिला स्तर पर डीडब्ल्यूएसएम स्थापित थे। तथापि, डीडब्ल्यूएसएम ने जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार वीएपी पर आधारित डीएपी की तैयारी सुनिश्चित नहीं की। जेजेएम के अंतर्गत योजनाएँ[24] प्रमंडलों अथवा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की गईं और एसएलएसएससी द्वारा स्वीकृत की गईं, जिसमें डीडब्ल्यूएसएम की भागीदारी नहीं थी।

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, डीडब्ल्यूएसएम की मासिक बैठकें आयोजित की जानी थीं। नमूना जाँचित नौ प्रमंडलों में से केवल तीन प्रमंडल[25] ही डीडब्ल्यूएसएम की

---

[24] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीर निर्मल योजना, मुख्यमंत्री जननल योजना, राज्य योजना आदि, के अंतर्गत चल रही तथा अपूर्ण योजनाएँ; राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन्तु प्रारंभ न की गई योजनाएँ; वे योजनाएँ जिनके लिए सक्षम विभागीय अभियंताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है; तथा वे योजनाएँ जिन्हें मुख्य अभियंता, डीडब्ल्यूएसडी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

[25] हजारीबाग: 12; खूंटी: 8; कोडरमा: 20.

40 बैठकों की कार्यवृत्त (एमओएम) प्रस्तुत कर सके, जबकि जेजेएम के शुरू होने (अगस्त 2019) से लेकर सितंबर 2019 और मार्च 2024 के बीच कुल 165 बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित थीं। डीडब्ल्यूएसएम की एमओएम की जांच से यह ज्ञात हुआ कि प्रायः इन बैठकों में चल रही योजनाओं की पूर्णता में विलंब, लाभार्थियों को एफएचटीसी की आपूर्ति तथा आईईसी गतिविधियों पर चर्चा की गई। किन्तु, डीडब्ल्यूएसएम ने समुदायिक सहभागिता से वीएपी न तैयार होने के कारणों, उनके संकलन से डीएपी बनाने तथा डीएपी को एसडब्ल्यूएसएम को प्रस्तुत करने के विषयों की समीक्षा नहीं की।

इस प्रकार, डीडब्ल्यूएसएम ने जेजेएम की योजना और क्रियान्वयन में कोई प्रभावी योगदान नहीं दिया।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि 2021-23 के दौरान हितधारकों के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। जेजेएम की उचित योजना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श बैठकें भी आयोजित की गईं। राज्य स्तर पर वीडब्ल्यूएससी और डीडब्ल्यूएसएम की भूमिका पर चर्चा हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की योजना बनाने और विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं की भूमिका परिभाषित करने हेतु प्रशिक्षण और सहयोग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूएसएम ने वीएपी की तैयारी तथा उनके संकलन से डीएपी बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की, जैसा कि अपेक्षित था, ताकि जेजेएम के अंतर्गत प्रभावी योजना बनाई जा सके। निकास सम्मलेन के दौरान, प्रधान सचिव ने (जून 2025) में बताया कि आगे से जेजेएम की योजना प्रक्रिया में डीडब्ल्यूएसएम की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

2.3.4 योजना में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वीएपी को संबंधित ग्राम सभा द्वारा उसके 80 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था।

नमूना जांचित प्रमंडलों में वीएपी की जाँच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- नमूना जांचित 26 गाँवों के वीएपी, जो प्रमंडलों द्वारा तैयार किए गए थे, के विश्लेषण से यह पाया गया कि 26 में से 12 वीएपी बिना कोई ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए तैयार किए गए थे। चार वीएपी में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं था। छः वीएपी केवल दो से छः प्रतिशत ग्राम सभा सदस्यों[26] द्वारा

[26] भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड की कुल जनसंख्या 3.29 करोड़ में से लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या (1.97 करोड़) मतदाता है। तदनुसार, किसी गाँव की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में माना गया है, क्योंकि गाँव का प्रत्येक मतदाता ग्राम

अनुमोदित किए गए थे। दो वीएपी को 12 से 17 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जबकि अन्य दो वीएपी क्रमशः 23 और 25 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए गए। इस प्रकार, प्रमंडलों द्वारा योजना निर्माण में समुदाय की सहभागिता अपेक्षित रूप से सुनिश्चित नहीं की गई।

- आईएसए की सहायता से तैयार किए गए तीन[27] नमूना जांचित प्रमंडलों के 32 वीएपी के विश्लेषण से यह पाया गया कि चाईबासा प्रमंडल के नौ वीएपी में ग्राम सभा की बैठकों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जबकि शेष दो प्रमंडलों के 23 वीएपी केवल एक से 12 प्रतिशत ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

इस प्रकार, वीएपी ग्राम समुदाय की सहभागिता से अपेक्षित रूप से तैयार नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 479 लाभार्थियों में से 191 (40 प्रतिशत) ने यह बताया कि जेजेएम के अंतर्गत योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन से पूर्व उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया था।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि सभी उपायुक्तों और कार्यपालक अभियंताओं को (अगस्त और सितम्बर 2020) में यह निर्देश दिया गया था कि आईएसए की सहायता से वीएपी की तैयारी में समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तथापि, अधिकांश वीएपी आईएसए की नियुक्ति से पूर्व ही प्रमंडलों द्वारा तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निकास सम्मलेन (जून 2025) में, डीडब्ल्यूएसडी के प्रधान सचिव ने यह स्वीकार किया कि योजना के त्वरित क्रियान्वयन के कारण कुछ तैयार वीएपी में विसंगतियाँ रहीं और उन्होंने यह भी कहा कि आगे से योजना प्रक्रिया में डीडब्ल्यूएसएम और संबंधित उपायुक्त की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.3.5 सूक्ष्म स्तर की योजना

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वीएपी एक आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जानी थी, जिसमें गाँव की जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता, उपलब्ध जल स्रोतों का मानचित्रण तथा ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं/जरूरतों को सम्मिलित किया जाना था। इसमें गाँव की मौजूदा अवसंरचना की स्थिति (सामुदायिक परिसंपत्तियों सहित), मौजूदा जल स्रोतों की स्थिति, आवश्यक जलापूर्ति परियोजना (एसवीएस अथवा एमवीएस का हिस्सा) का प्रस्ताव तथा उनका स्थान, पशु-पात्र का स्थान, गाँव के भीतर जल आपूर्ति अवसंरचना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम, ग्रे-वॉटर प्रबंधन योजना[28],

---

सभा का सदस्य होता है।

[27] चाईबासा-09; चक्रधरपुर-09 तथा खूंटी-14

[28] घरेलू मलरहित अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार को ग्रे वाटर कहा जाता है, जो सामान्यतः कुल

दीर्घकालिक ओ एंड एम योजना, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण योजना तथा वित्तीय योजना सम्मिलित होना अपेक्षित था। गाँव में सभी पेयजल संबंधी कार्यों को अनुमोदित वीएपी के अनुसार ही लिया जाना था।

राज्य में कुल 29,398 गाँवों के विरुद्ध, नवम्बर 2024 तक 29,174 वीएपी तैयार किए गए थे, जिनमें छः नमूना जाँचित जिलों के 6,927 वीएपी सम्मिलित थे। 26 नमूना जाँचित गाँवों के वीएपी के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी में सामान्यतः गाँव की जनसंख्या, कुल घरों की संख्या, बिना नल संयोजन वाले घरों की संख्या तथा स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों जैसी सार्वजनिक संस्थाओं की संख्या की जानकारी दी गई थी। किन्तु इनमें मौजूदा अवसंरचना, उपलब्ध जल स्रोतों, ग्रे-वॉटर उत्पादन और उसके प्रबंधन की व्यवस्था का विवरण नहीं था। वीएपी में उपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं (एमवीएस/एसवीएस) के प्रस्ताव, पशु-पात्र की आवश्यकता, चरणबद्ध क्रियान्वयन योजना और वित्तीय योजना का भी अभाव था।

- आईएसए की सहायता से तैयार तीन[29] नमूना जाँचित प्रमंडलों के 32 वीएपी के विश्लेषण से यह पाया गया कि इनमें भी दैनिक जल आवश्यकता का विश्लेषण, जल आपूर्ति का इतिहास, ग्रे-वॉटर उत्पादन/प्रबंधन की स्थिति, स्रोत स्थिरता का विश्लेषण तथा उपलब्ध स्रोतों की जल गुणवत्ता जैसी आवश्यक जानकारियाँ सम्मिलित नहीं थीं।

- आईएसए (फरवरी 2022 से मार्च 2024 के बीच) और प्रमंडलों (जुलाई एवं अगस्त 2021) द्वारा तैयार वीएपी के आंकड़ों में भी विसंगतियाँ पाई गईं, जैसा कि **तालिका 2.3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.2: आईएसए और नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी के आंकड़ों में विसंगति

श्रेणी	आईएसए की सहायता से तैयार वीएपी	प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी
गाँवों की जनसंख्या	25,615	28,007
कुल घरों की संख्या	5,889	5,671

तालिका 2.3.2 से यह देखा जा सकता है कि 32 गाँवों की जनसंख्या आईएसए द्वारा तैयार वीएपी में कम दिखाई गई, जबकि घरों की संख्या प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी की तुलना में अधिक दर्शाई गई।

इस प्रकार, यद्यपि वीएपी जेजेएम के योजना एवं क्रियान्वयन के मुख्य दस्तावेज थे, फिर भी इनमें आवश्यक विवरण जैसे - गाँव में जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता,

घरेलू जल के लगभग 80 प्रतिशत के बराबर होता है।

29 चाईबासा-09; चक्रधरपुर-09 तथा खूंटी-14.

उपलब्ध जल स्रोतों का मानचित्रण तथा ग्राम समुदाय की आवश्यक्ताओं/जरूरतों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सम्मिलित नहीं किया गया।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुरसी गाँव[30] में कुरसी आरपीडब्लूएसएस के द्वारा 231 एफएचटीसी प्रदान किए गए थे, जिनमें उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, लदुरबासा में नल कनेक्शन भी सम्मिलित था, (नवम्बर 2017) जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से लिया गया था। और नवम्बर 2019 से क्रियाशील थी। तथापि, उसी विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा 2022-23 में स्वयं के फंड से ₹ दो लाख की लागत से पुनः पेयजल सुविधा स्थापित की गई। यह वीएपी में अभिसरण योजना के अभाव को दर्शाता है, जिसके कारण योजनाओं का दोहराव हुआ।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि दोहरे कार्यों से बचने हेतु डीडब्ल्यूएसएम स्तर पर अंतर-विभागीय बैठकों के माध्यम से समन्वय किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि वीएपी की गुणवत्ता बनाए रखना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वीएपी को अद्यतन करते समय सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा।

2.3.6 व्यापक स्तर की योजना

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा वीएपी को समेकित करके जिला कार्य योजनाएँ (डीएपी) तैयार की जानी थीं और इनसे सभी घरों को 2024 तक एफएचटीसी उपलब्ध कराने का रोडमैप दिया जाना था। डीएपी को जिले की दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसके लिए वार्षिक जिला जल बजट तैयार किया जाना था, जो सतही और भूजल की उपलब्धता तथा उसके घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग पर आधारित हो। डीएपी में जल संरक्षण गतिविधियों की योजना, जल गुणवत्ता निगरानी/पर्यवेक्षण, वित्तीय संसाधन योजना, आईईसी गतिविधियाँ, कौशल विकास, स्थानीय समुदायों की सहभागिता आदि को सम्मिलित किया जाना था।

राज्य कार्य योजना (एसएपी) एसडब्ल्यूएसएम द्वारा डीएपी को समेकित कर 2024 तक की अवधि के लिए तैयार की जानी थी, जिसमें समग्र रणनीतिक योजना, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लिए जाने वाले कार्यकलाप, समयबद्ध उपलब्धियाँ और वित्तीय प्रावधान शामिल होने थे। राज्य की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) एसएपी से तैयार की जानी थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य सामने आए।

- नमूना जाँचित प्रमंडलों द्वारा लेखापरीक्षा को डीएपी उपलब्ध नहीं कराए गए। जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए गए डीएपी के विश्लेषण से यह पाया गया कि उनमें

---

[30] पंचायत: कुरसी, प्रखंड: चाईबासा, जिला: पश्चिमी सिंहभूम.

केवल प्रखंडों, पंचायतों, गाँवों, सामुदायिक परिसंपत्तियों, कुल घरों की संख्या, नल संयोजन वाले घरों की संख्या, आवश्यक एफएचटीसी और नल कनेक्शनों से आच्छादित गाँवों की प्रतिशत संख्या संबंधी आंकड़े ही सम्मिलित थे। इन डीएपी में जिले की कुल जल आवश्यकता, जल उपलब्धता, जलापूर्ति परियोजनाओं के निर्माण का रोडमैप, जल संरक्षण की योजना और आवश्यक वित्तीय संसाधनों का विवरण सम्मिलित नहीं था।

- अनुरोध किए जाने के बावजूद, पीएमयू द्वारा एसएपी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। जेजेएम की जलापूर्ति योजनाएँ विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित की गईं। एसएपी की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर पाया कि 2024 के अंत तक ग्रामीण घरों को शत-प्रतिशत एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए राज्य की रणनीति/योजना पर्याप्त थी या नहीं।

- राज्य की 2020-21 से 2023-24 तक की एएपी में मुख्यतः अनाच्छादित घरों की स्थिति, वर्ष हेतु एफएचटीसी का लक्ष्य, आवश्यक वित्तीय संसाधन और पूर्ववर्ती एएपी के विरुद्ध उपलब्धियाँ सम्मिलित थीं। तथापि, विभिन्न वर्षों की एएपी में घरों की संख्या में अंतर पाया गया, जैसा कि **तालिका 2.3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.3: विभिन्न वर्षों की एएपी में घरों के आंकड़ों में अंतर

श्रेणी	एएपी 2020-21	एएपी 2021-22	एएपी 2022-23	एएपी 2023-24
गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में कुल घर	17,700[31]	13,177	7,638	उपलब्ध नहीं
सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्र में अनाच्छादित घर	22,52,816	26,05,320	21,84,403	उपलब्ध नहीं
एससी/एसटी बहुल गाँवों में अनाच्छादित घर	20,70,789	25,38,392	20,35,364	17,63,847
पीवीटीजी बस्तियों में अनाच्छादित घर	21,384	399	उपलब्ध नहीं	37,765

तालिका 2.3.3 से यह स्पष्ट है कि 2020-24 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल और अनाच्छादित घरों की संख्या सुसंगत नहीं रही। घरों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी सीधे एफएचटीसी की आपूर्ति और जेजेएम के अंतर्गत उपलब्धियों से जुड़ी हुई थी। एसएलएसएससी ने (मार्च 2023) में जेजेएम पोर्टल और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के बीच घरों की संख्या (13.81 लाख[32]) में अंतर पर भी चर्चा की, किन्तु नवम्बर 2024 तक राज्य पीएमयू द्वारा इसका मिलान नहीं किया गया।

---

[31] एएपी 2020-21 में गुणवत्ता प्रभावित गांवों में कुल घरों की संख्या उपलब्ध नहीं.

[32] जेजेएम: 62,02,675 तथा एसबीएम(जी): 48,21,197.

इस प्रकार, व्यापक स्तर की योजना विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं रही, जिससे सभी पात्र घरों को एफएचटीसी की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि जेजेएम के अंतर्गत 2024 तक राज्य की संतृप्ति हेतु पहले ही एक रोडमैप तैयार किया गया था और तदनुसार एफएचटीसी एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लक्ष्य तय किए गए थे। जेजेएम की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के पश्चात, विभाग ने (जनवरी 2025) में चल रही योजनाओं की पूर्णता और अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु संशोधित कार्य योजना तैयार की है। यह भी बताया गया कि जेजेएम पोर्टल और एसबीएम(जी) में घरों की संख्या के अंतर के मुद्दे को भारत सरकार के साथ समन्वय में संबोधित कर दिया गया है और इसे पूर्णतः सुलझा लिया जाएगा।

2.3.7 जल स्रोतों की संधारणीयता

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल स्रोतों की दीर्घकालिक योजना बनाई जानी आवश्यक थी। स्रोत संधारणीयता से यह सुनिश्चित होता है कि किसी जलापूर्ति योजना का संचालन उसकी डिज़ाइन अवधि तक निर्बाध रूप से हो सके। इसे वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण जैसे स्थिरता उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। भूजल-आधारित स्रोतों के मामले में, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं को अनुमानों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया किः

- एसडब्ल्यूएसएम ने (जून 2020) में संबंधित डीडब्लूएस अंचल के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में स्रोत खोज समिति (एसएफसी) का गठन किया, जहाँ जेजेएम योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना था। इस समिति का कार्य था कि किसी जलापूर्ति योजना के प्रस्तावों को एसएलएसएससी को भेजने से पूर्व जल स्रोत की स्थिरता प्रमाणित करे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि अधीक्षण अभियंताओं ने 21 नमूना जाँचित एमवीएस की स्रोत स्थिरता को प्रमाणित किया था, किन्तु नमूना जाँचित 454 भूजल-आधारित एसवीएस के अनुमानों/प्रस्तावों के साथ ऐसे प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। एसवीएस के अनुमानों में बोरवेल पुनर्भरण की व्यवस्था का भी प्रावधान नहीं था।

- जेजेएम के अंतर्गत भूजल-आधारित एसवीएस की भंडारण क्षमता[33] के आधार पर विभिन्न गहराइयों[34] के विभिन्न मॉडल के एसवीएस, स्वीकृत किए गए थे। तथापि,

---

[33] मॉडल-1ए की भंडारण क्षमता 2,000 लीटर, मॉडल-1बी की भंडारण क्षमता 5,000 लीटर तथा मॉडल-2 की भंडारण क्षमता 8,000 लीटर थी।

[34] मॉडल-1ए तथा मॉडल-1बी सामान्यतः 60 मीटर बोर गहराई के साथ स्वीकृत किए गए थे तथा

खुदाई से पूर्व नमूना जाँचित प्रखंडों ने बोर स्थल की स्रोत संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु कोई वैज्ञानिक विधि[35] नहीं अपनाई। खुदाई किए गए बोर से जल प्रवाह की प्रतिवेदन भी प्रमंडलों द्वारा संवेदकों से प्राप्त नहीं की गई, ताकि उनकी संधारणीयता सत्यापित की जा सके। यह इंगित करता है कि सभी मॉडलों में केवल बोर की गहराई को ही स्थिरता का आधार माना गया। इसके परिणामस्वरूप, एसवीएस से जल का अपर्याप्त प्रवाह हुआ।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि एसवीएस स्रोतों की संधारणीयता के लिए उसने विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण किया है ताकि जल संरक्षण और बोरवेल पुनर्भरण हेतु अवसंरचना तैयार की जा सके, जैसे - वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, चेक डैम, सिंचाई टैंक तथा नदियों और अन्य जल निकायों का पुनर्जीवन। सभी उपायुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ग्रे-वॉटर प्रबंधन हेतु वर्षा जल संचयन प्रणाली और सोख्ता गड्ढे विकसित करें।

तथ्य यह है कि योजना स्तर पर एसवीएस की स्रोत संधारणीयता सुनिश्चित नहीं की गई, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.4 कार्यों का प्रापण

विभाग ने झारखण्ड में बारहमासी नदियों की सीमित संख्या के कारण एमवीएस के माध्यम से आच्छादित नहीं किए जा सकने वाले गाँवों में आच्छादित किए जाने वाले घरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर/समूहों (एक ही क्लस्टर या समूह में कई एसवीएस) में एसवीएस[36] के विभिन्न मॉडलों को स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जांच के लिए चुने गए छः जिलों में 21,339 योजनाएं[37] ₹7,127.80 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू की गई थीं, जिनसे 13,37,982 एफएचटीसी उपलब्ध कराना था। इनमें से 18,726 योजनाएं[38] सितंबर 2024 तक पूरी हो चुकी थीं और 6,26,793 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा चुके थे। शेष 2,613 योजनाओं में से 1,842 योजनाएं निर्धारित समय सीमा (सितंबर 2024 से

मॉडल-2 को 90 मीटर बोर गहराई के साथ स्वीकृत किया गया था।

35 भूमिगत जल की उपलब्धता के संभावित स्थानों तथा जलभृतों (Aquifers) के पुनर्भरण के स्थानों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र तैयार किया गया है।

36 मॉडल 1ए जिसमें मौजूदा स्रोत की भण्डारण क्षमता 2,000 लीटर, मॉडल 1ए जिसमें नए स्रोत की भण्डारण क्षमता 2,000 लीटर, मॉडल 1बी जिसमें मौजूदा स्रोत की भण्डारण क्षमता 5,000 लीटर, मॉडल 1बी जिसमें नए स्रोत की भण्डारण क्षमता 5,000 लीटर और मॉडल 2 जिसमें 8,000 लीटर की भण्डारण क्षमता है।

37 एमवीएस: 103, एसवीएस: 21,236.

38 एमवीएस: 27, एसवीएस: 18,699.

पहले) की तुलना में चार से 59 महीने की विलंब से अपूर्ण थीं, जबकि 771 योजनाएं सितंबर 2024 के बाद पूर्ण होने वाली थीं।

लेखापरीक्षा में 20 एमवीएस और आठ क्लस्टरों/समूहों के 454 एसवीएस **(परिशिष्ट 2.1)** से संबंधित 28 एकरारनामों का विश्लेषण किया गया, जिनकी स्वीकृत राशि ₹ 2,342.10 करोड़ थी और जिनके लिए संवेदकों के साथ ₹ 2,016.24 करोड़ के एकरारनामे (नवंबर 2017 और जून 2023 के बीच) निष्पादित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग स्तर पर 39 निविदाओं **(परिशिष्ट 2.2)** की मूल्यांकन प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया। नमूना जांच किये गए कार्यों में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.4.1 निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाएँ जमा न करना

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (जेपीडब्ल्यूडी) संहिता के नियम 159 (क) के अनुसार, मात्रा विपत्र (बीओक्यू) की बिक्री के लिए सात से 14 दिन और बीओक्यू की बिक्री की अंतिम तिथि के बाद निविदा प्राप्त करने के लिए कार्य की निविदा लागत के आधार पर 14 से 18 दिन का समय दिया जाना था। इस प्रकार, ई-निविदा के मामले में, जहां बीओक्यू निविदा प्रकाशन की तिथि से ऑनलाइन उपलब्ध है, 21 से 42 दिन[39] का समय दिया जाना था। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में, एसई की पूर्व स्वीकृति से आवश्यकतानुसार निर्धारित समय सीमा को कम किया जा सकता है।

39 निविदाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया के विश्लेषण **(परिशिष्ट 2.2)** से पता चला कि 36 निविदाओं (92 प्रतिशत) में निविदा जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। निर्धारित समय सीमा न देने के औचित्य सहित, एसई की आवश्यक स्वीकृति भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया। इन 36 निविदाओं का विवरण **तालिका 2.4.1** में दिया गया है।

[39] ₹ 2.50 लाख से ₹ 2.5 करोड़ की लागत वाले कार्य: 21 दिन, ₹ 2.5 करोड़ से ₹ 20 करोड़: 31 दिन, ₹ 20 करोड़ से ₹ 50 करोड़: 35 दिन और 50 करोड़ से अधिक: 42 दिन।

तालिका 2.4.1: निविदाओं को जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा नहीं देना

कार्य की निविदा लागत	कार्यों की संख्या	जेपीडब्ल्यूडी संहिता के अनुसार निर्धारित समय	एनआईटी के अनुसार समय सीमा की अनुमति	निविदा पर निर्णय लेने में लगने वाला समय	निर्णय के बाद एलओए जारी करने में लगने वाला समय
		(दिनों में)			
₹ 2.5 करोड़ से ₹ 20 करोड़ तक	18	31	5 से 10	26 से 156	3 से 32
	11		12 से 22	32 से 157	1 से 114
₹ 20 करोड़ से ₹ 50 करोड़ तक	4	35	5 से 18	32 से 154	3 से 31
₹ 50 करोड़ से अधिक	3	42	5 से 17	43 से 62	5 से 19
कुल	**36**				

तालिका 2.4.1 से यह देखा जा सकता है कि निर्धारित 31 से 42 दिनों के मुकाबले 36 निविदाओं को जमा करने के लिए केवल पाँच से 22 दिन ही दिए गए थे। हालांकि, विभाग ने इन निविदाओं पर निर्णय लेने में 26 से 157 दिन का समय लिया और सफल निविदाकारों को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने में 114 दिन तक का समय लगा, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन कार्यों को पूरा करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, इन 39 निविदाओं में से तीन निविदाएं एकल निविदा थीं, 34 निविदाओं में केवल दो निविदाकार थे, और शेष दो निविदाओं में क्रमशः चार और पांच निविदाकार थे। एक या दो निविदाकारों वाली 37 निविदाओं को निविदा लागत के 0.5 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत अधिक दर पर निष्पादित किया गया। इसमें एसवीएस क्लस्टर की 26 निविदाएं शामिल थीं जिन्हें 4.5 प्रतिशत के एक समान अधिक दर पर निष्पादित किया गया था। शेष दो निविदाएं, जिनमें क्रमशः चार और पांच निविदाकार थे, निविदा लागत से क्रमशः 8.10 प्रतिशत और 14.64 प्रतिशत कम दर पर निष्पादित किया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने (जुलाई 2025 में) बताया कि एसवीएस का प्रस्ताव अधिकतर उन बस्तियों में रखा गया था जो या तो वन क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थीं। निविदाकारों ने ऐसे क्षेत्रों से संबंधित निविदाओं में भाग लेने में कम रुचि दिखाई और परिणामस्वरूप, कई मामलों में, निविदा जमा करने के लिए कम समय के साथ बार-बार निविदाएं आमंत्रित की गईं।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांचित दो प्रमंडलों (खूंटी और चक्रधरपुर) के 16 में से 12 निविदाएं पहली बार में ही अंतिम रूप दे दी गई थीं, जबकि चार निविदाएं दूसरी बार में अंतिम रूप दी गईं।

2.4.2 अयोग्य निविदाकारों को कार्य आवंटित करना

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि नमूना जांचित 39 निविदाओं में से सात निविदाएं (मार्च से जून 2023) एक संवेदक (एजेंसी डी[40]) को ₹ 54.05 करोड़ में विभागीय निविदा समिति (डीटीसी) द्वारा आवंटित की गई थीं। इसी संवेदक को (फरवरी 2022 से जुलाई 2023 के बीच) ₹ 94.07 करोड़ मूल्य की 13 अन्य निविदाएं भी आवंटित की गई थीं। इन सात निविदाओं के निविदा पत्रों के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- निविदा की शर्तों के अनुसार, निविदाकार को पांच वित्तीय वर्षों के खाता बही को प्रस्तुत करना आवश्यक था और उसकी निविदा क्षमता का आकलन उसके द्वारा निष्पादित सिविल कार्यों के टर्नओवर के आधार पर किया जाना था। हालांकि, निविदाकार ने सभी सात निविदाओं में केवल दो वित्तीय वर्षों (अर्थात 2020-21 और 2021-22) के लिए पूर्ण लाभ-हानि (पीएल) खाते और तुलन-पत्र (बीएस) प्रस्तुत किए थे। शेष तीन वर्षों के लिए अपूर्ण लाभ-हानि खाते प्रस्तुत किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएल खाते में ₹ 56.04 करोड़ का सकल टर्नओवर दर्शाया गया, जिसमें ₹ 5.27 करोड़ के सिविल इंजीनियरिंग कार्य शामिल थे। हालांकि, निविदा क्षमता (₹ 72.46 करोड़ से ₹ 159.36 करोड़[41]) की गणना सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के मूल्य के बजाय सकल टर्नओवर के आधार पर की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा गणना के अनुसार, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के मूल्य के आधार पर निविदा क्षमता ऋणात्मक (- ₹ 6.87 करोड़[42]) थी। इस प्रकार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा क्षमता न रखने वाले संवेदक को निविदा प्रदान की गई।

- किसी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, तकनीकी कर्मियों (अभियंता आदि) और उपकरणों (ड्रिल मशीन आदि) की आवश्यकता का उल्लेख निविदा दस्तावेज में किया गया था। यह देखा गया कि संवेदक ने सभी सात निविदाओं में समान तकनीकी कर्मियों और उपकरणों की सूची प्रस्तुत की थी। इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सभी सात निविदाओं को एक ही डीटीसी द्वारा निष्पादित किया गया था।

---

40 श्री साईं कंस्ट्रक्शन, रांची।

41 2021-22 में ₹56.03 करोड़ के सकल टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए, जिसे 1.1 के गुणन कारक के साथ 2022-23 में ₹61.64 करोड़ के बराबर निकाला गया। निविदा क्षमता = 2 एएन - बी = (2 x ₹61.64 करोड़ x 1.5) - ₹25.56 करोड़ = ₹159.36 करोड़। जहाँ ए = पिछले पाँच सालों में किसी एक साल में किए गए कार्यों की अधिकतम मूल्य, जिसे गुणन कारक लागू करने वाले मूल्य स्तर पर अद्यतन किया गया है, एन = पूरा होने का समय, और बी = मौजूदा प्रतिबद्धताओ का मूल्य।

42 निविदा क्षमता = 2 एएन - बी = (2 x ₹ 5,79,51,006.30 x 0.75) - ₹ 15,56,00,000 = (-) ₹ 6,86,73,490.55 जहाँ ए = ₹ 5,26,82,733 x 1.1 (गुणन कारक), एन = 9 महीने (0.75 वर्ष) और बी = ₹ 15,56,00,000 (मौजूदा प्रतिबद्धताएँ)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इन 20 निविदाओं[43] के एकरारनामे (फरवरी 2022 और जुलाई 2023 के बीच) नवंबर 2022 और सितंबर 2024 के बीच कार्यों को पूरा करने के लिए किए गए थे। हालांकि, सितंबर 2024 तक 20 में से केवल तीन कार्य ही पूरे हुए थे। शेष 17 कार्य निर्धारित समापन तिथि से पांच से 22 महीने बीत जाने के बावजूद अपूर्ण (सितंबर 2024 तक) थे, जिनकी भौतिक प्रगति 23 से 98 प्रतिशत के बीच थी।

इस प्रकार, एक ऐसे संवेदक को कई निविदाएँ प्रदान की गईं जिसके पास निविदा शर्तों के अनुसार पर्याप्त निविदा क्षमता और संसाधन (मानवबल और उपकरण) नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कार्य पूर्ण नहीं हो सके।

जवाब में, विभाग ने निविदा क्षमता की गलत गणना और संवेदक के पास उपलब्ध मानवबल और उपकरणों की क्षमता की अनदेखी पर मौन रहते हुए (जुलाई 2025) कहा कि संवेदकों को आवंटित कार्यों की मात्रा के अनुसार आवश्यक मानवबल नियुक्त करने थे।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निविदाओं को निष्पादित करने से पहले संवेदक की तकनीकी और वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना था।

2.4.3 निविदा मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव

39 निविदाओं की जांच में मिलीभगत वाली निविदा और चक्रानुक्रम निविदा के मामले सामने आए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- दो प्रमंडलों [44] के एसवीएस क्लस्टरों के कार्यों से संबंधित ₹38.62 करोड़ मूल्य की पांच निविदाओं में केवल दो संवेदकों (संवेदक एक्स[45] और संवेदक वाई[46]) ने भाग (नवंबर 2021 से मई 2022 तक) लिया। इनमें से तीन निविदाएं[47] एक प्रमंडल (चक्रधरपुर) में संवेदक एक्स को ₹23.04 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2022) की गई, जबकि अन्य दो निविदाएं[48] दूसरे प्रमंडल (चाईबासा) में संवेदक वाई को ₹17.32 करोड़ में प्रदान (जनवरी से जून 2022) की गई। दो एमवीएस (एक गढ़वा में और एक जमशेदपुर में) से संबंधित निविदाएं संवेदक एक्स और संवेदक वाई के संयुक्त उद्यम (जेवी) को ₹89.65 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2021 और दिसंबर 2022) की गईं।

---

[43] सात नमूना जांचित निविदा और 13 अन्य निविदा जो संवेदक को दी गईं।

[44] चक्रधरपुर और चाईबासा।

[45] मेसर्स प्रीति इंटरप्राइजेज, बोकारो।

[46] मेसर्स आदित्य आरव देव कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमीटेड, धनबाद।

[47] क्लस्टर 4ए, क्लस्टर 4बी और क्लस्टर 6सी.

[48] क्लस्टर 9ए और क्लस्टर 11ए.

संवेदक एक्स या उसके संयुक्त उद्यम (जिसमें संवेदक एक्स की अधिकतम हिस्सेदारी थी) ने चक्रधरपुर प्रमंडल के ₹25.98 करोड़ मूल्य के चार अन्य एसवीएस क्लस्टरों की निविदाओं में भी एक अन्य संवेदक (संवेदक जेड[49] या उसके संयुक्त उद्यम) के साथ भाग (दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में) लिया था। इनमें से तीन निविदाएं[50] संवेदक एक्स या उसके संयुक्त उद्यम को ₹21.13 करोड़ में प्रदान (अप्रैल और जुलाई 2022) की गईं और शेष एक निविदा (क्लस्टर 6 ए) संवेदक जेड के संयुक्त उद्यम को ₹6.02 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2022) की गई।

इस प्रकार, संवेदकों को विशिष्ट प्रमंडलों के लिए या तो अलग-अलग या उनके संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निविदाएं प्रदान की गईं। अतः इन निविदाओं में मिलीभगतपूर्ण निविदा[51] की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

- यह पाया गया कि एसवीएस क्लस्टरों से संबंधित दो प्रमंडलों (रांची पूर्व और खूंटी) की 11 निविदाओं (जिनका मूल्य ₹ 74.08 करोड़ था) में केवल दो संवेदकों (संवेदक एम[52] और संवेदक एन[53]) ने भाग (नवंबर और दिसंबर 2021) लिया। इनमें से नौ निविदाएं[54] संवेदक एम को ₹60.50 करोड़ में प्रदान (जनवरी और मई 2022) की गईं, जबकि रांची पूर्व प्रमंडल की शेष दो निविदाएं (क्लस्टर 5ए और 8बी) संवेदक एन को ₹16.62 करोड़ में प्रदान (मार्च 2022) की गईं।

जांच में आगे पता चला कि संवेदक एम ने दोनों निविदाकारों के लिए 11 में से 10 निविदाओं के लिए बीओक्यू की लागत के लिए डिमांड ड्राफ्ट खरीदे थे, जबकि एजेंसी एन ने शेष एक निविदा के लिए दोनों निविदाकारों के लिए डिमांड ड्राफ्ट खरीदे थे।

प्रतिस्पर्धियों के लिए डिमांड ड्राफ्ट की खरीद से इन संवेदकों द्वारा निविदाओं में हेरफेर[55] या मिलीभगत से बोली लगाने की संभावना का संकेत मिलता है।

---

49 मेसर्स मोसस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लोहरदगा।

50 क्लस्टर 6बी, क्लस्टर 12ए और क्लस्टर 12सी.

51 मिलीभगतपूर्ण निविदा/व्यापारिक गठबंधन बनाना, व्यापारिक गठबंधन सदस्यों का मुनाफा बढ़ाने के लिए प्रतिद्वंदिता का भ्रम पैदा करता है। निविदाकार एक साथ मिलकर दर में हेरफेर करते हैं। व्यापारिक गठबंधन आपसी सहमति से बोली जीतने की संभावना, पसंदीदा जगह पर बोली लगाने, ज़्यादा/अप्रतियोगी और सबसे कम दर बताकर निविदित दर बढ़ाने का फैसला करता है।

52 श्री सरोज नारायण प्रसाद सिंह, नालंदा, बिहार।

53 श्री समीर सौरव, नालंदा, बिहार।

54 (i) खूंटी प्रमंडल के सभी सात निविदाए (क्लस्टर 8ए, 8बी, 9ए, 9बी, 10ए, 10बी और 11ए) और (ii) रांची प्रमंडल के चार निविदा में से दो (क्लस्टर 3ए और 3बी)।

55 निविदाकारों के बीच चक्रानुक्रम आधार पर निविदा पाने का एक व्यवस्था, जिसमें पहले से तय हो कि किस निविदाकार को कौन सा निविदा मिलेगा।

- एसबीडी (निविदाकारों के लिए निर्देश) के खंड 4.5.बी (बी) के अनुसार, प्रत्येक निविदाकार को प्रत्येक योजना के लिए अनुभवी प्रमुख कर्मियों[56] की उपलब्धता प्रदर्शित करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसवीएस क्लस्टरों से संबंधित 15 निविदाएं तीन[57] अलग-अलग प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र में दो संवेदकों (संवेदक एम को नौ और संवेदक एक्स को छः) को आवंटित (जनवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच) की गईं। इसके अलावा, सभी आवंटित कार्यों को नौ महीनों (अक्टूबर 2022 से मई 2023 के बीच) में पूरा किया जाना था, इसलिए निर्धारित समय के अंदर पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मानव संसाधन तैनात किए जाने आवश्यक थे। हालांकि, यह देखा गया कि इन संवेदकों ने अपने सभी आवंटित निविदाओं में एक ही मानव संसाधन/प्रमुख कर्मियों का विवरण प्रस्तुत किया था। डीटीसी द्वारा इस पहलू पर विधिवत विचार नहीं किया गया और एक ही संवेदक को विभिन्न प्रमंडलों में कई कार्य आवंटित किए गए। संवेदक के पास पर्याप्त मानव संसाधन की कमी के कारण सितंबर 2024 तक 15 में से 8 कार्यों के पूरा होने में 15 से 21 महीने की विलंब हुई।

इस प्रकार, डीटीसी ने एक ही संवेदक को कई कार्य देने से पहले उनके पास उपलब्ध तकनीकी मानव संसाधन के संबंध में संवेदकों की क्षमता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों में विलंब हुई या वे पूरे नहीं हुए।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार निविदा क्षमता और अन्य संबंधित मुद्दों के मूल्यांकन के बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा निविदाओं पर निर्णय लिया गया था। यह भी कहा गया कि निविदा को अंतिम रूप देने में एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी और निविदा में हेराफेरी, निविदा में फेरबदल या मिलीभगत से बोली लगाने का कोई सवाल ही नहीं था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली लगाने का तरीका, दरों का प्रस्ताव और निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत प्रमुख कर्मियों के दस्तावेज मिलीभगत से बोली लगाने/बोली में फेरबदल की ओर इशारा करते हैं।

2.4.4. कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा में अधिक भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना, मूल्य भिन्नता का अनियमित भुगतान, निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना और कार्य के कार्यान्वयन में देरी के मामले भी सामने आए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

---

[56] प्रोजेक्ट मैनेजर: 1, साइट इंजीनियर: 1, साइट सुपरवाइज़र: 2, सुपरवाइज़र: 1 और सोशल मोबिलाइज़र: 1

[57] चक्रधरपुर: 6, खूंटी: 7 और रांची पूर्वी: 2.

- एकरारनामा की भुगतान अनुसूची के अनुसार, संवेदक को डीआई पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के बाद उनकी लागत का 85 प्रतिशत और परियोजना के चालू होने के बाद शेष 15 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, एकरारनामा के खंड 39 और 40 के अनुसार, संवेदक को अभियंता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अद्यतन कार्य योजना में सभी विचलनों को शामिल करना आवश्यक था।

जगन्नाथपुर ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना (आरपीडब्ल्यूएसएस) को अप्रैल 2023 में चाईबासा प्रमंडल के अंतर्गत ₹118.60 करोड़ की अनुबंधित लागत पर जगन्नाथपुर प्रखण्ड के 54 गाँवों में 13,072 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना जुलाई 2025 तक पूरी होनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदक को डीआई पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के बाद 100 प्रतिशत लागत (₹ 34.05 करोड़) का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया गया था, जबकि यह राशि 85 प्रतिशत (₹ 28.94 करोड़) होनी चाहिए थी, क्योंकि सितंबर 2024 तक योजना का भौतिक कार्य 48 प्रतिशत ही पूरा हुआ था और इसे चालू नहीं किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विचलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए संवेदक को अतिरिक्त वितरण पाईपलाइनों (150 और 300 मिमी व्यास) बिछाने के लिए ₹ 2.75 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो कि अनुबंधित मात्रा से अधिक (32 से 154 प्रतिशत के बीच) थीं। इस प्रकार, संवेदक को डीआई पाइपों की लागत के लिए ₹ 5.11 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया गया और एकरारित मात्रा से अधिक हुए विचलन के विरुद्ध ₹ 2.75 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) बताया कि काम प्रगति पर है और अस्वीकार्य भुगतान संवेदक के भविष्य के चालू खाता विपत्रों से समायोजित किया जाएगा।

- चाईबासा प्रमंडल के अंतर्गत चाईबासा प्रखण्ड के 52 गाँवों को 17,963 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ऐता और पुराना चाईबासा, दो आरपीडब्ल्यूएसएस योजनाएं ₹ 94.03 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (फरवरी 2019) की गईं। कार्य फरवरी 2022 तक पूरा होना था। संवेदक को पाईप की लागत देय राशि ₹ 12.69 करोड़ (85 प्रतिशत) के बजाय ₹ 13.81 करोड़ का भुगतान (सितंबर 2024 तक) किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं को चालू किए बिना ₹ 1.12 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ। सितंबर 2024 तक, योजनाओं की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत (ऐता आरपीडब्ल्यूएसएस) और 60 प्रतिशत (पुराना चाईबासा आरपीडब्ल्यूएसएस) थी।

इसके अलावा, एकरारनामा के खंड 51 के अनुसार, संवेदक को संसाधनों के जुटाव के लिए एकरारित मूल्य का 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में दिया जाना था। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली संवेदक को किए गए अंतरिम भुगतानों से निर्धारित समापन तिथि के भीतर की जानी थी।

प्रमंडल ने संवेदक को उपकरण खरीद या संसाधन जुटाने के समर्थन में चालान या अन्य दस्तावेज़ मांगे बिना ही ₹ 9.40 करोड़ का अग्रिम (जून 2019 और जुलाई 2019 के बीच) दे दिया था। सितंबर 2024 तक, निर्धारित समय सीमा (फरवरी 2022) तक केवल ₹ 1.61 करोड़ ही वसूल किए जा सके, जबकि ₹ 7.79 करोड़ की वसूली लंबित थी। इन योजनाओं के सितम्बर 2024 तक अधूरा रहने का मुख्य कारण था, आवश्यक जनशक्ति की तैनाती न होने, संवेदक द्वारा धीमी गति से काम करने[58], विभिन्न घटकों के डिज़ाइन और रेखाचित्रों को प्रस्तुत करने/मंजूरी में विलंब (सितंबर 2024 तक), ऐता आरपीडब्ल्यूएसएस के जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) के लिए स्थल उपलब्ध कराने में विलंब (अक्टूबर 2023) और पाईपलाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी[59]) प्राप्त करने में देरी। यह भी देखा गया कि विभाग ने संवेदक को अनुस्मारक जारी करने के अलावा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को संवेदक के अगले चालू खाता विपत्र से राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया था।

- विभाग ने चाईबासा प्रमंडल के 283 गाँवों को अच्छादित करने के लिए ₹ 214.05 करोड़ की लागत से 12 एसवीएस क्लस्टर (कुल 2,481 एसवीएस) स्वीकृत (नवंबर 2021) किए, जिनमें 66,301 एफएचटीसी शामिल थे। नौ महीने के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए ₹ 216.89 करोड़ की लागत से 30 एकरारनामे किए गए (फरवरी 2022 और मई 2023)। सितंबर 2024 तक, 2,481 एसवीएस (विभिन्न क्लस्टरों में) में से 2,303 एसवीएस ₹ 155.34 करोड़ की लागत से पूरे हो चुके थे, जिनके माध्यम से 56,719 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे।

30 एकरारनामों में से तीन[60] एकरारनामों (जो एक क्लस्टर के लिए फरवरी और अगस्त 2022 के बीच निष्पादित किए गए थे) जिनकी कीमत ₹ 19.98 करोड़ थी, की जांच से पता चला कि सितंबर 2024 तक एक एकरारनामा (उप-क्लस्टर 11बी जिसमें 77 एसवीएस और 4,016 एफएचटीसी का प्रावधान था) के तहत कोई काम नहीं किया गया था। शेष दो एकरारनामों में, ईई/एसई द्वारा निष्पादन के दौरान स्वीकृत एसवीएस के मॉडल और संख्या में परिवर्तन किए गए थे, जैसा कि **तालिका 2.4.2** में दिखाया गया है।

---

58 कार्यपालक अभियंता ने (जून 2020 से फरवरी 2024 तक) ठेकेदार को पिछले छह से 12 महीनों से इनटेक वेल, एलिवेटेड सर्विस रिज़र्वॉयर, पाइप बिछाने जैसे अवयवों के धीमे काम और कुछ भाग/स्थलों पर काम न होने के बारे में स्मरण दिलाया।

59 पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे और रोड से और ऐता आरपीडब्ल्यूएसएस के डब्ल्यूटीपी बनाने के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी सितंबर 2024 तक लंबित थीं।

60 चाईबासा प्रमंडल के क्लस्टर 11 ए : 7 एसबीडी/2021-22 के लिए ₹7.21 करोड़, क्लस्टर 11 बी: 2 एसबीड /2021-22 के लिए ₹7.48 करोड़ और क्लस्टर 11 सी: 9 एसबीडी/2022-23 के लिए ₹5.29 करोड़ नवंबर 2021 में स्वीकृत हुए।

तालिका 2.4.2: कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तित किए गए मॉडल और एसवीएस की संख्या का विवरण

उप-क्लस्टर	एसवीएस के स्वीकृत मॉडल और निष्पादित एकरारनामे				निर्मित मॉडल		
	मॉडल	संख्या	भंडारण क्षमता (लीटर में)	अधिकतम एफएचटीसी उपलब्ध करने योग्य	संख्या	निर्मित भंडारण क्षमता	एफएचटीसी
11 ए	1 ए स्रोत के साथ	11	22,000	110	शून्य	शून्य	शून्य
	1 बी स्रोत के साथ	39	1,95,000	780	53	2,65,000	1,060
	1 बी बिना स्रोत के	शून्य	शून्य	शून्य	2	10,000	40
	नमूना 2 (स्रोत के साथ)	31	2,48,000	1,240	शून्य	शून्य	शून्य
	उप योग	**81**	**4,65,000**	**2,130**	**55**	**2,75,000**	**1,100**
11 सी	1 ए स्रोत के साथ	15	30,000	150	3	6,000	30
	1 ए बिना स्रोत के	1	2,000	10	शून्य	शून्य	शून्य
	1 बी स्रोत के साथ	11	55,000	220	43	2,15,000	860
	1 बी बिना स्रोत के	5	25,000	100	12	60,000	240
	मॉडल 2 (स्रोत के साथ)	29	2,32,000	1,160	13	1,04,000	520
	उप योग	**61**	**3,44,000**	**1,640**	**71**	**3,85,000**	**1,650**
	कुल योग	**142**	**8,09,000**	**3,770**	**126**	**6,60,000**	**2,750**

तालिका 2.4.2 से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत एसवीएस से 8.09 लाख लीटर भंडारण क्षमता का निर्माण होना था, जिससे अधिकतम 3,770 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें। हालांकि, एसवीएस के मॉडल और संख्या में परिवर्तन के कारण, केवल 6.60 लाख लीटर भंडारण क्षमता का निर्माण हो सका, जो अधिकतम 2,750 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ही पर्याप्त था।

गाँव/बस्ती में अनाच्छादित परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एसवीएस के मॉडल स्वीकृत किए गए थे, इसलिए इन परिवर्तनों से लक्षित परिवारों के आच्छादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि एसवीएस योजनाएँ एकरारनामे के अनुसार कार्यान्वित की गईं, लेकिन सभी लाभार्थियों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ मॉडलों में बदलाव किए गए थे।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्मित भंडारण क्षमता परिकल्पित क्षमता से कम थी, जिससे अंततः परिवारों का आच्छादन कम होगा।

- विभाग ने चाईबासा प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के 25 गाँवों में 3,470 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹ 13.35 करोड़ की लागत से 132 एसवीएस (25 समूहों में) स्वीकृत (2021-23) किए। प्रमंडल ने (फरवरी 2021 और मई 2023 के बीच) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 13 करोड़ मूल्य के 25 अनुबंध

निष्पादित किए। सितंबर 2024 तक, इन एसवीएस में 3,466 एफएचटीसी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और संवेदकों को ₹ 9.66 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

- 25 एकरारनामों में से तीन[61] की जांच से पता चला कि दो एकरारनामों (14 और 21 एफ 2) के तहत 17 एसवीएस से 409 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि, मॉडल 1 ए और 1 बी के 10 एसवीएस से 166 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इन्हें अधिकतम 140 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह भी देखा गया कि मॉडल 2 के सात एसवीएस से केवल 243 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इन्हें 280 एफएचटीसी तक उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रकार, एसवीएस की क्षमता पर विचार किए बिना परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए, जिससे लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी, जैसा कि **तालिका 2.4.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4.3: एसवीएस द्वारा परिवारों को प्रदान किए गए एफएचटीसी का विवरण

एकरारनामा संख्या	एसवीएस का मॉडल	निर्मित एसवीएस की संख्या	उपलब्ध कराने योग्य अधिकतम एफएचटीसी	एफएचटीसी प्रदान किया गया
14 एफ2/2023-24	मॉडल 1 ए	3	30	31
	मॉडल 1 ए	3	30	43
	मॉडल 1 बी	1	20	25
21 एफ2/2023-24	मॉडल 1बी	3	60	67
	उप योग	10	**140**	**166**
14 एफ 2/2023-24	मॉडल 2	5	200	175
21 एफ 2/2023-24	मॉडल 2	2	80	68
	उप योग	**7**	**280**	**243**
	कुल योग	**17**	**420**	**409**

- एक एकरारनामा (2 एफ2) के तहत, स्वीकृत बस्तियों से भिन्न चार बस्तियों[62] में मॉडल 2 के छः एसवीएस का निर्माण किया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि स्वीकृत दो एसवीएस (मॉडल 1 बी और मॉडल 2 में से एक-एक) के स्थान पर बुरुबोर्ता खास में मॉडल 1 ए का एक एसवीएस बनाया गया।

- एक अन्य एकरारनामा (14 एफ2) के तहत, स्वीकृत मॉडल 2 के एसवीएस के स्थान पर लोवासई में मॉडल 1 ए का एक एसवीएस बनाया गया।

इस प्रकार, एसवीएस के मॉडल या स्थान में विचलन के कारण, लक्षित ग्रामीण परिवारों को योजना और स्वीकृति के अनुसार एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

---

[61] एकरारनामा संख्या 2, 14 और 21 एफ2/2022-23 अप्रैल और मई 2023 में ₹ 2.56 करोड़ में निष्पादित किए गए।

[62] स्वीकृत बुरुबोर्ता खास, उलिपि, मुंडासाई, सिरकापी और योधाट्टू की जगह बोटांगहातु-1, हेसापी-2, तोलासाई-1 और तोतांग-2।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि कार्य स्थल की स्थितियों के अनुसार और आस-पास की बस्तियों को आच्छादित करने के लिए कार्य किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसवीएस के मॉडल या स्थान में परिवर्तन के लिए आवश्यक एसएलएससीसी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

- खारियोडीह आरडब्ल्यूएसएस योजना को प्रारंभ में राज्य योजना के तहत स्वीकृत (जून 2018) किया गया था और ₹18.35 करोड़ की अनुबंधित मूल्य पर कार्य शुरू (जून 2019) किया गया था, जिसे जून 2021 तक पूरा किया जाना था। बाद में, इस कार्य को जेजेएम (जून 2020) के अंतर्गत लाया गया और झुमरीतिलैया प्रमंडल के अंतर्गत कोडरमा जिले के जयनगर प्रखण्ड के 16 गाँवों में 4,075 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹16.25 करोड़ स्वीकृत किए गए। कार्य की धीमी प्रगति के कारण मुख्य अभियंता, केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ) के द्वारा संवेदक को विभाग की किसी भी निविदा में भाग लेने से छः महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया (अप्रैल 2021)। इसके बावजूद, संवेदक ने काम में तेजी नहीं लाया और अंततः जुलाई 2024 में उसका अनुबंध रद्द कर दिया गया। सितंबर 2024 तक, किए गए काम का अंतिम माप नहीं किया गया था और संवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। संवेदक को 31 प्रतिशत[63] की भौतिक प्रगति के साथ ₹1.98 करोड़ के निष्पादित कार्य के बदले ₹1.88 करोड़ का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया जा चुका था। इस प्रकार, संवेदक के खिलाफ समय पर कार्रवाई न करने और शेष बचे कार्य को शुरू न करने के कारण योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि संवेदक निर्धारित समापन तिथि के तीन साल बाद भी काम पूरा नहीं कर सका, इसलिए अनुबंध रद्द कर दिया गया और संवेदक को काली सूची में डाल दिया गया। यह भी कहा गया कि अब काम का अंतिम माप कर लिया गया है, शेष बचे कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर इसे शुरू किया जाएगा।

- झुमरीतिलैया प्रमंडल के अंतर्गत 30,390 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए कोडरमा-डोमचांच-जयनगर मेगा आरडब्ल्यूएसएस योजना के लिए ₹ 214.41 करोड़ की राशि स्वीकृत (जनवरी 2023) की गई। कार्य ₹ 217.91 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (मार्च 2023) किया गया और इसे जून 2025 तक पूरा किया जाना था। कार्य के दौरान, संवेदक द्वारा निर्मित एक एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ईएसआर) जून 2024 में ढह गया। अधीक्षण अभियंता, डीडब्ल्यूएस, हजारीबाग अंचल ने जून 2024 में

[63] डब्लूटीपी, इनटेक वेल और तीन ईएसआर का काम 10 से 65 प्रतिशत के बीच रहा। अनुबंधित 48.32 किमी में से 1.91 किमी पाइपलाइन बिछाई गई।

प्रतिवेदन दी कि स्वीकृत रेखाचित्र और डिजाइन का पालन न करना और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित न करना ईएसआर के ढहने के कारण थे। जुलाई 2024 में अनुबंध रद्द कर दिया गया था। फरवरी 2024 तक, संवेदक को ₹26.49 करोड़ के निष्पादित कार्य के बदले ₹25 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। कार्य की भौतिक प्रगति 16 प्रतिशत थी।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) बताया कि कार्य का अंतिम माप ले लिया गया है और शेष कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद शेष कार्य के लिए नए निविदा आमंत्रित किए जाएंगे।

- झुमरीतिलैया प्रमंडल के अंतर्गत 4,055 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹24.66 करोड़ की अनुबंधित लागत पर कटिया-माधोपुर आरडब्ल्यूएसएस योजना शुरू (मार्च 2022) की गई थी और इसे मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था। यह देखा गया कि संवेदक को ₹19.09 करोड़ के निष्पादित कार्य के बदले ₹17.36 करोड़ का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया गया था जिसमें ₹1.94 करोड़ (पाईप कार्य का 100 प्रतिशत) का अस्वीकार्य भुगतान शामिल था, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार योजना के चालू होने को सुनिश्चित किए बिना पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के लिए किया गया था। इसके अलावा, कार्य निष्पादन में विलंब के लिए संवेदक से ₹2.47 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी वसूल नहीं किया गया था। अक्टूबर 2024 तक कार्य अपूर्ण था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान किए गए थे।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के लिए 100 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका था, जबकि 15 प्रतिशत भुगतान योजना के चालू होने के बाद ही जारी किया जाना था। इसके अलावा, कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए लागू क्षतिपूर्ति राशि भी वसूल नहीं की गई।

- खूंटी प्रमंडल के अंतर्गत उलिहातु और आसपास के गाँवों के लिए आरपीडब्ल्यूएसएस योजना में ₹15.45 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (अगस्त 2022) की गई थी और इसे अगस्त 2024 तक पूरा किया जाना था। अगस्त 2024 तक, काम अपूर्ण था, जिसकी कुल भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत थी और संवेदक को ₹12.26 करोड़ के निष्पादित कार्य मूल्य के बदले ₹11.82 करोड़ का भुगतान (नवंबर 2023 तक) किया जा चुका था। अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान डीआई पाइपों की लागत में कमी के बावजूद डिवीजन ने मूल्य समायोजन[64] की गणना

[64] एसबीडी अनुबंध के खंड 47.1 में यह प्रावधान है कि सामग्री की दरों एवं कीमतों में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में अनुबंध मूल्य में तदनुसार समायोजन किया जाएगा।

नहीं की थी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई ₹41.01 लाख **(परिशिष्ट 2.3)** की राशि मूल्य भिन्नता के कारण समायोजित नहीं की गई थी।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) में कहा कि लागू मूल्य समायोजन राशि की गणना की जा रही है और संवेदक को देय भुगतान से इसकी वसूली की जाएगी।

- हजारीबाग प्रमंडल के अंतर्गत केरेडारी प्रखण्ड के सात गाँवों में 2,519 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹12.75 करोड़ की अनुबंधित लागत पर पचरा आरपीडब्ल्यूएएसएस शुरू (जुलाई 2021) की गई थी, जिसे जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना था। यह योजना (अक्टूबर 2024) पूरी हो गई थी और संवेदक को (जुलाई 2024 तक) ₹15.20 करोड़ के निष्पादित कार्य मूल्य के बदले ₹10.47 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इस भुगतान में स्वीकृत बीओक्यू के दो मदों की मात्रा में अदला-बदली[65] के कारण ₹94.75 लाख का अधिक भुगतान **(परिशिष्ट 2.4)** शामिल था, जिसे निविदा को अंतिम रूप देते समय, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय या विपत्र तैयार करते समय ठीक नहीं किया गया था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) आश्वासन दिया कि अधिक भुगतान संवेदक के आगामी विपत्रों से वसूल किया जाएगा।

- धनबाद जिले के दो प्रखंडों (गोविन्दपुर और निरसा) के 439 गाँवों के 1,27,363 घरों को जल-संयोजन उपलब्ध कराने के लिए धनबाद - I प्रमंडल द्वारा दो सतही जल आधारित आरपीडब्ल्यूएसएस परियोजनाएं शुरू (अक्टूबर 2017) की गई थीं, जिनकी अनुबंधित लागत ₹522.40 करोड़[66] थी। इन योजनाओं को जुलाई 2020 तक पूरा किया जाना था। निर्धारित समय सीमा से 19 महीने बाद कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत थी और संवेदकों को ₹158.50 करोड़[67] का भुगतान (अक्टूबर 2021 तक) किया जा चुका था। इसके बाद, यह देखा गया कि विभाग ने दोनों योजनाओं के अनुबंध रद्द (मार्च 2022) कर दिए क्योंकि संवेदकों ने कार्यों के निष्पादन में समय सारणी का पालन नहीं किया था।

योजना के शेष बचे काम को मार्च 2026 तक पूरा करने के लिए ₹ 644.75 करोड़[68] के दो नए अनुबंध (दिसंबर 2023) किए गए। लेकिन, सितंबर 2024 तक काम शुरू होना बाकी था। यह तब हुआ जब एक योजना (गोविंदपुर निरसा उत्तरी) के संवेदक को जनवरी 2024 में ₹42.78 करोड़ का मोबिलाइज़ेशन अग्रिम दिया गया था।

---

[65] एमडीपीई पाइप का प्रकल्लित दर ₹23 प्रति मीटर था, जबकि जीएम फेरूल के दर ₹497.31 प्रति इकाई था। मदों में बदलाव के कारण, एमडीपीई पाइप के लिए तय दर ₹400 प्रति मीटर और जीएम फेरूल के लिए ₹24 प्रति इकाई माना गया।

[66] गोविंदपुर निरसा उत्तरी: ₹334.95 करोड़ और गोविंदपुर निरसा दक्षिणी: ₹187.45 करोड़।

[67] गोविंदपुर निरसा उत्तरी: ₹105.64 करोड़ और गोविंदपुर निरसा दक्षिणी: ₹52.86 करोड़।

[68] गोविंदपुर निरसा उत्तरी: ₹427.79 करोड़ और गोविंदपुर निरसा दक्षिणी: ₹216.96 करोड़।

इस बीच, जेजेएम के अंतर्गत 292 एसवीएस (92 समूहों में) को ₹23.53 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच) किया गया, ताकि 92 गाँवों में 6,635 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें, जिन्हें दो अपूर्ण आरपीडब्ल्यूएसएस के द्वारा आच्छादित किया जाना था। सितंबर 2024 तक, 292 में से 280 एसवीएस पूरे हो चुके थे और संवेदकों को ₹ 17.02 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार, उन गाँवों में एसवीएस स्वीकृत और निर्मित किए गए थे जो आरपीडब्ल्यूएसएस के अंतर्गत आने वाले थे। इसके अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूएसएस के निर्माण में विलंब के कारण ₹ 280.85 करोड़[69] की लागत में वृद्धि हुई।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि आरपीडब्ल्यूएसएस का काम प्रगति पर है और प्रत्येक भुगतान से आवश्यकतानुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूल किया जा रहा था। यह भी कहा गया कि लागत में वृद्धि नई दर अनुसूची (एसओआर) की दरों में वृद्धि के कारण हुई है और शेष बचे कार्यों के लिए मात्रा-विपत्र (बीओक्यू) को नई एसओआर पर अनुमोदित किया गया था।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि आरपीडब्ल्यूएसएस अक्टूबर 2017 में शुरू होने के बाद से पांच साल से अधिक समय से अपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप एसवीएस का काम शुरू करना पड़ा।

- चक्रधरपुर प्रमंडल के अंतर्गत पोराहाट आरपीडब्ल्यूएसएस (एमवीएस) योजना ₹58.82 करोड़ की अनुबंधित लागत पर फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसे मई 2021 तक पूरा किया जाना था। आरपीडब्ल्यूएसएस में सोनुआ ब्लॉक के नमूना-जांच किये गए गाँवों में से एक (नवागाँव) को शामिल किया जाना था। योजना अगस्त 2024 तक भी अपूर्ण रही, जबकि ₹57.92 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। इसका कारण यह था कि पीडब्लूडी सड़क के किनारे पाईप बिछाने के लिए सड़क निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ तथा कुछ हिस्सों में अतिक्रमण था।

आरपीडब्ल्यूएस की समस्याओं को हल करने के बजाय, जेजेएम के अंतर्गत ₹77.60 लाख की अनुबंधित लागत पर 11 एसवीएस योजनाएं शुरू (अप्रैल 2023) की गईं, जिनका उद्देश्य कुल 284 घरों वाले गाँव में 245 एफएचटीसी उपलब्ध कराना था। अगस्त 2024 तक, ₹71 लाख के व्यय के बाद एसवीएस का कार्य प्रगति पर था। माप पुस्तिकाओं के अनुसार, 32,000 लीटर भंडारण क्षमता वाली 10 एसवीएस से 222 घरों को जलसंयोजन दिए जा चुके थे, जबकि इन एसवीएस को उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर 140 घरों को जलसंयोजन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया

69 मुल अनुबंध के अलावा ₹122.35 करोड़ के अतिरिक्त अनुबंध लागत और ₹158.50 करोड़ की भुगतान की गई राशि।

गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान शेष एक एसवीएस अपूर्ण पाया गया (सितंबर 2024) क्योंकि एसवीएस के बोरवेल से पानी नहीं निकल रहा था। हालांकि, इस एसवीएस से भी 40 घरों को जलसंयोजन दिए जा चुके थे।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि योजना के प्रारंभिक सर्वेक्षण में, नवागाँव गाँव एमवीएस के दायरे में नहीं था, इसलिए गाँव को आच्छादित करने के लिए एसवीएस का कार्य शुरू किया गया था। यह भी बताया गया कि उल्लिखित एसवीएस के बोरवेल से शुरू में पानी का प्रवाह हो रहा था, इसलिए एफएचटीसी प्रदान किए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद बोरवेल से पर्याप्त प्रवाह नहीं हो पा रहा था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमवीएस में नवागाँव गाँव के सभी 284 परिवारों के लिए एफएचटीसी का प्रावधान शामिल था। इसके अलावा, विभाग ने सूखे बोरवेल वाले एसवीएस के लिए पानी का कोई नया स्रोत नहीं बनाया ताकि उससे जुड़े हुए 40 परिवारों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- विभाग ने चक्रधरपुर प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के एक नमूना जांच किये गये गाँव (रघुई) की सात बस्तियों में 119 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए नौ एसवीएस[70] स्वीकृत (जनवरी 2022) किए थे। कार्य अगस्त 2022 में शुरू हुआ और मई 2023 में ₹30.44 लाख की लागत से पूरा हुआ। हालांकि, कार्य निष्पादन के दौरान, एसई के द्वारा नौ एसवीएस के दायरे को संशोधित (अक्टूबर 2022) करके चार एसवीएस[71] कर दिया गया, जिससे 149 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें। यह भी देखा गया कि गाँव की दो बस्तियों (लोहार टोला और रघुई) में कोई एसवीएस नहीं दिया गया था, जबकि विभाग ने इन बस्तियों के लिए तीन एसवीएस स्वीकृत किए थे। दो बस्तियां (बिछ टोला और गोप टोला), जिनके लिए कोई एसवीएस स्वीकृत नहीं किया गया था, उन्हें भी एसएलएसएससी की मंजूरी के बिना शामिल पाया गया।

इसके अतिरिक्त, मॉडल 2 के एक एसवीएस से 45 एफएचटीसी प्रदान किए गए, जिसे 40 एफएचटीसी तक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और मॉडल 1बी के एक एसवीएस से 24 एफएचटीसी प्रदान किए गए, जिसे 20 एफएचटीसी तक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इस प्रकार, एसवीएस के स्थान को उचित अनुमोदन के बिना बदल दिया गया और उनकी क्षमता से अधिक एफएचटीसी प्रदान किए गए, जिससे लक्षित लाभार्थियों को अपर्याप्त पानी या बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं हो पाएगी।

---

70 मॉडल 1बी के तीन एसवीएस, जिनमें से हर एक की संग्रहण क्षमता 5,000 लीटर है और मॉडल 1ए के छह एसवीएस, जिनमें से हर एक की संग्रहण क्षमता 2,000 लीटर है।

71 मॉडल 2 के तीन एसवीएस, जिनमें से हर एक की संग्रहण क्षमता 8,000 लीटर है, और मॉडल 1बी का एक एसवीएस

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि गाँव की स्थलाकृति और सभी बस्तियों के पूर्ण आच्छादन को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा को संशोधित किया गया था। जवाब में एसवीएस की डिज़ाइन की गई क्षमता से अधिक एफएचटीसी प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न केवल निष्पादन के दौरान एसई द्वारा कार्य के दायरे में संशोधन किया गया था, बल्कि एसवीएस के स्थान भी बदल दिए गए थे और एसएलएसएससी के अनुमोदन के बिना क्षमता से अधिक एफएचटीसी प्रदान किए गए थे।

- विभाग के द्वारा खूंटी जिला के नमूना जांच किये गये बमरजा गाँव में क्लस्टर 7बी के अंतर्गत 11 एसवीएस स्वीकृत (दिसंबर 2021) किया गया था। मई 2023 में कार्य शुरू हुआ। कार्य निष्पादन के दौरान एसवीएस की संख्या बदलकर सात कर दी गई। माप पुस्तिकाओं के अनुसार, सात में से पांच एसवीएस के निष्पादन के लिए संवेदक को ₹46.98 लाख का भुगतान किया जा चुका था। हालांकि, जेजेएम पोर्टल पर 11 एसवीएस के लिए ₹75.59 लाख का व्यय प्रतिवेदित किया गया था। इस प्रकार, व्यय प्रतिवेदन और एसवीएस की संख्या का विवरण मूल अभिलेखों से मेल नहीं खाता था और इसलिए जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया आंकड़ा विश्वसनीय नहीं था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि इसे जेजेएम पोर्टल में ठीक कर दिया जाएगा।

- खूंटी प्रमंडल के अंतर्गत ₹4.84 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2021 में पूर्ण हुई कांटी आरपीडब्ल्यूएसएस परियोजना के द्वारा नौ गाँवों में 673 एफएचटीसी उपलब्ध कराई, जिनमें से 173 एफएचटीसी एक नमूना जांच किये गए गाँव (कांटी) में था। इस गाँव को ग्राम-सभा के द्वारा एचजीजे प्रमाणित गाँव के रूप में भी प्रमाणित (अगस्त 2022) किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि इसी गाँव में दो एसवीएस योजनाएं (अप्रैल 2023 में) शुरू की गईं। सितंबर 2024 तक, इन एसवीएस का निर्माण ₹17.78 लाख की लागत से पूरा हो चुका था और दो एसवीएस में से एक से 15 एफएचटीसी उपलब्ध कराई जा चुकी थीं। इस प्रकार, एसवीएस का निर्माण एक ऐसे गाँव में किया गया था जिसे पहले से ही सतही जल आधारित एमवीएस से पूर्ण आच्छादन के लिए प्रमाणित किया जा चुका था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि एमवीएस की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वर्ष 2013 की जनसंख्या के आधार पर तैयार की गई थी और एमवीएस का संचालन वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। वर्ष 2013 और 2021 के बीच गाँव की जनसंख्या/घरों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्हें आच्छादित करने के लिए दो एसवीएस का निर्माण किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमवीएस का डीपीआर वर्ष 2045 तक लक्षित गाँवों की अनुमानित जनसंख्या को आच्छादित करने के लिए तैयार और स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सभा ने प्रमंडलीय प्रतिवेदन (अगस्त 2022) के आधार पर गाँव को पूरी तरह से आच्छादित किया हुआ प्रमाणित (अगस्त 2022) किया था।

- विभाग ने राज्य में 43,510 गहरे ट्यूबवेल/चापाकल (डीटीडब्ल्यू- प्रति पंचायत 10) के निर्माण के लिए ₹463.63 करोड़ की राशि स्वीकृत (नवंबर 2023) की, ताकि गाँवों में, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के दौरान, पेयजल की कमी को दूर किया जा सके। इस स्वीकृति में कोडरमा जिला के लिए ₹10.95 करोड़ की लागत से 1,050 डीटीडब्ल्यू शामिल थे। कार्य को पूरा करने के लिए, झुमरीतिलैया प्रमंडल द्वारा ₹10.42 करोड़ मूल्य के 15 एकरारनामा (फरवरी और मार्च 2024) किए गए, जिनकी निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि मई और सितंबर 2024 के बीच थी। सितंबर 2024 तक, कोडरमा जिले के विभिन्न गाँवों में 907 डीटीडब्ल्यू का निर्माण किया जा चुका था, जिसमें 38 डीटीडब्ल्यू 16 एचजीजे प्रतिवेदित गाँवों में शामिल थे, जिनमें 10 एचजीजे प्रमाणित गाँव भी शामिल थे। इससे यह संकेत मिलता है कि एचजीजे प्रतिवेदित/प्रमाणित गाँवों को भी जेजेएम के अंतर्गत आच्छादित होने के बावजूद पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था।

- झुमरीतीलैया प्रमंडल के अंतर्गत खुट्टा-नवाडीह आरडब्ल्यूएसएस परियोजना 4,160 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹26.15 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (जनवरी 2023) की गई थी। यद्यपि यह योजना जुलाई 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन नवंबर 2024 तक कार्य की भौतिक प्रगति केवल 54 प्रतिशत थी और संवेदक को ₹2.50 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित ₹9.39 करोड़ का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया जा चुका था। कार्य निष्पादन में विलंब के बावजूद, प्रमंडल ने संवेदक से ₹2.61 करोड़ का एलडी वसूल नहीं किया। इसके अलावा, ₹1.98 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम और उस पर लागू ब्याज मूल निर्धारित तिथि तक वसूल नहीं किया गया।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया है और भविष्य में लेखापरीक्षा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

इस प्रकार, संवेदकों को ₹27.13 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें अस्वीकार्य भुगतान (₹8.17 करोड़), निष्पादित कार्य मात्रा में अनाधिकृत परिवर्तन के लिए भुगतान (₹2.75 करोड़), एलडी की वसूली न होना (₹5.08 करोड़), अधिक भुगतान (₹94.75 लाख), मूल्य परिवर्तन का समायोजन न होना (₹41.01 लाख) और

मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना (₹9.77 करोड़) शामिल थे, इसके अतिरिक्त ₹280.85 करोड़ की लागत वृद्धि भी हुई।

2.4.5 तृतीय पक्ष निरीक्षण

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए एसडब्लूएसएम द्वारा एक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) को सूचीबद्ध किया जाना था। संवेदकों को किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पूर्व सभी कार्यों का टीपीआईए द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन अनिवार्य था।

विभाग ने जुलाई 2022 में राज्य में चार टीपीआईए[72] नियुक्त किए अर्थात जेजेएम के शुभारंभ के लगभग तीन साल बाद। टीपीआईए की नियुक्ति से पहले, राज्य में योजना के तहत किए गए कार्यों पर ₹1,578.25 करोड़ का व्यय (मार्च 2022 तक) किया गया था। इसमें नौ नमूना-जांचित प्रमंडलों द्वारा प्रमंडलीय अभियंताओं के पर्यवेक्षण और प्रमाणीकरण के तहत किए गए कार्यों के लिए ₹479.32 करोड़ का भुगतान शामिल था। नमूना-जांचित प्रमंडलों ने चार चयनित टीपीआईए के साथ पांच एकरारनामे (जुलाई और सितंबर 2022) किए। टीपीआईए से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- दो नमूना-जांचित प्रमंडलों में ₹ 64.86 करोड़ के व्यय वाले आठ कार्यों में, टीपीआईए ने (अगस्त से नवंबर 2023) पाया कि कार्यों में निम्न गुणवत्ता वाले इस्पात और पाइपों का उपयोग किया गया था, संरचनात्मक कार्य निम्न स्तर का था, सुदृढ़ीकरण अनुमोदित डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार नहीं किया गया था, निम्न स्तरीय सामग्री का उपयोग किया गया था, शटरिंग ठीक से नहीं की गई थी, कंक्रीट मिश्रण असंतोषजनक था आदि **(परिशिष्ट 2.5)**। हालांकि, यदि कोई कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध थी, तो वह अभिलेखों में नहीं पाई गई। इनमें से, खूंटी प्रमंडल के छः कार्यों में, टीपीआईए ने छः चालू लेखा विपत्र (आरए) की समीक्षा की अनुशंसा की, लेकिन प्रमंडल ने टीपीआईए द्वारा इंगित दोषों को दूर किए बिना इन विपत्रों के विरुध्द ₹13.20 करोड़ का भुगतान कर दिया।

- नमूना-जांचित दो प्रमंडलों (चाईबासा और चक्रधरपुर) के टीपीआईए ने एकरारनामा के अनुसार मानवबल तैनाती[73], चल रहे कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन और योजनाओं के निष्पादन में देरी से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की। प्रमंडलों ने आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई भी नहीं की

---

[72] (1) वैप्कोस लि. (2) एसजीएस इंडिया प्रा. लि. (3) मार्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रा. लि. और (4) टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लि.

[73] टीपीआईए को हर प्रमंडल में एक वरिष्ठ गुण नियंत्रक (क्यूसी) अभियंता, एक क्यूसी अभियंता (यांत्रिक/ विद्युत्) और चार क्यूसी अभियंता (सिविल) और ज़ोन (चाईबासा) में एक टीम लीडर और एक पर्यावरण अभियंता तैनात करना था।

और 54 एकरारनामा (सितंबर 2024) से संबंधित विपत्रों के प्रमाणीकरण के लिए ₹6.21 लाख[74] का भुगतान (मार्च 2023) कर दिया।

इस प्रकार, जेजेएम के तहत शुरू किए गए सभी कार्यों के भुगतान से पहले टीपीआईए द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण और निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित छः जिलों में से दो जिलों में टीपीआईए ने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं किया।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि दोषपूर्ण टीपीआईए के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और जहां भी शिकायतें पाई गईं, वहां गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित किया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि टीपीआईए की टिप्पणियों पर आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि टीपीआईए के अवलोकन पर की गई कार्रवाई के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अनुशंसा 3: विभाग सभी परियोजनाओं का अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण सुनिश्चित करे। संवेदकों को कोई भी भुगतान करने से पहले टीपीआईए की प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी कार्रवाई की जाए।

2.4.6. संचालन और रखरखाव

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एसडब्ल्यूएसएम को बिजली शुल्क, रसायनों की लागत, निवारक/खराब रखरखाव पर व्यय और पंप ऑपरेटरों के पारिश्रमिक जैसे आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए एक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) रणनीति विकसित करनी थी, और जल आपूर्ति प्रणालियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मासिक टैरिफ/उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित करना था। दिशानिर्देशों में स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया था, जिसके तहत नकद, वस्तु और/या श्रम के रूप में योगदान देकर प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- जेजेएम से पहले[75], विभाग ने (सितंबर 2013) बहु पंचायत/ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का गठन करके एमवीएस के संचालन और रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए थे, ताकि संयोजन शुल्क (न्यूनतम ₹310 प्रति संयोजन) और वीडब्ल्यूएससी द्वारा निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जा सके। एकत्रित राशि

---

74 चाईबासा: ₹ 3.49 लाख और चक्रधरपुर: ₹ 2.72 लाख।

75 जेजेएम के तहत, सभी संविदा में योजना पूरी होने के बाद, संवेदक द्वारा पांच साल तक ओ एंड एम का प्रावधान शामिल था। इसके बाद, योजना वीडब्ल्यूएससी को सौंप दी जानी थी।

को संचालन और रखरखाव खर्चों, जैसे बिजली शुल्क, पंप संचालकों के पारिश्रमिक, रसायनों की लागत और मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए एक बैंक खाते में रखा जाना था। हालांकि, नमूना जाँचित 26 गाँवों में से आठ[76] गाँवों में, जहां एमवीएस के माध्यम से एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे, ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी और न ही उपयोगकर्ता शुल्क दरें निर्धारित की गई थीं।

- एसएलएसएससी ने अपनी बैठक में (जून 2020) सामुदायिक अंशदान के मुद्दे पर चर्चा की और राज्य मंत्रिमंडल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसके लंबित रहने तक, सामुदायिक अंशदान को अनिवार्य नहीं बनाया गया था। हालांकि, विभाग ने (नवंबर 2024 तक) एसडब्ल्यूएसएम या राज्य मंत्रिमंडल को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए, नमूना जाँच के लिए चुने गए किसी भी प्रमंडल में ग्राम समुदाय से स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त नहीं हो सका।

- पूर्ण परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए, एसएलएसएससी ने (जून 2020) अन्य राज्यों में संचालन एवं रखरखाव प्रणाली का अध्ययन करने का निर्णय लिया। एसएलएसएससी ने (मार्च 2023) विभाग को राज्य के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति बनाने की भी सलाह दिया। हालांकि, इस संबंध में की गई कार्रवाई का कोई अभिलेख नहीं मिला (नवंबर 2024 तक)। विभाग ने (फरवरी 2024) सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे संचालन एवं रखरखाव खर्चों को पूरा करने के लिए सभी लाभार्थियों से ₹62 प्रति माह का जल/उपयोग शुल्क वसूलना सुनिश्चित करें। हालांकि, नमूना-जांचित प्रमंडलों के पास वीडब्ल्यूएससी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क वसूली से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। नमूना-जांचित गाँवों के वीडब्ल्यूएससी ने भी लेखापरीक्षा को अपने बैंक खाते या उपयोगकर्ता शुल्क वसूली (यदि कोई हो) का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

- दो प्रमंडलों के, तीन नमूना-जांचित एकरारनामों में, संवेदक द्वारा दो एसवीएस क्लस्टरों के लिए पांच वर्षों के लिए उद्धृत संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) की दरें[77] अनुमानित/निविदा लागत से 69 से 100 प्रतिशत (केवल ₹1 प्रति वर्ष) कम थीं, जबकि एमवीएस की दरें अनुमानित/निविदा लागत से 51 प्रतिशत कम थीं। हालांकि, विभागीय

---

[76] धनबाद: बलियापुर प्रखंड के बंदाचुआं और बलियापुर और बाघमारा प्रखंड के कुमरडीह, कोडरमा: कोडरमा प्रखंड के बिष्णुटिकर और डोमचांच प्रखंड के चौरी; पश्चिमी सिंहभूम: चाईबासा प्रखंड के कुरसी और गाइसुती, खूंटी: कर्रा प्रखंड के कांटी।

[77] खूंटी: (i) क्लस्टर 7बी- अनुमानित लागत ₹41.22 लाख के मुकाबले तय एकरारित लागत ₹12.90 लाख थी, (ii) तपकारा और आस-पास के गांवों की जलापूर्ति योजना - अनुमानित लागत ₹110.93 लाख के मुकाबले एकरारित लागत ₹ 54.86 लाख थी और (iii) कोडरमा: क्लस्टर 4 - पांच साल के लिए कुल अनुमानित लागत ₹15.74 लाख के मुकाबले हर साल हर एसवीएस के लिए एकरारित लागत ₹ एक तय हुई।

निविदा समिति (डीटीसी) ने निविदाओं को अंतिम रूप देते समय एसबीडी के खंड 29[78] के तहत पूर्ण योजनाओं के उचित संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए दरों का औचित्य नहीं मांगा। क्षेत्र निरीक्षण और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पूर्ण योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का अभाव पाया गया, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

- पश्चिम सिंहभूम जिले के कुरसी और गैसुती गाँवों[79] के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान, सड़क के ऊपर बिछाई गई एक एमवीएस (कुरसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना) की वितरण पाईपलाइन क्षतिग्रस्त पाई गई, जिससे कारण 12 परिवारों को पानी की आपूर्ति बाधित था। इसके अलावा, एमवीएस की डिलीवरी पाईपलाइन भी खेत में पड़ी हुई पाई गई, जिसमें कोई नल नहीं जुड़ा था, हालांकि योजना ओ एंड एम अवधि में थी **(चित्र 2.9** और **2.10)**।

चित्र 2.9	चित्र 2.10

- धनबाद के डोमचलकारो गाँव[80] में, रखरखाव और संचालन की कमी (जैसे जले हुए बिजली के स्विच और मोटर पंप की मरम्मत/बदली न होना) के कारण एक लघु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना निष्क्रिय पाई गई **(चित्र 2.11** और **2.12)**। लाभार्थियों ने (अक्टूबर 2024) बताया कि पिछले दो वर्षों से इस योजना से पानी की आपूर्ति नहीं हुई थी और वे पीने के पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे थे।

---

[78] क्लॉज 29.5 (निविदाकारों के लिए निर्देश) के तहत, अगर सफल निविदाकार द्वारा उद्धृत राशि काम की अनुमानित लागत के मुकाबले बहुत ज़्यादा असंतुलित है, तो नियोक्ता, निविदाकार से विस्तृत मूल्य विश्लेषण दिखाने के लिए कह सकता है कि कीमतें, बताए गए निर्माण के तरीकों और प्रस्तावित अनुसूची के साथ आंतरिक तौर पर एक जैसी हैं। क्लॉज़ 29.6 के अनुसार, यदि किसी निविदा में बीओक्यू के अंतर्गत कई मदें अत्यधिक कम एवं अवास्तविक दरों पर उद्धृत की गई हों और निविदाकार द्वारा उन दरों का संतोषजनक औचित्य प्रस्तुत न किया जा सके, तो ऐसी निविदा को अनुत्तरदायी मानते हुए अस्वीकृत किया जा सकता है।

[79] पंचायत: कुर्सी, प्रखण्ड: चाईबासा और ज़िला: पश्चिमी सिंहभूम।

[80] पंचायत: माटीगढ़ा, प्रखण्ड: बाघमारा और जिला: धनबाद में 74 घरों वाला एक प्रमाणित गांव।

चित्र 2.11	चित्र 2.12

* खूंटी के कांटी गाँव[81] (173 घरों वाला एक प्रमाणित गाँव) के 18 लाभार्थियों में से दो ने (अक्टूबर 2024) बताया कि एमवीएस के एफएचटीसी के माध्यम से पानी की आपूर्ति इसकी स्थापना (अप्रैल 2022) के बाद से नहीं हो रही थी। इसके अलावा, सभी 18 लाभार्थियों और संबंधित वीडब्ल्यूएससी के जल सहिया ने बताया कि पिछले तीन महीनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी क्योंकि इंटेक वेल पर लगा ट्रांसफार्मर जल गया था। हालांकि, योजना के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) अवधि में होने के बावजूद, संवेदक द्वारा ट्रांसफार्मर के जलने की सूचना विभाग को देने या उसकी मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई करने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं मिला।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 19 मापदंडों पर एक संचालन एवं रखरखाव नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसे कैबिनेट द्वारा (मई 2025) अनुमोदित किया गया था।

अनुशंसा 4: विभाग जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करे।

2.5 जल गुणवत्ता का पर्यवेक्षण और निगरानी

2.5.1 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ

जेजेएम दिशानिर्देशिका के तहत, सभी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को, विशेषकर मुख्य परीक्षण मापदंडों के लिए, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें पानी की कम से कम 13 बुनियादी जल गुणवत्ता (11 रासायनिक और दो जीवाणु संबंधी) मानकों[82] के विरुद्ध परीक्षण का भी प्रावधान था। पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचा[83]

---

[81] पंचायत: लरता, प्रखण्ड: कर्रा और जिला: खूंटी।

[82] (1) पी.एच. मान (2) कुल घुले हुए ठोस (3) टर्बिडिटी (4) क्लोराइड (5) कुल क्षारीयता (6) कुल कठोरता (7) सल्फेट (8) आयरन (9) कुल आर्सेनिक (10) फ्लोराइड (11) नाइट्रेट (12) कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और (13) ई-कोली या थर्मो टॉलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया.

[83] अक्टूबर 2021 में जारी फ्रेमवर्क का उद्देश्य जेजेएम के तहत नियोजित जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यों को बढ़ावा देना है।

(डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ) में राज्य एवं ज़िला प्रयोगशालाओं हेतु 17 मानकों के लिए एनएबीएल मान्यता की बात कही गई थी।

सितंबर 2024 तक, झारखण्ड में 31 प्रयोगशालाएँ (एक राज्य, 24 ज़िला और छः अनुमंडल) थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्रयोगशाला के पास जेजेएम के तहत ज़रूरी 13 बुनियादी मानकों समेत 17 मानकों के लिए एनएबीएल मान्यता था, जबकि अन्य प्रयोगशालाओं के पास सिर्फ़ सात से 14 मानकों के लिए मान्यता थी। छः नमूना जांचित जिलों में जिला प्रयोगशाला के अभिलेख की जांच से ये बातें पता चली:

- नमूना जांचित प्रयोगशालाओं के पास सात से 14 मानकों की परीक्षण सुविधाओं के लिए एनएबीएल मान्यता थी, लेकिन ज़रूरी कार्यबल की तैनाती न होने और उपकरण की कमी के कारण पांच से आठ बुनियादी मानकों के लिए मान्यता नहीं मिल सका। छः नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशाला में से चार को एनएबीएल मान्यता (अगस्त 2022 और जनवरी 2023 के बीच) जेजेएम ***(परिशिष्ट 2.6)*** के शुभारम्भ (अगस्त 2019) के 36 से 41 महीने बाद मिला था।

- पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण रुपरेखा (डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ) ने जिला स्तरीय प्रयोगशाला में आठ[84] कर्मचारियों की अनुशंसा की। इसके मुकाबले, 2019-24 के दौरान नमूना जांचित प्रयोगशालाओं में सिर्फ़ तीन से सात कर्मचारी ही तैनात थे। कमी मुख्य रूप से सूक्ष्म-जीवाणुविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी और प्रयोगशाला परिचारक की थी, जिसका जीवाणु संबंधी परीक्षण और परीक्षण के अभिलेखों के सही रखरखाव पर बुरा असर पड़ा। यह भी देखा गया कि छः नमूना जांचित जिला प्रयोगशाला में से सिर्फ़ दो (हज़ारीबाग और पूर्वी सिंहभूम) के पास जीवाणु संबंधी परीक्षण करने के लिए मान्यता थी।

- डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ ने एक जिला प्रयोगशाला के लिए 35 तरह के यंत्र/उपकरण का सुझाव दिया था। इसके विरुद्ध, नमूना जांचित जिला प्रयोगशाला[85] में सिर्फ़ आठ (23 प्रतिशत) से 16 (46 प्रतिशत) तरह के उपकरण ही थे। जमशेदपुर और चाईबासा प्रयोगशाला में आयरन परीक्षण के लिए ज़रूरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रमशः 2017 और 2021 से खराब पाया गया।

- धनबाद की जिला प्रयोगशाला को सिर्फ़ सात मानकों पर एनएबीएल मान्यता (मार्च 2020) मिला था और उसके पास जेजेएम के तहत बताए गए आठ बुनियादी गुणवत्ता मानकों को परीक्षण करने की सुविधा नहीं थी। यह भी देखा गया कि प्रयोगशाला द्वारा उन्हीं सात मानकों के आधार पर अक्टूबर 2022 में नया मान्यता प्राप्त किया था।

---

[84] केमिस्ट/वॉटर एनालिस्ट: एक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट/बैक्टीरियोलॉजिस्ट: एक, लेबोरेटरी असिस्टेंट- दो, डेटा एंट्री ऑपरेटर: एक, प्रयोगशाला अटेंडेंट: एक और फील्ड असिस्टेंट: दो।

[85] चाईबासा: 12, धनबाद: 16, जमशेदपुर: 16, हजारीबाग: 15, खूंटी: 15 और कोडरमा: 8।

- चाईबासा की जिला प्रयोगशाला ने (मार्च और अगस्त 2023 के बीच) 3,648 नमूना इकट्ठा किए, लेकिन परीक्षण की सुविधा होने के बावजूद, रसायन और इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कमी के कारण टीडीएस (576 नमूना) और फ्लोराइड (296 नमूना) के लिए गुणवत्ता परीक्षण नहीं कर सकी।

- हज़ारीबाग की जिला प्रयोगशाला ने ज़रूरी रसायन और अभिकर्मक न होने की वजह से फ्लोराइड परीक्षण नहीं किया, जबकि ज़िले के 21 गाँवों की 55 बस्तियां फ्लोराइड से प्रभावित थीं।

इस तरह, नमूना जांचित ज़िलों की जिला प्रयोगशाला में जेजेएम दिशानिर्देशिका में बताए गए 13 मानकों के हिसाब से परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ/मानवबल नहीं थीं और इस वजह से, तय गुणवत्ता के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि जिन जिला प्रयोगशालाओं का नमूना जांच किया गया था, उनके पास 11 से 12 रासायनिक मानकों के लिए एनएबीएल मान्यता थी। तीन प्रयोगशालाओं (जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद) के पास दो जीवाणु संबंधी मानकों के लिए भी मान्यता थी। वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती करके राज्य की सभी प्रयोगशालाओं की 17 मानकों (15 रासायनिक और दो जीवाणु संबंधी) पर परीक्षण करने की क्षमता बढ़ाने की योजना थी। निकास सम्मेलन (जून 2025) के दौरान, विभाग ने कहा कि वह जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को उन्नत करने पर काम कर रहा है और उन्हें रसायन, मानवबल और उपकरण आपूर्ति की जाएंगी।

अनुशंसा 5: विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि जेजेएम में ज़रूरी कम से कम 13 बुनियादी गुणवत्ता मानकों के परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता मिल जाए।

2.5.2 रसायनों की उपलब्धता

पेयजल गुणवत्ता निगरानी के लिए एक समान संलेख (यूडब्ल्यूक्यूएमपी) ने जेजेएम दिशानिर्देश में बताए गए कम से कम 13 मानकों पर पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जिला प्रयोगशाला में 67 तरह के रसायन की मौजूदगी की अनुशंसा की थी। प्रयोगशालाओं के पास इन रसायनों का कम से कम तीन महीने का सुरक्षित भण्डारण होना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमयू ने केंद्रीय स्तर पर रसायन खरीदे और उन्हें क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भेजा। पीएमयू ने लेखापरीक्षा को केंद्रीय खरीद और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में इसके वितरण की जानकारी नहीं दी। नमूना जांचित प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

- पीएमयू ने नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशाला को सिर्फ़ दो साल (2018-19 और 2021-22) 2019-24 के दौरान रसायन आपूर्ति किए थे। 2021-22 के बाद उन्हें कोई रसायन आपूर्ति नहीं किया गया, हालांकि नमूना जांचित प्रयोगशाला[86] ने समय-समय पर (मई 2023 और फरवरी 2025 के बीच) माँग की थी। लेखापरीक्षा (सितंबर से नवंबर 2024) के दौरान, हज़ारीबाग और खूंटी ज़िला प्रयोगशाला में सिर्फ़ चार और 15 तरह के रसायन ही उपलब्ध पाए गए।

- पानी में आयरन की मात्रा परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, चाईबासा की नमूना जांचित जिला प्रयोगशाला में 2021 से खराब था। हालांकि, यह देखा गया कि आयरन परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन (आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन) 2021-22 में प्रयोगशाला को आपूर्ति की गई थी और बिना इस्तेमाल किए ही फरवरी 2025 में उसकी अवधि समाप्त हो गया था। यह भी देखा गया कि वही रसायन जिला प्रयोगशाला, हजारीबाग के पास उपलब्ध नहीं था, जिसके पास एक कार्यशील स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था। इस वजह से, हजारीबाग में आयरन परीक्षण नहीं हो रहे थे।

- 2021-22 के दौरान चाईबासा की जिला प्रयोगशाला को बिना ज़रूरत के पांच[87] तरह के रसायन आपूर्ति किए गए और आखिर में दो तरह के रसायन[88] के अवधि बिना इस्तेमाल किए ही फरवरी 2023 और अगस्त 2023 में कालातीत हो गए थे।

- हज़ारीबाग की जिला प्रयोगशाला के पास सितंबर 2024 तक सभी 12 मानकों पर परीक्षण के लिए रसायन का भंडार नहीं था, जिसके लिए उनके पास एनएबीएल मान्यता था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 62 रसायन में से 52 (जो नवंबर 2018 में प्रयोगशाला को आपूर्ति किए गए थे) की समाप्ति तिथि नवंबर 2019 और अगस्त 2024 के बीच थी। प्रयोगशाला ने पीएमयू को (जून 2023 और मार्च 2024 के बीच) माँग भेजी थी, लेकिन कोई रसायन आपूर्ति नहीं किया गया। इस वजह से, प्रयोगशाला ने अक्टूबर 2024 में सिर्फ़ दो मानक (पीएच मान और रंग) पर गुणवत्ता परीक्षण किए थे।

इस तरह, नमूना जांचित की गई ज़िला प्रयोगशाला में यूडब्ल्यूक्यूएमपी में बताए गए ज़रूरी रसायन नहीं थे। इसके अलावा, रसायन का ज़रूरी बैकअप भंडार भी पक्का नहीं

---

[86] चाईबासा: जून और नवंबर 2023; धनबाद: फरवरी 2024, दिसंबर 2024 और फरवरी 2025; पूर्वी सिंहभूम: जून 2022 और मई 2023।

[87] ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फेनैंथ्रोलाइन (जीआर 1,10), सोडियम एसीटेट घोल, नाइट्रेट मानक घोल और अमोनियम एसीटेट एआर का सांद्रण।

[88] फरवरी 2023 में नाइट्रेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और अगस्त 2023 में सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन

किया गया था। ज़िला प्रयोगशाला में ज़रूरी रसायन न होने से पानी की गुणवत्ता परीक्षण पर बुरा असर पड़ा।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि 17 मानकों पर पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए ज़रूरी रसायन, कांच के सामान और उपकरण खरीदने का काम चल रहा है। खरीदने के बाद, सभी प्रयोगशालाओं में नियमित तौर पर पर्याप्त रसायन और दूसरा ज़रूरी सामान उपलब्ध होगा।

2.5.3 जल गुणवत्ता परीक्षण

जेजेएम दिशानिर्देश के अनुसार, जिला प्रयोगशालाओं को हर महीने 250 पानी के श्रोत/नमूना परीक्षण करने चाहिए, जिसमें अलग-अलग जगहों पर फैले सभी श्रोत को यादृच्छिक तरीके से आच्छादित किया जाए, जिसमें निचले स्तर की प्रयोगशाला से भेजे गए पॉजिटिव परीक्षण नमूना भी शामिल हों। सभी प्रयोगशालाओं को नमूने लेने और विश्लेषण करने का उचित अभिलेख रखना था।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2019-24 के दौरान ज़िला प्रयोगशाला के लिए परीक्षण का लक्ष्य (हर महीने 300 से 600 नमूना) तय किया था। धनबाद की ज़िला प्रयोगशाला के, जहां 28,800 परीक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ़ 25,080 (87 प्रतिशत) परीक्षण किए गए थे, के अलावा नमूना जांचित छः में से पांच ज़िला प्रयोगशाला ने परीक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया था।

चाईबासा की जिला प्रयोगशाला के बनाए गुणवत्ता परीक्षण पंजी में अंकित किए गए छः महीने (मार्च 2023 से अगस्त 2023) के आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 3,648 नमूना की प्रविष्टि में से, 475 नमूना के श्रोत (योजना/टोला/गाँव/ब्लॉक का नाम) का विवरण, 381 नमूना के नमूना संग्रह का समय/तारीख और किसी भी नमूना की परीक्षण का समय पंजी में अभिलेखबद्ध नहीं किया गया था। अतः, नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं ने रासायनिक या जीवाणु परीक्षण, नमूना संग्रह में शामिल गाँव/टोला, परीक्षण का टर्नअराउंड समय वगैरह की विवरण के विश्लेषण के लिए परीक्षण का सही अभिलेख नहीं रखा।

नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं द्वारा पानी की गुणवत्ता परीक्षण के तहत आच्छादित किए गए गाँवों की जानकारी, जैसा कि जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया है, **तालिका 2.5.1** में दिखाई गई है।

तालिका 2.5.1: नमूना जांचित ज़िलों के कुल गाँवों की तुलना में वे गाँव जहाँ गुणवत्ता परीक्षण किए गए थे

जिले का नाम/वर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	गाँवों की संख्या		गाँवों की संख्या		गाँवों की संख्या	
	कुल	जहाँ परीक्षण किए गए	कुल	जहाँ परीक्षण किए गए	कुल	जहाँ परीक्षण किए गए
धनबाद	1,156	562	1,137	1,038	1,137	1,136
हजारीबाग	1,205	1,111	1,186	1,184	1,186	1,184
कोडरमा	583	519	574	568	574	574
खूंटी	760	447	755	721	755	745
पूर्वी सिंहभूम	1,678	781	1,640	1,502	1,640	1,632
पश्चिमी सिंहभूम	1,661	710	1,648	1,608	1,648	1,468
कुल	**7,043**	**4,130 (59)**	**6,940**	**6,621 (95)**	**6,940**	**6,739 (97)**

(स्रोत: जेजेएम पोर्टल)

तालिका 2.5.1 से देखा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में गुणवत्ता परीक्षण के मामले में गाँवों की आच्छादन बेहतर हुई है। इस बारे में लेखापरीक्षा के नतीजों पर नीचे चर्चा की गई है:

- जेजेएम पोर्टल पर 2019-21 के दौरान किए गए जीवाणु परीक्षण का आँकड़ा नहीं था। 2022-24 के दौरान, जीवाणु परीक्षण सिर्फ़ दो प्रतिशत (570), 23 प्रतिशत (6,761) और 34 प्रतिशत (9,930) गाँवों में ही किए गए।

- 2022-24 के दौरान, नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं में से पांच (चाईबासा को छोड़कर) ने जेजेएम पोर्टल पर 37,928 जीवाणु परीक्षण की जानकारी दी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस दौरान पांचों प्रयोगशालाओं में से किसी में भी सूक्ष्म-जीवाणुविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी नहीं थे और इनमें से तीन प्रयोगशाला (पूर्वी सिंहभूम और हज़ारीबाग को छोड़कर) के पास जीवाणु परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता नहीं था।

- डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ ने इस बात पर बल दिया कि दूषित जल स्रोतों के शीघ्र और व्यापक प्रबंधन के लिए परीक्षण परिणामों की समय पर उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसने अनुशंसा की कि रासायनिक मानकों के परीक्षण के लिए लगने वाला समय [89] 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि जैविक मानकों के परीक्षण के लिए यह 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं ने नमूना इकट्ठा करने की तारीख और समय और उनके परीक्षण से लेकर विश्लेषण तक के टर्नअराउंड समय का सही अभिलेख नहीं रखा

[89] प्रयोगशाला में नमूना मिलने से लेकर रिपोर्ट फाइनल होने तक का समय।.

था। हालांकि, जैसा कि जेजेएम पोर्टल में बताया गया है, राज्य में टर्नअराउंड समय छः से 42 दिनों के बीच था, जबकि नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं में यह 12 से 33 दिनों के बीच था।

इस प्रकार, नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं में जेजेएम पोर्टल पर प्रतिवेदित किए गए जीवाणु परीक्षणों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ और एनएबीएल मान्यता की कमी थी। इसके अलावा, उन्होंने जेजेएम पोर्टल पर उल्लिखित उपलब्धियों के सत्यापन के लिए परीक्षण आंकड़ों का उचित अभिलेख नहीं रखा।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि पहले एच2एस वायल का इस्तेमाल (जल सहिया या किसी प्रयोगशाला कर्मचारी ने) जीवाणु परीक्षण के लिए किया था और परीक्षण प्रतिवेदन जेजेएम पोर्टल पर डाली जाती थी। एच2एस वायल का इस्तेमाल करके किए गए जीवाणु परीक्षण प्रतिवेदन प्रविष्टि का विकल्प भारत सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे कम जीवाणु परीक्षण प्रतिवेदन आ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सभी जिला प्रयोगशालाओं के लिए जीवाणु संबंधी मानकों पर एनएबीएल मान्यता प्राप्त की जाएगी और उपकरण खरीदने और सूक्ष्मजीवविज्ञानी/रसायनविज्ञानी नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की गई है। आगे बताया गया कि टर्नअराउंड समय ज़्यादा था, क्योंकि टर्नअराउंड समय गणना करने के लिए अगस्त 2022 (जब आँकड़े नियमित तौर पर प्रविष्टि नहीं किया जा रहा था) के बाद का आँकड़ा लिया गया था और अब सभी प्रयोगशालाओं को 24 घंटे के अंदर परीक्षण परिणाम प्रविष्टि करके टर्नअराउंड समय कम करने के निर्देश दिए गए हैं। निकास सम्मेलन (जून 2025) में, विभाग ने यह स्पष्ट किया कि जल सहियाओं को पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और समय पर आँकड़ा प्रविष्टि के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मोबाइल फोन दिए गए हैं, जिससे टर्नअराउंड समय कम हो सके।

जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 2021-23 के दौरान केवल दो से 23 प्रतिशत गाँवों को ही जीवाणुविज्ञानी परीक्षण के तहत आच्छादित किया गया था। इसके अलावा, चार[90] नमूना जांचित प्रयोगशाला में जून और जुलाई 2025 में परीक्षण किए गए 39 नमूना के पर्यवेक्षण (जुलाई 2025) के दौरान, यह देखा गया कि 31 नमूना दो दिनों के अंदर और आठ नमूना तीन दिनों के अंदर विश्लेषित किए गए थे। हालांकि, 39 में से 35 नमूना के मामले में, प्रतिवेदन बनाने और जेजेएम पोर्टल पर अपलोड करने में विश्लेषण की तारीख से चार से 19 दिन ज़्यादा लगे। इस तरह, आँकड़ा प्रविष्टि में सुधार नहीं हुआ और प्रतिवेदन बनाने और जेजेएम पोर्टल पर प्रविष्टि में विलंब से 35 जांचित नमूना के मामले में टर्नअराउंड समय छः से 19 दिन बढ़ गया।

[90] चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर और खूंटी।

2.5.4 फील्ड टेस्ट किट

डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ के अनुसार, ग्राम स्तर पर शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए भौतिक-रासायनिक दूषितकरण की जांच के लिए बहु-मानक फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का इस्तेमाल किया जाना था। जिन नमूना का परीक्षण पॉजिटिव आये, उनकी सम्पुष्टि के लिए नजदीकी जल परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाना था। ग्राम स्तर पर निजी श्रोत सहित सभी पीने के पानी के श्रोत की पानी की गुणवता की जांच एफटीके का इस्तेमाल करके की जानी थी। इसके अलावा, एक एफटीके में 100 परीक्षण करने की क्षमता थी।

लेखापरीक्षा जांच में ये बातें सामने आईं :

- विभाग ने (फरवरी 2023) प्रमंडल को हर महीने एफटीके के साथ 16 स्रोत का पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार, हर साल 192 स्रोत का परीक्षण किया जाना था, जिसके लिए हर गाँव में कम से कम दो एफटीके की ज़रूरत थी। हालांकि, विभाग ने प्रमंडल में बांटने के लिए पर्याप्त एफटीके नहीं खरीदे। नमूना जांचित प्रमंडल द्वारा जल सहिया/वीडब्ल्यूएससी को एफटीके के वितरण की विवरण **तालिका 2.5.2** में दिखाई गई है।

तालिका 2.5.2: एफटीके की साल-दर-साल उपलब्धता

जिला	1 अप्रैल 2022 तक गाँवों की संख्या	वीडब्ल्यूएससी/जल सहियाओं को बांटी गई एफटीके किट की संख्या (कोष्ठ में प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
धनबाद	1,156	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	537 (*46*)
हजारीबाग	1,205	308 (*26*)	898 (*75*)	1,204 (*100*)
कोडरमा	583	140 (*24*)	435 (*75*)	545 (*93*)
खूंटी	760	21 (*3*)	154 (*20*)	760 (*100*)
पूर्वी सिंहभूम	1,678	280 (*17*)	330 (*20*)	1,640 (*98*)
पश्चिमी सिंहभूम	1,661	324 (*20*)	1,339 (*81*)	1,661(*100*)
कुल	**7,043**	**1,073 (*15*)**	**3,156 (*45*)**	**6,347 (*90*)**

(स्रोत: विभाग से मिली जानकारी से इकट्ठा किया गया)

तालिका 2.5.2 से देखा जा सकता है कि 2021-23 के दौरान सिर्फ़ 15 से 45 प्रतिशत गाँवों को ही एफटीके दिए गए थे। 2023-24 के दौरान, 90 प्रतिशत गाँवों में एफटीके बांटे गए। हालांकि, बांटे गए एफटीके सभी गाँवों में तय संख्या में हर महीने परीक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

नमूना-जांचित गाँवों की नमूना-जांचित जिला प्रयोगशालाओं या वीडब्ल्यूएससी ने एफटीके जांच का आँकड़ा एकत्र नहीं किया। हालांकि, जेजेएम पोर्टल के अनुसार, 2021-24 के दौरान जांच किए गए जिलों में एफटीके के ज़रिए कुल 2,58,706 नमूनों की जांच की

गई थी, जिसमें 2021-22 में 194 (तीन प्रतिशत) गाँव, 2022-23 में 2,099 (30 प्रतिशत) गाँव और 2023-24 में 6,388 (91 प्रतिशत) गाँव शामिल थे।

- जेजेएम पोर्टल से पता चला कि एफटीके का इस्तेमाल करके परीक्षण किए गए 2,58,706 नमूना में से 1,065 नमूना दूषित पाए गए। हालांकि, इनमें से सिर्फ़ 128 नमूना का ज़िला प्रयोगशालाओं में दोबारा परीक्षण किया गया। सभी दूषित नमूना का दोबारा परीक्षण न करने की वजह अभिलेख में नहीं मिली।

- धनबाद II प्रमंडल में एफटीके के भंडार पंजी की जांच से पता चला कि प्रमंडल को जून और अगस्त 2023 के बीच कुल 707 एफटीके मिले थे। लेकिन 17 अक्टूबर 2024 तक वीडब्ल्यूएससी को सिर्फ़ 537 एफटीके ही बांटे गए थे। बाकी 170 एफटीके प्रमंडल कार्यालय में पड़े मिले (**चित्र 2.13** और **2.14**)। इसके अलावा, 288 कालातीत (अगस्त 2024) एफटीके भी प्रमंडल कार्यालय में पड़े मिले (**चित्र 2.15** और **2.16**)।

चित्र 2.13

चित्र 2.14

चित्र 2.15

समाप्ति तिथि वाला एफटीके

चित्र 2.16

समाप्ति तिथि वाले एफटीके प्रमंडल कार्यालय में पड़े हुए

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि प्रमंडलों ने वीडब्ल्यूएससी को एफटीके बांट दिए, लेकिन जल सहियाओं को पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए एफटीके इस्तेमाल करने की सही प्रशिक्षण नहीं दी गई।

धनबाद जिले के डोमचालकारो गाँव[91] में लाभुक सर्वे (अक्टूबर 2024) के दौरान, जल सहिया ने बताया कि प्रमंडल ने बिना कोई प्रशिक्षण दिए सिर्फ़ 10 दिन पहले एफटीके

---

[91] पंचायत: माटिगढ़ा, ब्लॉक: बाघमारा और जिला: धनबाद।

दिए थे। खूंटी जिले के बमरजा गाँव[92] की जल सहिया ने भी (सितंबर 2024) माना कि वह एफटीके से परीक्षण नहीं कर पाईं क्योंकि कोई प्रशिक्षण नहीं दी गई थी।

हालांकि, 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान डोमचालकारो गाँव में 19 नमूना के परीक्षण और बमरजा गाँव में एफटीके के ज़रिए 35 नमूना के परीक्षण का प्रतिवेदन जेजेएम पोर्टल पर दर्ज की गई थी।

इस तरह, जल सहिया ज़रूरी परीक्षण नहीं कर पाईं, क्योंकि एफटीके को बिना सही प्रशिक्षण दिए बांट दिया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि एफटीके खरीदने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है और उन्हें समय पर (क्षेत्र इकाइयों को) बांट दिया जाएगा। निकास सम्मेलन (जून 2025) में, विभाग ने भरोसा दिलाया कि पर्याप्त एफटीके खरीदे जाएंगे और बांटे जाएंगे, साथ ही जल सहियाओं को बार-बार और सही पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने की प्रशिक्षण भी दी जाएगी।

अनुशंसा 6: विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्र इकाइयों को समय पर ज़रूरी रसायन और एफटीके की खरीद और वितरण हो, और सभी पानी के स्रोत की समय पर परीक्षण के लिए जल सहियाओं को प्रशिक्षण दी जाए।

2.5.5 स्वच्छता निरीक्षण

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत को पानी की सुविधा का मौके पर जाकर मुआयना करना था, जिसे 'स्वच्छता निरीक्षण' कहते हैं, ताकि गंदगी के असली और संभावित स्रोतों का पता चले। इस जानकारी से सही कदम उठाने में मदद मिलनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडल ने हर साल किए गए स्वच्छता निरीक्षण का सही तरीके से आँकड़ा नहीं रखा था। 2019-21 के दौरान किए गए स्वच्छता निरीक्षण का आँकड़ा जेजेएम पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं था। ऐसा देखा गया कि 2021-23 के दौरान, नमूना जांचित किसी भी ज़िले (हजारीबाग ज़िले में एक श्रोत को छोड़कर) में 27,872 पानी के श्रोत पर स्वच्छता निरीक्षण नहीं किया गया। 2023-24 के दौरान, 66 प्रतिशत श्रोत (27,872 में से 18,524) का स्वच्छता निरीक्षण किया गया था।

नमूना जांचित खूंटी प्रमंडल ने (मई 2024) पीएमयू को बताया कि 10 मई 2024 और 28 मई 2024 के बीच 1,179 श्रोत का स्वच्छता निरीक्षण किया गया था। लेकिन, स्वच्छता निरीक्षण का प्रतिवेदन न तो प्रमंडल ने और न ही जिला समन्वयक,

---

92 पंचायत: बामराजा, ब्लॉक: कर्रा और जिला: खूंटी।

एमआईएस ने लेखापरीक्षा को दी, जो जेजेएम पोर्टल में आँकड़ा प्रविष्टि के लिए ज़िम्मेदार थे।

इसलिए, माइक्रोबायोलॉजिकल दूषितकरण के संभावित स्रोत का पता लगाने के लिए सभी पानी के स्रोत का स्वच्छता निरीक्षण नहीं किया गया।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि सभी ज़िलों में स्वच्छता निरीक्षण किए गए थे और आँकड़ा ज़िला प्रयोगशाला में रखा जाता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेजेएम पोर्टल ने 2021-23 के दौरान नमूना जांचित ज़िलों में कोई स्वच्छता निरीक्षण नहीं दिखाया और न ही नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं ने लेखापरीक्षा को कोई आँकड़ा दिया।

2.6 निगरानी और मूल्यांकन

2.6.1 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

जेजेएम दिशानिर्देश में नियोजना, स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन, भौतिक प्रगति, पानी की गुणवत्ता और सहायक गतिविधियों जैसी चीजों को निरीक्षण करने के लिए एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) बनाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने एक समर्पित जेजेएम पोर्टल (जेजेएम डैशबोर्ड) बनाया था, जिस पर डीडब्ल्यूएस प्रमंडल द्वारा आँकड़ा/जानकारी अपलोड की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- जेजेएम को लागू करने में डीडब्ल्यूएसएम की मदद के लिए, हर जिले में एक परियोजना प्रबंधक और पांच जिला समन्वयक (आईएसए, आईईसी, क्षमता निर्माण, एमआईएस और जल गुणवत्ता) को लगाया जाना था, जो जिले के आकार और काम की मात्रा पर आधारित होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऊपर बताई गई ज़रूरत के विरुद्ध, पीएमयू ने (अप्रैल 2022) हर प्रमंडल में जिला समन्वयक (आईईसी और एमआईएस) के सिर्फ़ दो पद और जिला समन्वयक का एक पद मंज़ूर किया। नौ प्रमंडल वाले छः नमूना जांचित ज़िलों में, तय 30 जिला समन्वयक और छः परियोजना प्रबंधक के विरुद्ध सिर्फ़ 18 जिला समन्वयक (आईईसी और आईईसी) अभिनियोजित किए गए थे। ये समन्वयक और परियोजना प्रबंधक डीडब्ल्यूएसएम को जुड़ी गतिविधियाँ आयोजन करने और जेजेएम पोर्टल में आँकड़ा/जानकारी प्रविष्टि में मदद करने के लिए ज़िम्मेदार थे। लेकिन, इन जिला समन्वयक ने जेजेएम पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड किए जा रहे आँकड़ा/जानकारी का सही अभिलेख नहीं रखा था। नमूना जांचित छः जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, सितंबर 2024 तक 6,26,793 एफएचटीसी दिए गए थे, जबकि जेजेएम पोर्टल के अनुसार यह संख्या 8,30,995 थी। इस तरह, जेजेएम पोर्टल

पर 2,04,202 एफएचटीसी की अतिरिक्त-रिपोर्टिंग हुई, जो प्रमंडल की प्रगति प्रतिवेदन से समर्थित नहीं थी।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि सभी प्रमंडल को जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे आँकड़ों का अभिलेख रखने का निर्देश दिया गया था।

अनुशंसा 7: विभाग जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों के समर्थन में सही अभिलेख का रखरखाव सुनिश्चित करे।

2.6.2 *झार जल आईएमआईएस*

जेजेएम दिशानिर्देश में सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। इसके लिए मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के वास्तविक समय का आँकड़ा लिया जाएगा। इस आँकड़ा का इस्तेमाल जेजेएम को लागू करने में विश्लेषण और फैसले लेने के लिए किया जाएगा। दिशानिर्देश में पानी के बहाव, पानी की गुणवत्ता, प्रवाह दर वगैरह को निरीक्षण करने के लिए एमवीएस में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्सेस[93] (स्काडा) प्रणाली लगाने का भी सुझाव दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में निर्मित संरचनाओं और अलग-अलग क्षेत्र गतिविधियों जैसे संरचनाओं का काम, पानी की आपूर्ति, शिकायत का निपटारा, आईइसी गतिविधियाँ, संरचनाओं की जांच वगैरह की अच्छे से निगरानी के लिए झार जल पोर्टल से संबद्ध एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग प्रणाली था। सोलर-बेस्ड एसवीएस में लगे सेंसर बेस्ड रिमोट मैनेजमेंट प्रणाली (आर.एम.एस.) को भी झार जल पोर्टल से जोड़ा गया था। झार जल पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण से ये बातें पता चलीं:

- किसी खास एसवीएस के कार्यशीलता को निरीक्षण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पोर्टल पर सिर्फ़ आरएमएस की उपकरण आईडी ही मैप की गई थी, जिसमें योजनाओं की विवरण नहीं दिख रही थीं, जैसे स्कीम आईडी और उस जगह, गाँव और पंचायत का नाम जहाँ एसवीएस स्थापित किए गए थे। उपकरण आईडी पर क्लिक करने के बाद ही योजना की विस्तृत विवरणी देखी जा सकती थीं। इसलिए, आरएमएस के ज़रिए किसी खास योजना का निरीक्षण करना मुश्किल था।
- नमूना जांचित नौ प्रमंडल में से पांच[94] में 7,544 एसवीएस में आरएमएस स्थापित किया गया था। लेकिन झार जल पोर्टल पर सिर्फ़ 6,659 एसवीएस का आँकड़ा ही

[93] स्काडा पानी और अपशिष्ट जल की सटीक और कुशल निगरानी के लिए एक नियंत्रण प्रणाली है, जो ऑपरेटरों को परिचालन डेटा और उत्पादन जानकारी तक तत्काल पहुंच प्रदान करती है। इन डेटा का उपयोग करके, सिस्टम ऑपरेटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय में परिचालन समस्याओं का पता लगाते हैं।

[94] चाईबासा, धनबाद II, हजारीबाग, खूंटी और झुमरीतिलैया (कोडरमा)।

उपलब्ध था क्योंकि सभी प्रणाली पोर्टल से लिंक नहीं थे। इसके अलावा, संचार नेटवर्क में दिक्कतों की वजह से आरएमएस उपकरण से पूरा आँकड़ा भी नहीं मिल सका।

- खूंटी जिले के नमूना जांचित कांटी एमवीएस में स्काडा प्रणाली लगाने का प्रावधान था। यह योजना अप्रैल 2022 से चालू थी। लेकिन, स्काडा का आंकड़ा लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया और न ही प्रणाली झार जल पोर्टल से जुड़ा हुआ पाया गया। इसलिए लेखापरीक्षा योजना के लिए स्काडा प्रणाली लगे होने या काम करने के बारे में आश्वस्त नहीं हो सका।

- 12 दिसंबर 2024 तक, नमूना जांचित प्रमंडल को झार जल पोर्टल पर कुल 4,483 शिकायतें (**परिशिष्ट 2.7**) मिलीं (मार्च 2022[95] से), जो मुख्य रूप से खराब हैंड पंप/एसवीएस/मोटर, पानी की टंकियों/ वितरण पाईपलाइन से लीकेज और पानी की आपूर्ति न होने से जुड़ी थीं। इनमें से, 4,084 शिकायतों को प्रमंडल ने हल/समाधान दर्ज किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा शिकायतों को हल करने में लगने वाले समय का पता नहीं लगा सका, क्योंकि शिकायतों के हल/बंद होने की तारीख डेटाबेस में दर्ज नहीं की गई थी। बाकी 399 शिकायतों में से, 185 शिकायतें कनीय अभियंता (जेई) के स्तर पर लंबित थीं, 83 शिकायतें हटा दी गईं क्योंकि वे पुराने और खराब प्रणाली से जुड़ी थीं जिन्हें बदलने/खास मरम्मत वगैरह की ज़रूरत थी, 38 शिकायतें संबंधित एई/जेई को भेज दी गईं, जबकि बाकी 93 शिकायतों के बारे में पोर्टल पर कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। पोर्टल में शिकायतों के समाधान न होने के कारण दर्ज नहीं पाए गए।

- नमूना जांचित प्रमंडल को लिखित शिकायतें भी मिलीं, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और समाधान के लिए संचिका पर प्रस्तुत किया गया। इन शिकायतों को न तो झार जल पोर्टल पर अपलोड किया गया था और न ही उनके समाधान की निगरानी के लिए प्रमंडल में संकलन किया गया था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वीडब्ल्यूएससी की जल सहिया, जो झार जल पोर्टल पर आँकड़ा प्रविष्टि के लिए ज़िम्मेदार थीं, उन्हें ज़रूरी मोबाइल फ़ोन (इंटरनेट सुविधा के साथ) नहीं दिए गए थे और उनके पास पोर्टल पर आँकड़ा अपलोड करने के लिए ज़रूरी तकनीकी जानकारी भी नहीं थी।

इस वजह से, शिकायतों और उनके समाधान से जुड़े पूरे आंकड़े/जानकारी झार जल पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही थी।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि झार जल पोर्टल पर योजना की विवरणी की मैपिंग पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जल सहियाओं को स्मार्टफ़ोन दिए गए हैं और झार जल मोबाइल ऐप पर आंकड़े अपलोड करने की प्रशिक्षण चल रही

[95] झार जल पोर्टल पर आँकड़ा 16 मार्च 2022 से उपलब्ध है।

है। झार जल पोर्टल पर सही आँकड़ा दिखाने के लिए सोलर एजेंसियों और आईटी दल के साथ नियमित बैठक भी की गईं। शिकायत के निपटान के बारे में, यह कहा गया कि शिकायतों का सत्यापन और उनके सुलझाने की स्थिति अपलोड करना भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पांच नमूना जांचित प्रमंडल में 55 शिकायतों के नमूना जांच (अगस्त 2025) से पता चला कि शिकायतें फरवरी 2024 और जुलाई 2025 के बीच दर्ज की गई थीं। इनमें से 49 शिकायतों का समाधान मई 2024 और अगस्त 2025 के बीच किया गया था। हालांकि, 49 शिकायतों में से 20 के समाधान में एक महीने से ज़्यादा और 69 दिन तक का समय लगा। छः में से पांच शिकायतें मई और जून 2025 से लंबित थीं जिनका निराकरण नहीं किया गया था।

अनुशंसा 8: विभाग अलग-अलग एसवीए के निरीक्षण के लिए झार जल पोर्टल पर योजना के विवरण की मैपिंग सुनिश्चित करे।

2.7 निष्कर्ष

दिसंबर 2024 तक, 97,535 योजनाओं में से केवल 27,249 (28 प्रतिशत) ही पूरी हो सकी थीं। इससे एफएचटीसी के माध्यम से परिवारों को आच्छादित करने की योजना प्रभावित हुई क्योंकि मार्च 2025 तक 34.31 लाख (55 प्रतिशत) परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किया गया था और 29,398 गाँवों में से 6,958 (24 प्रतिशत) में कोई भी एफएचटीसी नहीं था। नमूना जाँचित 40 एकल ग्राम योजना (एसवीएस) में से 20 में जल-प्रवाह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की निर्धारित न्यूनतम मात्रा का केवल 37 प्रतिशत था। लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चला है कि 19 से 40 प्रतिशत लाभार्थी जेजेएम के अंतर्गत उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवा से संतुष्ट नहीं थे।

योजना के उद्देश्य हेतु सभी राजस्व ग्राम को जेजेएम पोर्टल में शामिल नहीं किया गया था। ग्राम कार्य योजनाएं (वीएपी) जिसमें गाँव में जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता, जल के उपलब्ध स्रोतों का मानचित्रण और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं/ जरूरतों जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव था, ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना तैयार की गई थीं।

एक ही संवेदक जिनके पास पर्याप्त बोली क्षमता और संसाधन (जनशक्ति और उपकरण) नहीं थे, को कई निविदाएं प्रदान की गईं और मिलीभगत से बोली लगाने या बोली रोटेशन से इनकार नहीं किया जा सकता था। संवेदकों को ₹27.13 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता भी दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-22 के दौरान तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआई) द्वारा कार्यों के अनिवार्य निरीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित किए बिना ही कार्यों पर ₹1,578.25 करोड़ व्यय किए गए। जल आपूर्ति परियोजनाओं

के परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उपयोगकर्ता शुल्क भी एकत्र नहीं किया जा रहा था।

परीक्षण की गई जिला प्रयोगशालाओं के पास जेजेएम के तहत आवश्यक 13 बुनियादी जल गुणवत्ता मापदंडों के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता नहीं थी। उनके पास अनुशंसित 35 प्रकार के उपकरणों के विरुद्ध केवल आठ (23 प्रतिशत) से 16 (46 प्रतिशत) प्रकार के उपकरण थे तथा रसायनों की उपलब्धता की कमी के कारण वे उनके पास सुविधाएं होने के बाद भी कोई भी परीक्षण नहीं कर सके।

जेजेएम पोर्टल में आंकड़ा प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार जिला समन्वयकों ने अपलोड किए गए आंकड़ों के समर्थन में उचित अभिलेख नहीं रखा। रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) की केवल उपकरण संख्या को एसवीएस के साथ जोड़ा गया था, योजना के विवरण जैसे- योजना संख्या और आवास/गाँव या पंचायत के नाम को मानचित्रीकरण किए बिना ही राज्य की ऑनलाइन सूचना और निगरानी प्रणाली (झार जल पोर्टल) के साथ जोड़ दिया गया था और इस तरह किसी विशेष एसवीएस की कार्यक्षमता की निगरानी करना मुश्किल था।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांक: 20 मई 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 29 मई 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.1.2.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 16)

नमूना में लिए गए ज़िलों, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों की विस्तृत विवरणी

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	गढ़वा	गढ़वा	महुलिया
			फ़रथिया
			कोरवाडीह
			तिल्दाग
		नगर उंटारी	कुशदांड
			पिपराडीह
			हलिवंतकला
			चित विश्राम
2	गिरिडीह	गिरिडीह	बरहमोरिया
			पिंडाटांड़
			बजटो
			खावा
		सरिया	बागोडीह
			चचाकी
			कुसुमाडीह
			कैलाटांड़
3	गोड्डा	पोड़ैयाहाट	अमुवार संताली
			भटौंधा
			धेनुकट्टा
			बांझी
		महगामा	गढ़ी
			लहठी
			नयानगर
			जियाजोरी
4	गुमला	गुमला	नवाडीह
			अमबोआ
			कतरी
			कसीरा
		बसिया	ओरेया
			कुम्हारी
			पन्था
			कलिगा

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
5	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बनकट्टी
			बांकी
			असना
			बाराजुरी
		मुसाबनी	वन खंड
			गोहला
			परुलिया
			कुइलिसुता
6	पाकुड़	पाकुड़	उदयनारायणपुर
			नरोत्तमपुर
			जमशेरपुर
			रामचन्द्रपुर
		हिरनपुर	तोरई
			डांगापाड़ा
			बारतल्ला
			बाबूपुर

परिशिष्ट 1.2

(कंडिका 1.2.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 21)

चयनित ज़िलों में अनुमानित मानव-दिवस की उपलब्धि में कमी

वर्ष	कुल पंजीकृत परिवार	अनुमानित मानव-दिवस	सृजित मानव-दिवस	कमी (+)/ अधिकता (-)	कमी/अधिकता (प्रतिशत में)
2019-20	12,76,408	1,98,78,693	1,93,63,475	5,15,218	2.59
2020-21	17,18,073	3,60,13,677	3,80,51,934	-20,38,257	-5.66
2021-22	17,90,720	3,83,09,120	3,61,93,291	21,15,829	5.52
2022-23	16,94,247	2,85,27,865	2,76,45,628	8,82,237	3.09
2023-24	18,05,981	3,12,49,384	3,37,29,780	-24,80,396	-7.94

(स्रोत: ज़िला-स्तरीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.3

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 22)

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में 'रोजगार दिवस' का लंबित होना

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	आयोजित किए जाने वाले रोज़गार दिवस	आयोजित रोज़गार दिवस	कमी	कमी का प्रतिशत
पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	असना	260	83	177	68.08
		बनकटी	260	98	162	62.31
		बाराजुरी	260	167	93	35.77
		बांकी	260	133	127	48.85
	मुसाबनी	गोहला	260	155	105	40.38
		परुलिया	260	168	92	35.38
		फॉरेस्ट ब्लॉक	260	114	146	56.15
		कुइलिसुता	260	166	94	36.15
गिरिडीह	गिरिडीह	बजटो	260	0	260	100.00
		बरहमोरिया	260	0	260	100.00
		खावा	260	25	235	90.38
		पिंडाटांड़	260	0	260	100.00
	सुरिया	बागोडीह	260	41	219	84.23
		चचाकी	260	0	260	100.00
		कैलाटांड़	260	0	260	100.00
		कुसुमाडीह	260	0	260	100.00
पाकुड़	हिरणपुर	बाबूपुर	260	206	54	20.77
		डांगापाड़ा	260	205	55	21.15
		बारतल्ला	260	192	68	26.15
		तोरई	260	205	55	21.15
	पाकुड़	जमशेरपुर	260	198	62	23.85
		नरोत्तमपुर	260	191	69	26.54
		रामचन्द्रपुर	260	198	62	23.85
		उदयनारायणपुर	260	196	64	24.62
गोड्डा	महगामा	गढ़ी	260	59	201	77.31
		जियाजोरी	260	41	219	84.23
		लहठी	260	99	161	61.92
		नयानगर	260	10	250	96.15
	पोड़ैयाहाट	अमुवार संथाली	260	29	231	88.85
		बांझी	260	27	233	89.62
		भटौंधा	260	110	150	57.69
		धेनुकट्टा	260	96	164	63.08
गढ़वा	गढ़वा	टिल्डाग	260	61	199	76.54
		महुलिया	260	83	177	68.08

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	आयोजित किए जाने वाले रोज़गार दिवस	आयोजित रोज़गार दिवस	कमी	कमी का प्रतिशत
		कोरवाडीह	260	60	200	76.92
		फरहतिया	260	93	167	64.23
	नगरऊंटारी	कुशदंड	260	94	166	63.85
		पीपरडीह	260	68	192	73.85
		हलिवंतकला	260	57	203	78.08
		चित विश्राम	260	24	236	90.77
गुमला	गुमला	नावाडीह	260	0	260	100.00
		अंबोआ	260	0	260	100.00
		कटरी	260	0	260	100.00
		कसीरा	260	0	260	100.00
	बसिया	ओरेया	260	0	260	100.00
		कुम्हारी	260	0	260	100.00
		पंथा	260	0	260	100.00
		कलिगा	260	0	260	100.00
कुल योग			**12,480**	**3,752**	**8,728**	**69.94**

(स्रोत: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट 1.4

(कंडिका 1.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 27)

चयनित ज़िलों के लिए प्रमाणित वित्तीय विवरण के संबंध में नरेगासॉफ्ट आंकड़ों के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में विसंगति

(₹ करोड़ में)

ज़िला	वर्ष	सी ए प्रतिवेदन के अनुसार		नरेगासॉफ्ट के अनुसार		अंतर	
		प्रा. शेष	अंत शेष	प्रा. शेष	अंत शेष	प्रा. शेष	अंत शेष
पूर्वी सिंहभूम	2019-20	3.07	2.79	3.38	3.52	-0.31	-0.73
	2020-21	2.79	2.92	3.03	3.09	-0.24	-0.17
	2021-22	2.92	2.70	2.91	15.69	0.01	-12.99
	2022-23	2.70	2.59	2.00	2.37	0.70	0.22
	2023-24	2.59	2.52	1.46	1.59	1.13	0.93
गढ़वा	2019-20	4.46	3.34	2.58	3.02	1.88	0.32
	2020-21	3.34	2.56	1.94	2.91	1.41	-0.35
	2021-22	2.56	2.81	1.62	35.95	0.94	-33.14
	2022-23	2.81	2.96	-0.57	-0.62	3.38	3.58
	2023-24	2.96	3.18	-1.37	-0.23	4.33	3.41
गिरिडीह	2019-20	2.08	2.27	7.19	7.51	-5.11	-5.24
	2020-21	2.27	1.77	6.99	7.10	-4.72	-5.33
	2021-22	1.77	1.84	6.73	38.89	-4.96	-37.05
	2022-23	1.84	0.89	4.93	5.14	-3.09	-4.25
	2023-24	0.89	1.22	3.84	5.33	-2.95	-4.11
गोड्डा	2019-20	1.15	1.19	-0.26	-0.01	1.41	1.20
	2020-21	1.19	1.06	-0.32	-0.28	1.51	1.34
	2021-22	1.06	0.99	-0.37	13.43	1.43	-12.44
	2022-23	0.99	0.06	-1.06	-0.77	2.05	0.83
	2023-24	0.06	0.32	-1.53	0.31	1.59	0.01
गुमला	2019-20	4.23	4.40	3.31	3.65	0.92	0.75
	2020-21	4.41	2.63	2.86	3.04	1.55	-0.41
	2021-22	2.63	2.93	2.69	18.05	-0.06	-15.12
	2022-23	2.93	2.68	1.81	1.97	1.12	0.71
	2023-24	2.68	2.76	1.17	2.89	1.51	-0.13
पाकुड़	2019-20	1.62	1.76	5.29	5.40	-3.67	-3.64
	2020-21	1.76	1.30	5.24	5.45	-3.48	-4.15
	2021-22	1.30	1.22	5.15	17.90	-3.85	-16.68
	2022-23	1.22	0.96	4.40	4.56	-3.18	-3.60
	2023-24	0.96	0.78	3.95	4.44	-2.99	-3.66
कुल योग		**67.24**	**61.4**	**78.99**	**211.29**	**-11.74**	**-149.89**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ा और प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 1.5

(कंडिका 1.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 27)

चयनित ज़िलों के लिए नरेगासॉफ्ट आंकड़ों में दर्ज व्यय और प्रमाणित वित्तीय विवरण के बीच विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

ज़िला	वर्ष	सीए प्रतिवेदन के अनुसार व्यय			नरेगासॉफ्ट के अनुसार व्यय			अंतर		
		मज़दूरी	सामग्री	प्रशासन	मज़दूरी	सामग्री	प्रशासन	मज़दूरी	सामग्री	प्रशासन
पूर्वी सिंहभूम	2019-20	33.49	7.55	2.86	33.35	7.51	2.67	0.14	0.04	0.19
	2020-21	82.47	30.71	3.72	82.43	31.16	3.73	0.04	-0.45	-0.01
	2021-22	74.77	26.66	2.81	64.00	27.26	2.90	10.77	-0.60	-0.09
	2022-23	52.95	21.88	3.05	52.46	22.52	3.68	0.49	-0.64	-0.63
	2023-24	68.82	28.46	3.79	68.95	29.37	4.31	-0.13	-0.91	-0.52
गढ़वा	2019-20	86.38	53.65	5.03	86.80	56.87	5.17	-0.42	-3.22	-0.14
	2020-21	171.51	77.46	5.54	171.47	77.49	5.13	0.04	-0.03	0.41
	2021-22	228.28	87.81	5.21	199.74	87.09	5.50	28.54	0.72	-0.29
	2022-23	182.07	34.83	6.54	181.02	34.96	6.59	1.05	-0.13	-0.05
	2023-24	261.01	65.76	7.02	260.95	65.76	7.16	0.06	0.00	-0.14
गिरिडीह	2019-20	104.92	51.99	5.81	104.92	54.16	6.02	0.00	-2.17	-0.21
	2020-21	201.70	62.88	5.60	219.48	66.99	5.48	-17.78	-4.11	0.12
	2021-22	225.40	49.51	57.73	204.34	52.97	6.28	21.06	-3.46	51.45
	2022-23	195.56	39.17	9.00	210.24	42.41	9.01	-14.68	-3.24	-0.01
	2023-24	257.87	65.03	8.42	257.80	62.36	7.88	0.07	2.67	0.54
गोड्डा	2019-20	42.96	25.08	2.99	43.24	25.96	3.02	-0.28	-0.88	-0.03
	2020-21	114.49	40.27	3.95	114.49	40.92	3.24	0.00	-0.65	0.71
	2021-22	96.25	42.28	3.06	84.49	43.02	2.93	11.76	-0.74	0.13
	2022-23	83.33	23.08	4.41	83.22	24.38	4.37	0.11	-1.30	0.04
	2023-24	110.61	54.85	4.40	110.57	55.84	4.20	0.04	-0.99	0.20
गुमला	2019-20	37.28	21.53	3.88	37.29	21.52	3.66	-0.01	0.01	0.22
	2020-21	32.94	80.71	4.15	80.45	33.02	3.59	-47.51	47.69	0.56
	2021-22	86.42	37.38	2.53	72.04	37.64	3.23	14.38	-0.26	-0.70
	2022-23	72.03	26.70	3.71	71.23	26.70	3.92	0.80	0.00	-0.21
	2023-24	96.16	41.82	4.22	92.83	43.52	4.13	3.33	-1.70	0.09
पाकुड़	2019-20	24.10	8.49	1.84	24.00	8.49	1.87	0.10	0.00	-0.03
	2020-21	66.08	24.02	1.68	65.92	24.02	1.72	0.16	0.00	-0.04
	2021-22	76.15	32.13	2.11	65.71	32.15	1.95	10.44	-0.02	0.16
	2022-23	62.71	25.15	3.27	60.98	25.13	3.11	1.73	0.02	0.16
	2023-24	77.70	29.78	3.36	77.70	29.80	3.34	0.00	-0.02	0.02
कुल योग		**3,306.41**	**1,216.62**	**181.69**	**3,282.11**	**1,190.99**	**129.79**	**24.3**	**25.63**	**51.90**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़ा और प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 1.6

(कंडिका 1.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 28)

2019-24 की अवधि के लिए, नमूना जांचित ज़िलों की लंबित देनदारियाँ

(₹ लाख में)

ज़िले का नाम	अकुशल मज़दूरी	अर्ध-कुशल मज़दूरी / कुशल मज़दूरी	सामग्री	कर	कुल
पूर्वी सिंहभूम	900.01	21.39	388.50	37.57	1,347.47
गढ़वा	3,121.07	63.25	2,381.10	47.34	5,612.76
गिरिडीह	2,893.92	128.65	4,800.09	213.69	8,036.35
गोड्डा	1,187.99	88.20	1,746.31	38.15	3,060.65
गुमला	1,387.21	17.62	437.22	31.06	1,873.11
पाकुड़	1,118.59	34.42	717.04	57.78	1,927.83
कुल योग	**10,608.79**	**353.53**	**10,470.26**	**425.59**	**21,858.17**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

परिशिष्ट 1.7

(कंडिका 1.3.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 29)

अस्वीकृत और पुनः सृजित किए गए लेन-देनों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	कुल अस्वीकृत लेन-देन		पुनर्निर्माण हेतु लंबित लेन-देन		अस्वीकृत लेन-देन सफलतापूर्वक पुनः सृजित किए गए और भुगतान कर दिया गया		लेन-देन पुनः सृजित किए गए, लेकिन बैंक स्तर पर भुगतान के लिए लंबित हैं।	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20	1,72,296	1,896.58	91	0.98	1,46,754	1,600.76	25,451	294.84
2020-21	2,62,192	3,109.95	397	4.52	2,29,341	2,707.41	32,477	398.02
2021-22	15,07,279	13,821.74	771	9.99	12,26,957	12,441.68	2,79,574	1,370.08
2022-23	21,30,410	3,085.32	470	5.66	16,79,179	2,335.79	4,50,761	743.86
2023-24	1,73,104	1,195.04	670	8.78	1,03,064	705.96	69,370	480.30
योग	**42,45,281**	**23,108.63**	**2,399**	**29.93**	**33,85,295**	**19,791.60**	**8,57,633**	**3,287.10**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

परिशिष्ट 1.8

(कंडिका 1.3.5 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 30)

चयनित योजनाओं में श्रमिकों के विलंबित भुगतानों के लिए लंबित क्षतिपूर्ति का विवरण

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	30 दिनों तक		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		180 दिन से अधिक	
			एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि	एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि	एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि	एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि
पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	आसना	49	1,746	13	1,496	7	1,479	0	0
		बनकटी	95	5,164	20	5,301	1	660	1	334
		बांकी	58	2,604	19	1,817	6	2,663	2	816
		बाराजुरी	59	3,401	22	3,315	7	3,690	0	0
	मुसाबनी	फॉरेस्ट ब्लॉक	60	1,331	22	2,078	4	182	2	1,189
		गोहला	107	2,408	25	2,260	1	129	0	0
		कुइलिसुता	53	2,344	8	1,103	3	765	0	0
		परुलिया	89	3,586	25	2,787	15	9,553	2	2,788
गढ़वा	गढ़वा	फ़राथिया	70	8,429	46	12,597	5	6,355	10	23,083
		कोरवाडीह	100	9,790	22	11,353	2	2,243	3	8,150
		महुलिया	45	4,357	16	8,053	0	0	0	0
		तिल्डाग	52	4,855	53	17,004	0	0	1	1,909
	नगर उंटारी	चित विश्राम	51	3,443	22	4,939	5	6,344	0	0
		हलीवंत कला	45	2,942	15	4,608	2	2,986	0	0
		कुशदंड	41	3,333	35	7,025	1	175	0	0
		पीपरडीह	36	2,709	24	5,020	3	1,701	0	0
गिरिडीह	गिरिडीह	बजटो	67	3,001	35	5,705	3	185	3	1,828
		बरहमोरिया	23	1,026	13	1,764	0	0	0	0
		खावा	36	2,383	15	2,815	4	2322	0	0
		पिंडाटांड़	61	3,748	51	12,085	8	4833	3	2,145
	सरिया	बागोडीह	48	2,426	14	1,768	1	761	1	722
		चचाकी	56	2,674	19	4,411	1	435	0	0
		कैलाटांड़	47	3,490	31	6,873	1	79	5	7,861
		कुसुमडीह	47	2,616	32	9,898	2	1064	2	1,629
गोड्डा	महगामा	गढ़ी	36	3,044	5	783	1	416	0	0
		जियाजोरी	9	587	10	1,961	0	0	0	0
		लहठी	62	4,316	18	4,522	0	0	2	624

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	30 दिनों तक		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		180 दिन से अधिक	
			एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि	एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि	एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि	एम आर की संख्या	भुगतान की जाने वाली राशि
		नयानगर	24	1,855	21	6,282	0	0	2	2,226
	पोरैयाहाट	अमुवार संथाली	6	469	9	2,142	0	0	0	0
		बांझी	21	1,848	14	6,212	2	1,379	0	0
		भटौंधा	57	8,289	14	6,753	0	0	0	0
		धेनुकट्टा	21	2,271	17	6,521	4	3,024	1	167
गुमला	बसिया	कलिगा	45	1,922	45	7,471	13	13,717	2	2,075
		कुम्हारी	56	3,008	23	5,822	1	54	13	23,926
		ओरेया	43	2,141	31	2,894	1	12	2	720
		पंथा	75	1,733	37	2,475	3	405	2	1,398
	गुमला	अंबोआ	143	5,626	42	3,379	7	1,216	6	4,234
		नावाडीह	118	4,240	34	3,288	13	1,954	9	2,464
		कसीरा	125	5,432	27	3,114	10	4,711	24	30,104
		कतरी	146	4,367	41	5,689	20	6,783	19	12,523
पाकुड़	हिरणपुर	बाबूपुर	38	2,182	14	1,846	19	10,656	18	19,165
		डांगापाड़ा	30	2,725	8	1,788	4	2,261	2	1,150
		बरतला	31	1,767	15	4,562	2	801	2	1,434
		तोरई	34	2,254	14	2,866	1	220	26	34,292
	पाकुड़	जमशेरपुर	49	3,806	29	4,547	19	11,621	9	1,669
		नरोत्तमपुर	52	5,387	28	8,336	11	5,757	4	4,315
		रामचन्द्रपुर	43	4,736	43	13,957	0	0	0	0
		उदयनारायणपुर	49	3,951	38	8,093	25	13,617	2	2,536
योग			**2,708**	**1,61,762**	**1,174**	**2,51,378**	**238**	**1,27,208**	**180**	**1,97,476**

परिशिष्ट 1.9

(कंडिका 1.3.8 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 32)

प्रशासनिक व्यय की अस्वीकार्य राशि का विवरण

वर्ष	ज़िला	व्यय का मद	राशि (₹)
2019-20	गिरिडीह	वेतन	3,18,826
	गुमला	वेतन	3,99,277
		वाहनों की मरम्मत	21,386
	पाकुड़	वेतन	71,013
2020-21	गिरिडीह	वेतन	3,30,394
	गुमला	वेतन	3,37,191
		वाहनों की मरम्मत	22,000
		गाँव की सूचना पट्ट की खरीद	4,31,390
	पाकुड़	वेतन	1,42,793
		वाहनों की मरम्मत	17,205
2021-22	गिरिडीह	वेतन	3,30,758
	गुमला	वेतन	5,13,444
		वाहनों की मरम्मत	2,49,802
	पाकुड़	वेतन	17,012
		वाहनों की मरम्मत	59,304
योग			**32,61,795**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

परिशिष्ट 1.10

(कंडिका 1.4.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 39)

कार्य पूर्ण होने के बाद मस्टर रोल का भुगतान विवरण

ग्राम पंचायत का नाम	कार्य कोड	वर्ष	एम बी के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रयुक्त मस्टर रोल की संख्या	प्रयुक्त एम आर की अंतिम तिथि	शामिल राशि
बनकटी	3410003010/IF/7080901407709	2020-21	05-06-2021	15	17-02-2022	21188
बनकटी	3410003010/IF/7080902189586	2022-23	30-06-2023	1	03-08-2023	2867
बनकटी	3410003010/IF/7080902369165	2022-23	14-02-2023	4	01-06-2023	10944
बांकी	3410003015/IF/7080901321317	2019-20	02-10-2019	6	20-10-2019	47196
बांकी	3410003015/IF/7080901313932	2020-21	25-03-2021	1	30-03-2021	9700

ग्राम पंचायत का नाम	कार्य कोड	वर्ष	एम बी के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रयुक्त मस्टर रोल की संख्या	प्रयुक्त एम आर की अंतिम तिथि	शामिल राशि
गोहला	3410005010/AV/7080901167131	2020-21	23-02-2021	3	22-03-2021	13856
गोहला	3410005010/IF/GIS/24360	2021-22	15-10-2022	4	04-11-2022	11077
परुलिया	3410005006/IC/7080901189831	2021-22	25-06-2022	2	26-06-2022	5395
पिंडाटांड़	3419012031/IF/7080901409751	2020-21	10-07-2023	13	20-11-2023	174930
बागोडीह	3419001009/IF/7080901493938	2020-21	30-11-2020	8	31-12-2020	57812
कुसुमडीह	3419001029/IF/7080901414465	2019-20	20-07-2020	4	20-09-2020	10864
चित विश्राम	3407013005/RC/7080901080059	2020-21	29-12-2020	12	23-03-2021	116400
अंबोआ	3403006002/IF/7080901918106	2021-22	21-01-2023	7	08-08-2023	7872
बाबूपुर	3414002001/IF/7080902257002	2022-23	16-08-2022	3	20-11-2022	11148
बाबूपुर	3414002001/IF/7080901521118	2022-23	02-03-2021	5	15-03-2021	40352
बारतल्ला	3414002003/IF/7080902123925	2021-22	05-02-2022	2	15-02-2022	10800
बारतल्ला	3414002003/IF/7080902032423	2021-22	10-02-2022	1	12-02-2022	8550
बारतल्ला	3414002003/IF/7080902292731	2022-23	20-02-2023	6	17-03-2023	50481
डांगापाड़ा	3414002004/IF/7080901528111	2020-21	02-02-2021	7	17-04-2021	59136
डांगापाड़ा	3414002004/IC/7080901195589	2022-23	09-12-2021	8	22-11-2022	59961
डांगापाड़ा	3414002004/IF/7080901511457	2020-21	02-02-2021	13	01-06-2021	125478
तोरई	3414002013/IF/7080902659113	2020-21	14-03-2021	12	31-03-2021	77600
तोरई	3414001011/IC/9010259353	2023-24	09-06-2024	14	23-12-2024	139536

ग्राम पंचायत का नाम	कार्य कोड	वर्ष	एम बी के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रयुक्त मस्टर रोल की संख्या	प्रयुक्त एम आर की अंतिम तिथि	शामिल राशि
जमशेरपुर	3414001011/1F/7080902077585	2020-21	15-11-2020	8	18-01-2021	69646
जमशेरपुर	3414001011/1F/7080901397498	2020-21	02-12-2020	9	01-02-2021	76436
कुल राशि						**1219225**

परिशिष्ट 1.11

(कंडिका 1.4.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 39)

कार्य पूर्ण होने के बाद सामग्री का क्रय

ग्राम पंचायत का नाम	कार्य कोड	वर्ष	अभिश्रव की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	अभिश्रवों की संख्या	राशि (₹ में)
बाराजुरी	3410003003/आईसी/7080901190060	2021-22	01.02.2023	26.12.2022	2	3,92,372
	3410003003/ आईसी /7080901200137	2023-24	21.12.2023	22.09.2023	1	1,61,933
गोहला	3410005010/एवी/7080901167131	2020-21	23.02.2021	23.02.2021	2	1,88,239
	3410005010/आईएफ/जीआइएफ/24360	2021-22	30.10.2022 02.11.2022	15.10.2022	2	1,62,604
चित विश्राम	3407013005/आरसी/7080901080059	2020-21	06.03.2021	29.12.2020	1	96,958
कुशदंड	3407013011/ आईएफ /7080901285337	2019-20	22.02.2020	05.08.2019	1	47,620
अंबोआ	3403006002/आईएफ /7080901918106	2021-22	08.02.2023	21.01.2023	1	1,09,411
तोरई	3414002013/ आईएफ /7080901506356	2020-21	05.05.2021	17.03.2021	1	75,833
	3414002013/ आईएफ /7080901506354	2020-21	02.07.2021	28.03.2021	1	55,805
जमशेरपुर	70809010259353	2020-21	10.12.2020	15.11.2020	1	2,500
	7080901397498	2020-21	04.01.2021	02.12.2020	1	1,900
योग					**14**	**12,95,175**

परिशिष्ट 1.12

(कंडिका 1.4.7 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 44)

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की स्थिति

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	चयनित ग्राम पंचायतों में स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार किए जाने वाले कार्य	पूरे हुए कार्यों की संख्या	अधूरे/जारी कार्यों की संख्या	शुरू न हुए कार्यों की संख्या/
पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	5,524	3,352	612	641
	मुसाबनी	4,531	2,997	587	614
गढ़वा	गढ़वा	11,760	9,265	613	1,533
	नगरऊंटारी	7,649	4,423	676	2,119
गिरिडीह	गिरिडीह	6,689	3,037	1,623	1,054
	सरिया	4,121	2,397	671	356
गोड्डा	महगामा	2,646	1,461	327	785
	पोरैयाहाट	3,259	2,197	445	530
गुमला	बसिया	3,260	1,598	805	727
	गुमला	5,027	2,265	1,364	1,126
पाकुड़	हिरणपुर	4,526	3,258	777	491
	पाकुड़	2,284	1,151	561	572
	योग	**61,276**	**37,401**	**9,061**	**10,548**

(स्रोत: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.13

(कंडिका 1.4.8.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 48)

गुमला जिले की नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में 31 नमूना-आधारित वृक्षारोपण योजनाओं पर व्यय का विवरण

वर्ष	भौतिक रूप से देखी गई योजनाओं की संख्या	अनुमान के अनुसार (₹ में)				भौतिक रूप से निरीक्षण की गई वृक्षारोपण योजनाओं पर व्यय (₹ में)			
		मानव-दिन	मज़दूरी	सामग्री	कुल राशि	मानव-दिन	मज़दूरी	सामग्री	कुल राशि
अग्रिम कार्य									
2019-20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	13	326.24	63,290.56	7,119.00	70,409.56	326.24	8,22,777.28	0.00	8,22,777.28
2021-22	2	326.24	73,404.00	7,119.00	80,523.00	326.24	1,46,808.00	0.00	1,46,808.00
2022-23	3	326.24	77,318.88	7,119.00	84,437.88	326.24	2,31,956.64	0.00	2,31,956.64
2023-24	13	326.24	83,191.20	7,119.00	90,310.20	326.24	10,81,485.60	0.00	10,81,485.60
उप कुल	**31**	**1,304.96**	**2,97,204.64**	**28,476.00**	**3,25,680.64**	**1,304.96**	**22,83,027.52**	**0.00**	**22,83,027.52**
पूर्णता कार्य									
2020-21	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	13	18.00	3,492.00	15,120.00	18,612.00	18.00	45,396.00	1,06,201.00	1,51,597.00
2022-23	2	18.00	4,050.00	15,120.00	19,170.00	18.00	8,100.00	6,408.00	14,508.00
2023-24	3	18.00	4,266.00	15,120.00	19,386.00	18.00	12,798.00	20,231.00	33,029.00
2024-25	13	18.00	4,590.00	15,120.00	19,710.00	18.00	59,670.00	1,35,037.00	1,94,707.00
उप कुल	**31**	**72.00**	**16,398.00**	**60,480.00**	**76,878.00**	**72.00**	**1,25,964.00**	**2,67,877.00**	**3,93,841.00**
योग		**1,376.96**	**3,13,602.64**	**88,956.00**	**4,02,558.64**	**1,376.96**	**24,08,991.52**	**2,67,877.00**	**26,76,867.52**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट आंकड़े)

परिशिष्ट 1.14

(कंडिका 1.5.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 58)

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की लंबितता

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	31 मार्च 2024 तक उठाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन	31 मार्च 2024 तक निपटाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन	31 मार्च 2024 तक के बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकन	बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकनों का प्रतिशत
पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	असना	26	22	4	15.38
		बनकटी	24	14	10	41.67
		बराज़ुरी	22	19	3	13.64
		बांकी	0	0	0	0.00
	मुसाबनी	गोहला	46	19	27	58.70
		परुलिया	49	13	36	73.47
		फॉरेस्ट ब्लॉक	24	0	24	100.00
		कुइलिसुता	53	11	42	79.25
गिरिडीह	गिरिडीह	बजटो	194	0	194	100.00
		बरहमोरिया	38	0	38	100.00
		खावा	138	0	138	100.00
		पिंडाटांड़	85	0	85	100.00
	सरिया	बागोडीह	39	0	39	100.00
		चचाकी	46	0	46	100.00
		कैलाटांड़	59	0	59	100.00
		कुसुमडीह	56	0	56	100.00
पाकुड़	हिरणपुर	बाबूपुर	32	0	32	100.00
		डांगापाड़ा	60	0	60	100.00
		बरतल्ला	34	0	34	100.00
		तोरई	58	0	58	100.00
	पाकुड़	जमशेरपुर	30	0	30	100.00
		नरोत्तमपुर	14	0	14	100.00
		रामचन्द्रपुर	22	0	22	100.00
		उदयनारायणपुर	14	0	14	100.00
गोड्डा	महगामा	गढ़ी	11	9	2	18.18
		जियाजोरी	11	11	0	0.00
		लहठी	46	46	0	0.00
		नयानगर	39	39	0	0.00

ज़िले का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	31 मार्च 2024 तक उठाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन	31 मार्च 2024 तक निपटाए गए सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकन	31 मार्च 2024 तक के बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकन	बकाया सामाजिक ऑडिट अवलोकनों का प्रतिशत
	पोरैयाहाट	अमुवार संथाली	0	0	0	0.00
		बांझी	63	21	42	66.67
		भटौंधा	35	14	21	60.00
		धेनुकट्टा	35	14	21	60.00
गढ़वा	गढ़वा	तिल्डाग	45	35	10	22.22
			62	27	35	56.45
		महुलिया	41	23	18	43.90
			55	55	0	0.00
	नगरऊंटारी	कोरवाडीह	34	11	23	67.65
			29	7	22	75.86
		फरहतिया	37	36	1	2.70
			56	48	8	14.29
गुमला	गुमला	नावाडीह	17	0	17	100.00
		अंबोआ	0	0	0	0.00
		कतरी	17	0	17	100.00
		कसीरा	0	0	0	0.00
	बसिया	ओरेया	0	0	0	0.00
		कुम्हारी	0	0	0	0.00
		पंथा	0	0	0	0.00
		कलिगा	0	0	0	0.00
कुल योग			**1,796**	**494**	**1,302**	**72**

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका : 2.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 88)

नमूना-जांचित योजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रमंडल	योजना का नाम (एफएचटीसी)	एसवीएस/एमवीएस	योजनाओं की संख्या	24 सितंबर तक पूरी हुई योजनाएं	स्वीकृत राशि (एए)	एकरारनामा की तिथि	एकरारनामा की राशि	सितंबर 2024 तक व्यय	एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे	एफएचटीसी प्रदान किए गए	योजना की स्थिति
1	जमशेदपुर	गुरबांधा और आसपास के गांव आरपीडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	79.85	28.03.23	79.17	63.09	9143	0	चालू
2	आदित्यपुर	पोटका एम वी एस	एम वी एस	1	0	275.25	27.06.23	257.77	15.1	35879	0	चालू
3	खूंटी	क्लस्टर 1 ए	एसवीएस	67	67	9.25	05.07.22	8.48	8.65	2670	2782	पूर्ण
4		क्लस्टर 1 बी	एसवीएस	76	76	8.72	05.07.22	8.25	8.14	2204	2204	पूर्ण
5		क्लस्टर 7 बी	एसवीएस	70	61	8.71	17.05.23	8.75	3.3	2310	1468	चालू
6		उलिहातु और आसपास के गाँव आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	14.85	18.08.22	14.04	11.82	2109	1008	चालू
7		तपकारा और आसपास के गाँव आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	13.58	13.07.22	14.05	7.5	2438	0	चालू
8		मन्हातु और आसपास के गांव आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	19.95	11.07.22	21.64	11.62	2695	2	चालू
9	हजारीबाग	खरगू-चौबे और आसपास के गाँव आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	11.50	10.06.22	11.97	11.17	2360	1704	चालू
10		एसवीएस चोरहेट्टा गाँव	एसवीएस	3	3	0.29	30.10.21	0.30	0.27	107	113	पूर्ण
11		पचरा-जोरदाग आरपीडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	14.12	20.07.21	12.75	9.50	2519	1220	चालू
12	चाईबासा	उप-क्लस्टर 11 ए	एसवीएस	80	78	7.02	05.03.22	7.21	5.22	2120	2125	चालू

क्रम संख्या	प्रमंडल	योजना का नाम (एफएचटीसी)	एसवीएस/एमवीएस	योजनाओं की संख्या	24 सितंबर तक पूरी हुई योजनाएं	स्वीकृत राशि (एए)	एकरारनामा की तिथि	एकरारनामा की राशि	सितंबर 2024 तक व्यय	एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे	एफएचटीसी प्रदान किए गए	योजना की स्थिति
13		उप-क्लस्टर 11 सी	एसवीएस	58	57	5.03	10.08.22	5.29	4	1051	948	चालू
14		आरपीडब्ल्यूएसएस चाईबासा ब्लॉक	एम वी एस	2	0	94.39	12.02.19	94.03	32.54	17963	195	चालू
15		आरपीडब्ल्यूएसएस कुर्सी	एम वी एस	1	0	9.85	27.11.17	9.51	9.78	1338	1065	चालू
16		आरपीडब्ल्यूएसएस जगन्नाथपुर	एम वी एस	1	0	119.07	03.04.23	118.6	41.58	12973	0	चालू
17	चक्रधरपुर	नवगांव एसवीएस	एसवीएस	11	11	0.85	03.04.23	0.78	0.71	245	226	पूर्ण
18		क्लस्टर 12 ए सोनुवा	एसवीएस	89	89	6.05	10.08.22	6.25	5.50	1439	1309	चालू
19	धनबाद-I	निरसा गोविंदपुर आरडब्ल्यूएसएस (उत्तर)	एम वी एस	1	0	616.97	12.12.23	427.792	42.78	77875	0	चालू
20		एमवीएस गोविंदपुर और निरसा प्रखण्ड दक्षिण जोन आरडब्ल्यूएसएस का शेष कार्य	एम वी एस	1	0	325.15	14.12.23	216.96	0.00	49488	0	चालू
21	धनबाद-II	टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखण्ड आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	76.38	09.11.21	71.11	50.42	10248	0	चालू
22		बाघमारा आरडब्ल्यूएसएस फेज -II	एम वी एस	1	0	176.9	10.03.22	177.6	29.87	32718	0	चालू
23		बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	92.69	08.12.17	83.88	77.80	21635	845	चालू
24		बलियापुर गांवो का समूह 100% राज्य योजना फेज-II	एम वी एस	1	0	74.54	03.07.19	72.99	73.91	16208	4851	चालू
25	कोडरमा	कटैया और माधोपुर आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	23.91	10.03.22	24.66	17.36	4055	0	चालू
26		खरियोडीह और निकटवर्ती गांव	एम वी एस	1	0	16.25	26.06.19	18.35	1.88	4075	0	रद्द (जुलाई 2024)

क्रम संख्या	प्रमंडल	योजना का नाम (एफएचटीसी)	एसवीएस/एमवीएस	योजनाओं की संख्या	24 सितंबर तक पूरी हुई योजनाएं	स्वीकृत राशि (एए)	एकरारनामा की तिथि	एकरारनामा की राशि	सितंबर 2024 तक व्यय	एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे	एफएचटीसी प्रदान किए गए	योजना की स्थिति
27		कोडरमा-डोमचाच- जयनगर मेगा आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	214.41	14.03.23	217.91	25.00	30390	0	रद्द (जुलाई 2024)
28		खुट्टा- नावाडीह आरडब्ल्यूएसएस	एम वी एस	1	0	26.57	31.01.23	26.15	9.55	4160	98	चालू
				475	**442**	**2342.10**		**2016.24**	**578.06**	**352415**	**22163**	

(स्रोत: नमूना-जांचित प्रमंडलों द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका : 2.4 और 2.4.1 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 88)

विभाग स्तर पर विश्लेषण किए गए निविदा दस्तावेजों की विवरणी

क्रम सं.	प्रमंडल के नाम	कार्य का नाम	निविदा मूल्य (₹ करोड़ में)	निविदा प्रारंभ की तिथि	निविदा समाप्ति की तिथि	निविदा जमा करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या	डीटीसी द्वारा निविदा के निर्णय की तिथि	एलओए की तिथि	निविदा तय करने में विभाग को कितने दिन लगे	डीटीसी द्वारा निविदा आवंटित किये जाने के बाद एलओए जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या	निविदाकारों द्वारा निविदित मूल्य (₹ करोड़ में)	एकरारित मूल्य (₹ करोड़ में)	एकरारित मूल्य निविदा मूल्य से कम (-) / ज़्यादा (+) (प्रतिशत में)	जिन ठेकेदारों को काम दिया गया
एसवीएस क्लस्टर योजनाएं														
1	चक्र.पु.	क्लस्टर 4 ए	6.42	20-05-2022	20-06-2022	31	23-08-2022	26-08-2022	64	3	7.13	6.71	4.5	एक्स
2	चक्र.पु.	क्लस्टर 4 बी	6.76	20-05-2022	20-06-2022	31	23-08-2022	26-08-2022	64	3	7.39	7.06	4.5	एक्स
3	चक्र.पु.	क्लस्टर 6 बी	9.00	23-11-2021	08-12-2021	15	12-04-2022	29-04-2022	125	17	9.90	9.41	4.5	एक्स
4	चक्र.पु.	क्लस्टर 9 बी	6.04	23-11-2021	08-12-2021	15	20-04-2022	04-05-2022	133	14	6.34	6.31	4.5	एक्स
5	चक्र.पु.	क्लस्टर 12 ए	5.98	04-03-2022	12-03-2022	8	22-07-2022	28-07-2022	132	6	6.26	6.25	4.5	एक्स
6	चक्र.पु.	क्लस्टर 12 सी	5.24	04-03-2022	12-03-2022	8	22-07-2022	28-07-2022	132	6	5.68	5.48	4.5	एक्स का जेवी
7	चक्र.पु.	क्लस्टर 6 सी	8.87	20-05-2022	20-06-2022	31	23-08-2022	26-08-2022	64	3	10.02	9.27	4.5	एक्स
8	चक्र.पु.	क्लस्टर 6 ए	5.76	23-11-2021	08-12-2021	15	12-04-2022	04-08-2022	125	114	6.30	6.02	4.5	जेड का जेवी
9	चक्र.पु.	क्लस्टर 8 सी	8.80	23-11-2021	08-12-2021	15	11-05-2022	27-05-2022	154	16	9.61	9.20	4.5	वाई
10	चाईबासा	क्लस्टर 11 ए	6.90	16-11-2021	08-12-2021	22	28-01-2022	19-04-2022	51	81	7.59	7.21	4.5	वाई
11	चाईबासा	क्लस्टर 9 ए	9.67	20-12-2021	27-12-2021	7	01-06-2022	20-06-2022	156	19	10.57	10.11	4.5	वाई
12	चाईबासा	क्लस्टर 3 बी	5.97	23-05-2022	30-05-2022	7	22-07-2022	28-07-2022	53	6	6.72	6.24	4.5	वाई
13	राँची पू.	क्लस्टर 3 बी	6.09	30-11-2021	18-12-2021	18	24-05-2022	20-06-2022	157	27	6.56	6.36	4.5	एम
14	राँची पू.	क्लस्टर 3 ए	7.55	30-11-2021	18-12-2021	18	24-05-2022	20-06-2022	157	27	7.93	7.89	4.5	एन
15	राँची पू.	क्लस्टर 8 बी	7.20	30-11-2021	18-12-2021	18	29-03-2022	29-04-2022	101	31	7.23	7.23	0.5	एन
16	राँची पू.	क्लस्टर 5 ए	8.98	30-11-2021	18-12-2021	18	29-03-2022	29-04-2022	101	31	9.43	9.38	4.5	एम
17	खूँटी	क्लस्टर 8 ए	5.79	04-12-2021	14-12-2021	10	27-01-2022	28-02-2022	44	32	6.05	6.05	4.5	एम
18	खूँटी	क्लस्टर 8 बी	7.61	04-12-2021	14-12-2021	10	27-01-2022	28-02-2022	44	32	7.98	7.95	4.5	एम

क्रम सं.	प्रमंडल के नाम	कार्य का नाम	निविदा मूल्य (₹ करोड़ में)	निविदा प्रारंभ की तिथि	निविदा समाप्ति की तिथि	निविदा जमा करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या	डीटीसी द्वारा निविदा के निर्णय की तिथि	एलओए की तिथि	निविदा तय करने में विभाग को कितने दिन लगे	डीटीसी द्वारा निविदा आवंटित किये जाने के बाद एलओए जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या	निविदाकारों द्वारा निविदित मूल्य (₹ करोड़ में)	एकरारित मूल्य (₹ करोड़ में)	एकरारित मूल्य निविदा मूल्य से कम (-) / ज़्यादा (+) (प्रतिशत में)	जिन ठेकेदारों को काम दिया गया
19	खूँटी	क्लस्टर 9 ए	5.29	04-12-2021	14-12-2021	10	27-01-2022	28-02-2022	44	32	5.54	5.53	4.5	एम
20	खूँटी	क्लस्टर 9 बी	6.75	04-12-2021	14-12-2021	10	27-01-2022	28-02-2022	44	32	7.08	7.05	4.5	एम
21	खूँटी	क्लस्टर 10 ए	8.59	04-12-2021	14-12-2021	10	06-04-2022	29-04-2022	113	23	9.28	8.98	4.5	एम
22	खूँटी	क्लस्टर 10 बी	5.04	04-12-2021	14-12-2021	10	27-01-2022	28-02-2022	44	32	5.29	5.27	4.5	एम
23	खूँटी	क्लस्टर 11 ए	5.19	04-12-2021	14-12-2021	10	06-04-2022	29-04-2022	113	23	5.43	5.42	4.5	एम
24	राँची प.	क्लस्टर 2 ए III	8.18	09-03-2023	14-03-2023	5	24-05-2023	01-06-2023	71	8	9.34	8.55	4.5	डी
25	लोहरदगा	क्लस्टर 15	6.42	25-03-2023	12-04-2023	18	01-06-2023	01-06-2023	50	0	5.91	5.48	(-)14.64	डी
26	राँची प.	क्लस्टर 10 ए I	5.96	09-03-2023	14-03-2023	5	17-04-2023	24-04-2023	34	7	6.55	6.23	4.5	डी
27	सिमडेगा	क्लस्टर 22	8.85	04-01-2023	16-01-2023	12	17-02-2023	27-02-2023	32	10	9.05	8.85	0.0	डी
28	राँची प.	क्लस्टर 5 ए II	7.28	09-03-2023	14-03-2023	5	24-05-2023	01-06-2023	71	8	8.01	7.60	4.5	डी
29	राँची प.	क्लस्टर 6 ए-1	8.85	09-03-2023	14-03-2023	5	24-05-2023	01-06-2023	71	8	10.19	9.25	4.5	डी
30	चास	जरीडीह बाजार का पुनर्गठन आरपीडब्ल्यूएसएस	7.84	13-02-2023	20-02-2023	7	18-03-2023	21-03-2023	26	3	8.62	8.09	3.2	डी
एमभीएस योजनाए														
31	चक्र.पु.	पोराहाट, सोनुआ और बिला आरपीडब्ल्यूएसएस	54.59	06-12-2018	11-12-2018	5	23-01-2019	29-01-2019	43	6	59.76	58.83	7.8	एक्स और वाई का जेवी
32	गढ़वा	अदर- बरडीहा आरपीडब्ल्यूएसएस	40.72	08-03-2021	24-03-2021	16	25-08-2021	09-09-2021	154	15	37.44	37.44	(-)8.1	एक्स और वाई का जेवी
33	चक्र.पु.	चंद्री- चैनपुर आरपीडब्ल्यूएसएस	10.93	17-01-2022	24-01-2022	7	21-02-2022	24-02-2022	28	3	12.04	11.92	9.0	एक्स
34	चास	चंद्रपुरा पूरा ब्लॉक आरपीडब्ल्यूएसएस	45.17	09-02-2023	14-02-2023	5	18-03-2023	21-03-2023	32	3	48.95	46.62	3.2	एक्स

क्रम सं.	प्रमंडल के नाम	कार्य का नाम	निविदा मूल्य (₹ करोड़ में)	निविदा प्रारंभ की तिथि	निविदा समाप्ति की तिथि	निविदा जमा करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या	डीटीसी द्वारा निविदा के निर्णय की तिथि	एलओए की तिथि	निविदा तय करने में विभाग को कितने दिन लगे	डीटीसी द्वारा निविदा आवंटित किये जाने के बाद एलओए जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या	निविदाकारों द्वारा निविदित मूल्य (₹ करोड़ में)	एकरारित मूल्य (₹ करोड़ में)	एकरारित मूल्य निविदा मूल्य से कम (-) / ज़्यादा (+) (प्रतिशत में)	जिन ठेकेदारों को काम दिया गया
35	जमशेदपुर	पलासबनी आरपीडब्ल्यूएसएस	24.17	10-01-2022	28-01-2022	18	30-03-2022	08-04-2022	61	9	26.53	26.33	8.9	एक्स का जेवी
36	गढ़वा	लोवादाग आरपीडब्ल्यूएसएस	27.05	01-02-2022	12-02-2022	11	22-04-2022	23-05-2022	69	31	29.71	29.67	9.7	एक्स
37	जमशेदपुर	बागबेरा आरपीडब्ल्यूएसएस	50.58	21-10-2022	28-10-2022	7	29-12-2022	17-01-2023	62	19	54.88	52.21	3.2	एक्स और वाई का जेवी
38	सराईकेला	रपचा आरपीडब्ल्यूएसएस	60.90	07-01-2023	24-01-2023	17	16-03-2023	21-03-2023	51	5	63.76	62.86	3.2	एक्स और वाई का जे वी
39	राँची प.	लतरातू आरपीडब्ल्यूएसएस	9.82	25-01-2023	31-01-2023	6	23-03-2023	31-03-2023	51	8	10.66	10.14	3.3	एक्स का जेवी

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका: 2.4.4 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 100)

उलिहातु आरपीडब्ल्यूएसएस के मूल्य समायोजन की गणना

विवरण	महीना	व्यास/ ग्रेड	मीटर में मात्रा	दर	RDI	So का सूचकांक मान (मई 2022)	S1 का सूचकांक मान	S1-So/ So	Vs=0.85 x 0.65 x RDI x (S1-So) /So
आरडब्ल्यूआरएम	अगस्त-23	150 K9	2,105.0	2,100.00	44,20,500	174.8	154.9	-0.1138	-2,77,937
सीडब्ल्यूआरएम	अगस्त-23	150 K9	369.5	2,020.00	7,46,390	174.8	154.9	-0.1138	-46,929
	सित. -23	150 K9	4,180.0	2,020.00	84,43,600	174.8	156.0	-0.1076	-5,01,964
	अक्तू.-23	150 K9	2,667.5	2,020.00	53,88,350	174.8	153.6	-0.1213	-3,61,118
	अक्तू.-23	100 K9	27.5	1,700.00	46,750	174.8	153.6	-0.1213	-3,133
डी एम	जून -23	100 K7	5,390.0	1,573.00	84,78,470	174.8	156.3	-0.1058	-4,95,605
	अगस्त-23	100 K7	7,892.5	1,573.00	1,24,14,903	174.8	154.9	-0.1138	-7,80,581
	अक्तू.-23	100 K7	7,259.0	1,573.00	1,14,18,407	174.8	153.6	-0.1213	-7,65,242
	जून -23	150 K7	4,477.0	1,800.50	80,60,839	174.8	156.3	-0.1058	-4,71,192
	अक्तू.-23	150 K7	2,926.0	1,800.50	52,68,263	174.8	153.6	-0.1213	-3,53,070
	अक्तू.-23	200 K7	220.0	3,005.00	6,61,100	174.8	153.6	-0.1213	-44,306
कुल वसूली योग्य राशि									**-41,01,075**

परिशिष्ट 2.4

(कंडिका : 2.4.4 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 100)

बीओक्यू/एकरारनामा में गलती से मद की अदला-बदली के कारण अधिक भुगतान

विवरण	डीपीआर के अनुसार		एकरारनामा के अनुसार		मूल्य देय		भुगतान किया गया मूल्य	
	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	मूल्य (₹ में)	मात्रा	मूल्य (₹ में)
हर घर के संयोजन के लिए 15 मीटर एमडीपीइ पाइप	37,785 मीटर	₹ 23	2,519 मीटर	₹ 24	27,000 @ ₹ 24 प्रति मीटर	6,48,000	27,000 @ ₹ 400 प्रति मीटर	1,08,00,000
जीएम फेरूल हर घर के संयोजन के लिए एक पीस	2,519 अदद	₹ 497.31	37,785 अदद	₹ 400	1,800 @ ₹ 400 अदद	7,20,000	1,800 @ ₹ 24 अदद	43,200
कुल						**13,68,000**		**1,08,43,200**
अधिक भुगतान								**94,75,200**

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका : 2.4.5 में सन्दर्भित, पृष्ठ संख्या 105)

डीडब्ल्यूएसडी, खूंटी डिवीजन में कार्यों पर टीपीआईए अवलोकन

क्र. सं.	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय (₹ करोड़ में) इस तारीख तक)	वर्तमान अवरोध बिंदु / विचलन
1	खूँटी	क्लस्टर 18	7.30 (जून 2024)	1. स्टील संरचना का वज़न बीओक्यू के अनुसार नहीं पाया गया, क्योंकि इसकी मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई। 2. पाइप IS4984 के अनुरूप नहीं पाए गए, क्योंकि पाइपों की मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई। 3. आपूर्ति सामग्री की टीपीआईए क्यूए फ़ाइल अधूरी पाई गई।
2	खूँटी	क्लस्टर 14बी	3.00 (जून 2024)	1. स्टील संरचना का वज़न बीओक्यू के अनुसार नहीं पाया गया, क्योंकि इसकी मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई। 2. पाइप IS4984 के अनुरूप नहीं पाए गए, क्योंकि पाइपों की मोटाई आवश्यकता से लगभग 25% कम पाई गई। 3. आपूर्ति सामग्री की टीपीआईए क्यूए फ़ाइल अधूरी पाई गई।
3	खूँटी	तपकारा आरडब्लूएसएस	7.50 (जुलाई 2024)	1. ठेकेदार से अब तक मिक्स डिज़ाइन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है। 2. वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट रेखा-चित्र के अनुसार नहीं है। 3. शटरिंग की कमी के कारण निर्माण जोड़ ठीक से नहीं बने हैं। 4. रीइन्फोर्समेंट का आवरण असंतोषजनक पाया गया। 5. पहली श्रेणी की ईंटों के स्थान पर दूसरी श्रेणी की ईंटों का उपयोग किया गया है। 6. शटरिंग अभियांत्रिकी के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
4	खूँटी	उलीहातू आरडब्लूएसएस	11.92 (जुलाई 2024)	1. ठेकेदार से मिक्स डिज़ाइन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है। 2. क्यूब टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। 3. स्टैंड पोस्ट और प्लेटफ़ॉर्म जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं।

क्र. सं.	प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय (₹ करोड़ में) इस तारीख तक)	वर्तमान अवरोध बिंदु / विचलन
				4.डीआई-के 9, के-7, एचडीपीई, एमडीपीई पाइप की टीपीआई गहराई आवश्यकता के अनुसार नहीं है।
5	खूँटी	कोइनारा आरडब्लूएसएस	4.10 (जुलाई 2024)	1. ऊर्ध्वाधर रीइन्फोर्समेंट रेखा-चित्र के अनुसार नहीं है। 2. शटरिंग कार्य की कमी के कारण निर्माण जोड़ सही स्थिति में नहीं पाए गए। 3. रीइन्फोर्समेंट का आवरण असंतोषजनक पाया गया। 4. शटरिंग अभियांत्रिकी पद्धतियों के अनुसार नहीं पाई गई।
6	खूँटी	मनहातू आरडब्लूएसएस	11.62 (जुलाई 2024)	1. ठेकेदार से अब तक मिक्स डिज़ाइन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है। 2. वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट रेखा-चित्र के अनुसार नहीं है। 3. शटरिंग की कमी के कारण निर्माण जोड़ ठीक से नहीं बने हैं। 4. रीइन्फोर्समेंट का आवरण असंतोषजनक पाया गया। 5. पहली श्रेणी की ईंटों के स्थान पर दूसरी श्रेणी की ईंटों का उपयोग किया गया है। 6. शटरिंग अभियांत्रिकी के मानकों के अनुसार नहीं पाई गई। 7. कंक्रीट मिक्सिंग की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई।
7	चाइबासा	मनिहारी आरडब्लूएसएस	15.91 (अकतूबर 2024)	1. अनाधिकृत स्टील का उपयोग किया जा रहा है। 2. सीमेंट का भंडारण उचित नहीं है, जिसका असर सीमेंट की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।
8	चक्रधरपुर	लिसिमोती तेनसोरा टोपाहेरा आरडब्लूएसएस	3.51 (अकतूबर 2024)	1. अनाधिकृत स्टील का उपयोग किया जा रहा है। 2. कास्टिंग की क्योरिंग (तराई) ठीक से नहीं की जा रही है। 3. स्टील लैपिंग के लिए स्टील बार की कटाई सही नहीं है, जिससे इनटेक वेल की संरचनात्मक मजबूती प्रभावित होती है।

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.5.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 110)

प्रयोगशालाओं में परीक्षणों के मान्यता प्राप्त मापदंडों की स्थिति

जिला प्रयोगशालाओं के नाम	2019-24 के दौरान एनओबीएल मान्यता की वैधता	मान्यता प्राप्त मापदंडों की संख्या	जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मापदंड	निर्धारित मापदंडों की अनुपलब्धता
चाईबासा	04.08.2022 से 03.08.2024	12	पीएच मान, कुल घुले हुए ठोस (टीडीएस), टर्बिडिटी, क्लोराइड, कुल क्षारीयता, कुल कठोरता, सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई.कोलाई या थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (कुल 13 मापदंड)	सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक, नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई. कोलाई या ताप-सहिष्णु कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (6 मापदंड)
धनबाद	12.03.2020 से 11.03.2022 और 20.10.2022 से 19.10.2024	7		टीडीएस, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, कुल आर्सेनिक, नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई-कोलाई या थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (8 मापदंड)
पूर्वी सिंहभूम	17.01.2023 से 16.01.2025	14		सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक, नाइट्रेट, और ई. कोलाई या ताप-सहिष्णु कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (5 मापदंड)
हजारीबाग	14.02.2020 से 13.02.2022 और 14.03.2023 से 13.03.2025	7 12		टीडीएस, सल्फेट, आयरन, कुल आर्सेनिक, नाइट्रेट, और ई.कोली या थर्मोटॉलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (6 मापदंड)
खुंटी	05.11.2022 से 04.11.2024	11		सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और ई. कोलाई या थर्मोटोलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया (7 मापदंड)
कोडरमा	18.08.2022 से 17.08.2024	12		सल्फेट, लोहा, कुल आर्सेनिक, नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई. कोलाई या ताप-सहिष्णु कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (6 मापदंड)

(स्रोत: नमूना-जांचित प्रमंडलों द्वारा दी गयी जानकारी)

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.6.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 121)

नमूना-जांचित जिलों में 'झार जल पोर्टल' पर प्राप्त शिकायतों का विवरण

जिला का नाम	डिवीजन का नाम	जहाँ तक शिकायत प्राप्त हुई	निबंधित शिकायतों की संख्या	शिकायतों का समाधान	लंबित शिकायत	अस्वीकृत शिकायत	संबंधित अधिकारी को भेजी गई शिकायत
धनबाद	धनबाद-I	31.3 2024	219	203	12	4	0
	धनबाद-II	31.3 2024	225	212	6	6	1
पूर्वी सिंहभूम	अदित्यापुर	16.10.24	185	148	20	12	5
	जमशेदपुर	17.10.24	461	370	51	17	23
हजारीबाग	हजारीबाग	31.10.24	962	883	49	0	0
खुंटी	खुंटी	9.12.2024	143	139	3	1	0
कोडरमा	कोडरमा	31.3.2024	133	123	0	6	2
पश्चिमी सिंहभूम	चक्रधरपुर	11.9.2024	604	580	6	17	1
	चाईबासा	3.10.2024	1,551	1,426	38	20	6
कुल			**4,483**	**4,084**	**185**	**83**	**38**

(स्रोत: झार जल पोर्टल)

संक्षिप्ताक्षर

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण शब्द	के लिए प्रयुक्त
अध्याय-I		
एई	असिस्टेंट इंजिनियर	सहायक अभियंता
एपीओ	असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर	सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी सेंटर	आंगनवाड़ी केंद्र
बीडीओ	ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बीपीओ	ब्लाक प्रोग्राम ऑफिसर	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी
सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सीबी	क्लोजिंग बैलेंस	अंतिम शेष
सीपीटी	कैटल प्रोटेक्शन ट्रेंच	मवेशी संरक्षण खाई
सीएस	सेंट्रल शेयर	केंद्रीय अंशदान
सीवीओ	चीफ विजिलेंस ऑफिसर	मुख्य सतर्कता पदाधिकारी
डीडीसी	डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर	उप-विकास आयुक्त
डीएलटीसी	डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटि	जिला स्तरीय तकनीकी समिति
डीपीसी	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर	जिला कार्यक्रम समन्वयक
डीपीपी	डिस्ट्रिक्ट पर्सपेक्टिव प्लान	जिला परिप्रेक्ष्य योजना
डीक्यूएम	डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर	जिला गुणवत्ता निगरानी
डीआरडीए	डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण
ई-एफएमएस	इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम	इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली
ई-एमआर	इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल	इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल
एफटीओ	फण्ड ट्रान्सफर आर्डर	फंड ट्रांसफर ऑर्डर
एफ वाई	फाइनेंसियल इयर	वित्तीय वर्ष
जीसीआई	गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन	जस्ती नालीदार लोहा
जीआई	गैल्वेनाइज्ड आयरन	जस्ती लोहा
जी ओ आई	गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया	भारत सरकार
जीओजे	गवर्नमेंट ऑफ़ झारखण्ड	झारखंड सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत
जीआरएस	ग्राम रोजगार सेवक	ग्राम रोजगार सेवक
एचएच	हाउस होल्ड	गृहस्थ
आईए	इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज	कार्यान्वयन एजेंसियां
आइडिया	इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस	इंटरएक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण
जेसी	जॉब कार्ड	जॉब कार्ड
जेई	जूनियर इंजिनियर	कनीय अभियंता
जेपीवी	जॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन	संयुक्त भौतिक सत्यापन
एलबी	लेबर बजट	श्रम बजट

संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण शब्द	के लिए प्रयुक्त
एमबी	मेज़रमेंट बुक	मापी पुस्तिका
मनरेगा	महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मनरेगाएस	महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआईएस	मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओआरडी	मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमपीवीवाई	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
एम आर	मस्टर रोल	मस्टर रोल
एनईएफएमएस	नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली
नरेगासॉफ्ट	नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सॉफ्टवेर	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सॉफ्टवेयर
ओबी	ओपनिंग बैलेंस	प्रारंभिक शेष
पीए	परफॉरमेंस ऑडिट	निष्पादन लेखा परीक्षा
पीडी	पर्सन डेज	व्यक्ति दिवस
पीएफएमएस	पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएमएवाई	प्रधान मंत्री आवास योजना	प्रधान मंत्री आवास योजना
पीओ	प्रोग्राम ऑफिसर	कार्यक्रम अधिकारी
पीआरआई	पंचायती राज इंस्टीटयूसन	पंचायती राज संस्था
पीएस	पंचायत सचिव	पंचायत सचिव
आरडीडी	रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	ग्रामीण विकास विभाग
एसएयू	सोशल ऑडिट यूनिट	सोशल ऑडिट यूनिट
एससी	शिड्यूल कास्ट	अनुसूचित जाति
एसडीजी	ससटनेबल डेवलपमेंट गोल	सतत विकास लक्ष्य
एसईजीसी	स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल	राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एसईजीएफ	स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फण्ड	राज्य रोजगार गारंटी कोष
एसएनए	सिंगल नोडल एजेंसी	एकल नोडल खाता
एसपीसी	स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर	राज्य कार्यक्रम समन्वयक
एसक्यूएम	स्टेट क्वालिटी मॉनिटर	राज्य गुणवत्ता मॉनिटर
एसआरएस	स्ट्रटीफाइड रैंडम सैंपलिंग	स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण
एसएस	स्टेट शेयर	राज्यांश
एसटी	शेड्यूल ट्राइब	अनुसूचित जनजाति

संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण शब्द	के लिए प्रयुक्त
	अध्याय-II	
एएपी	एनुअल एक्शन प्लान	वार्षिक कार्य योजना
एई	असिस्टेंट इंजिनियर	सहायक अभियंता
बीओक्यू	बिल ऑफ़ क्वांटिटी	मात्रा का बिल
बीएस	बैलेंस शीट	बैलन्स शीट
सीडीओ	सेंट्रल डिजाईन आर्गेनाईजेशन	केंद्रीय डिजाइन संगठन
सीई	चीफ इंजिनियर	मुख्य अभियंता
सीएसएस	सेंट्रली स्पोंसोरेड स्कीम	केंद्र प्रायोजित योजना
डीआई	डकटाइल आयरन	नमनीय लोहा
डीपीआर	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीटीसी	डिपार्टमेंटल टेंडर कमिटि	विभागीय निविदा समिति
डीटीडब्ल्यू	डीप टयूब वेल	डीप ट्यूबवेल
डीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसएफ	ड्रिंकइंग वाटर क्वालिटी मोनिटरिंग एण्ड सर्विलांस	पेयजल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी ढांचा
डीडब्ल्यूएस	ड्रिंकिंग वाटर एंड शेनिटेसन	पेयजल और स्वच्छता
डीडब्ल्यूएसएम	ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन मिशन	पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
ईई	एग्जीक्यूटिव इंजिनियर	कार्यपालक अभियंता
ईएसआर	एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर	एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर
एफएचटीसी	फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन	कार्यात्मक घरेलू नल संयोजन
एफटीके	फील्ड टेस्ट किट	फील्ड टेस्ट किट
जीओआई	गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया	भारत सरकार
जीओजे	गवर्नमेंट ऑफ़ झारखण्ड	झारखंड सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत
एचएच	हाउसहोल्ड	गृहस्थ
आईए	इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी
आईईसी	इनफार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएमआईएस	स्टेट इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट एंड इनफार्मेशन सिस्टम	राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली
आईएमआईएस	इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईओटी	इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स	इंटरनेट ऑफ थिंग्स

संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण शब्द	के लिए प्रयुक्त
आईएसए	इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी	कार्यान्वयन सहायता एजेंसी
जेई	जूनियर इंजिनियर	कनीय अभियंता
जेजेएम	जल जीवन मिशन	जल जीवन मिशन
जेपीवी	जॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन	संयुक्त भौतिक सत्यापन
जेपीडब्ल्यूडी	झारखण्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट	झारखंड लोक निर्माण विभाग
जेवी	जॉइंट वेंचर	संयुक्त उद्यम
एलजीडी	लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एलओए	लैटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस	स्वीकृति पत्र
एलपीसीडी	लीटर पर कैपिटा पर डे	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
एमडीपीई	मीडियम डेंसिटी पॉलीथीलीन	मध्यम घनत्व पॉलीथीन
एमईआईटीवाई	मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमआईएस	मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमवीएस	मल्टी विलेज स्कीम	बहु ग्राम योजना
एनएबीएल	नेशलन एक्रीडिएशन बोर्ड फोर टेस्टिंग एंड कैलीबरेशन लेबोरेटरीज	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एनआईसी	नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईटी	नोटिस इनवाइटिंग टेंडर	निविदा आमंत्रित करने की सूचना
एनओसी	नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरडीडब्ल्यूपी	नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरएससी	नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
ओ एंड एम	ऑपरेशन एंड मेनटेनेंस	संचालन और रखरखाव
पीए	परफॉर्मेंश ऑडिट	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएफएमएस	पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम	सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली
पीएल	प्राफिट एंड लॉस	लाभ और हानि
पीएमयू	प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
क्यूसी	क्वालिटी कंट्रोल	गुणवत्ता नियंत्रण
आरबीआई	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरएमएस	रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम	दूरस्थ प्रबंधन प्रणाली
आरपीडब्ल्यूएसएस	रूरल पाईप वाटर सप्लाई स्कीम	ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना

संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण शब्द	के लिए प्रयुक्त
आरडब्ल्यूएसएस	रूरल वाटर सप्लाई स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना
एसबीडी	स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट	मानक बोली दस्तावेज
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
स्काडा	सुपरवाईजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्सेस	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा एक्सेस
एसई	सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर	अधीक्षण अभियंता
एसएलएसएससी	स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमिटी	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति
एसएनए	सिंगल नोडल एकांउट	एकल नोडल लेखाकार
एसओआर	शिड्यूल ऑफ रेट	दरों की अनुसूची
एसवीएस	सिंगल विलेज स्कीम	एकल ग्राम योजना
एसडब्ल्यूएसएम	स्टेट वाटर एंड सेनिटेशन मिशन	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
टीडीएस	टोटल डिजोल्व सोलिड्स	कुल घुलित ठोस
टीपीआईए	थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी	तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी
यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी	यूनिफोर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल	समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल
वीएपी	विलेज एक्शन प्लान	ग्राम कार्य योजना
वीडब्ल्यूएससी	विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यूक्यूएमएस	वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस	जल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता
डब्ल्यूटीपी	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	जल उपचार संयंत्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi